राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क] तृतीय विधान सभा के छठे सत्र १९६४ का १५ वां दिवस [संख्या ११

सोमवार दिनांक १७ अगस्त, १९६४

विधान सभा की बैठक ८ बज कर ३ मिनट प्रातः विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(यातायात, वन, शिक्षा, विकास, समाज कल्याण, पंचायत, आबकारी, श्रम, आयुर्वेद-विभाग)

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह।

जयपुर-कोटा-जयपुर बस सर्विस

२५९. **श्री गोविन्दसिंह** (पिड़ावा) : क्या यातायात मंत्री बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ता० २७-२-६४ को जयपुर से कोटा एवं कोटा से जयपुर ४ बजे शाम तक राजस्थान रोडवेज की एक भी बस नहीं चली ?

(२) यदि हां, तो क्यों और क्या इसकी इत्तला मुसाफिरों को पहले कर दी गई थी ?

उप-मंत्री, यातायात (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) जी हां।

(२) तारीख २७-२-६४ को धुलन्डी का त्यौहार था, जिस दिन यात्रियों का आना जाना प्रायः बन्द रहता है। अतः प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी गाड़ियों का आना जाना उस दिन दोपहर के १ बजे तक बन्द रखा गया। इसकी सूचना एक दिन पहले ही सूचना पट्ट पर लगा दी गई थी, १ बजे बाद शिड्यूल के अनुसार गाड़ियां चालू हो गईं। कोटा के लिए शिड्यूल समय ४ बजे शाम पड़ता था अतः कोटा के लिये गाड़ी ४ बजे शाम को चली।

श्री गोविन्दसिंह : यह पहली दफा हुआ या हमेशा हुआ करता है ? धुलन्डी के दिन राजस्थान रोडवेज की गाड़ियां बन्द रहीं या प्राइवेट बसेज भी बन्द रहीं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : प्राइवेट बसेज का मुझे मालूम नहीं। रोडवेज की बसें १ बजे तक बन्द रहती हैं।

Page No. 2

श्री गोविन्दसिंह : मैं जयपुर से कोटा गया हूं तो मुझे बस स्टेन्ड पर सवारियां मिली हैं। उन्होंने कहा था कि गाड़ियां नहीं आईं और इत्तला भी नहीं मिली।

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह हो सकता है। वैसे आम तौर पर धुलन्डी के रोज १ बजे तक गाड़ियां चलती नहीं हैं। यात्री भी कम चलते हैं, इसके अलावा हो-हल्ले में गाड़ियां टूटने का खतरा रहता है।

प्रश्न संख्या २६०

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री अब्दुलजब्बार।

निम्बाहेड़ा माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में परिवर्तन

२६१. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या छात्राओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए निम्बाहेड़ा माध्यमिक कन्या शाला को हाई स्कूल बनाया जाना आवश्यक है ? यदि नहीं, तो कैसे ?

(२) इस समय स्कूल में कुल कितनी छात्रायें हैं और ६३-६४ में ८वीं कक्षा में कितनी छात्रायें थीं ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) (१) जी हां।

(२) इस समय स्कूल में कक्षा १ से ५ तक २९८ तथा कक्षा ६ से ८ तक ११४ छात्रायें हैं। ६३-६४ में कक्षा ८ में २४ छात्रायें थीं।

श्री अब्दुलजब्बार : जी हां, आपने पहले प्रश्न के उत्तर में 'जी हां' कहा है तो क्या यह मान लें कि हाई स्कूल बनाने जा रहे हैं या मिडिल स्कूल ही रहेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हाई स्कूल बनाया तो नहीं जा रहा है।

श्री अब्दुलजब्बार : सरकार को क्या आपत्ति है अगर उसे हायर स्कूल बना दिया जाय तो ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : भवन पर्याप्त नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार खां : जो पुरानी कोर्ट खाली कराई गई है उसमें पर्याप्त जगह है और उसके अन्दर हाई स्कूल बनाया जा सकता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह भी पर्याप्त नहीं है। हाई स्कूल खोलने के लिए जो आधार हैं, जो शर्तें हैं वे परिपूर्ण नहीं होती हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : आधार को परिपूर्ण करने के लिए क्या चाहते हैं, आपको पैसा चाहिए या बिल्डिंग चाहिए ? यह बता दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अभी जो बिल्डिंग बताई उसमें कमरे हैं, नौ-दस जब कि

Page No. 3

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

कमरे चौदह चाहिए। इसके साथ साथ कुछ अनुदान भी चाहिए। दो साल के लिए पन्द्रह हजार रुपये दे दें और दूसरी शर्तें पूरी हो जायं तो खोल दें।

श्री अब्दुलजब्बार : आप अगर स्पेसिफिकली बता दें कि इन शर्तों के पूरी होने पर खोल देंगे तो उसकी व्यवस्था की जा सकती है। केवल यह कहना कि कमरे कम हैं उचित बात नहीं है। पुराना मिडिल स्कूल होते हुए आप उसे हाई स्कूल नहीं बना सके हैं। यह तो टालने की नीति है। सरकार स्पष्ट रूप से बता दे कि किन शर्तों के परिपूर्ण होने पर हाई स्कूल बना देगी?

श्री निरंजन नाथ आचार्य : इस तरह का भवन चाहिए जिसमें चौदह कमरे हों, लेबोरेट्री हो, रीडिंग रूम हो, एन. सी. सी. का कमरा हो, ओप्शनल सब्जेक्ट के लिए कमरे हों आदि आदि। इसके अलावा पन्द्रह हजार रुपया दें।

श्री जोधसिंह (गिरवा) : क्या यह सही है कि इस प्रकार के प्रावधान न होते हुए भी कई जगह मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बना दिया गया है?

श्री निरंजनाथ आचार्य : यह मुझको ज्ञात नहीं है। ऐसा ज्ञात नहीं होता कि इस तरह से हाई स्कूल बना दिये हैं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : राजसमन्द में हो सकता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह पुरानी बात है। दो तीन साल पहले खोले थे। लेकिन भवन पर्याप्त थे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : लड़कियों के लिए स्कूल खोलने के लिए पन्द्रह हजार रुपये देने पड़ेंगे?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह नियम कब से बना?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कभी से चल रहा है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : पहले, कुछ दिन पहले तो कह रहे थे कि लड़कियों की स्कूल के लिए नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपसे कभी खानगी में बात नहीं की।

श्री रविशंकर याज्ञिक (पिंडवाड़) : मैं कहना चाहता हूं कि इस साल दो चार हाई स्कूल ऐसी खोली हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बना कर दी हैं? क्या यह सही है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मुझे पता नहीं है। ऐसी कोई इन्स्टीट्यूशन नहीं है।

श्री रविशंकर याज्ञिक : भदेसर के अन्दर?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जिन शब्दों में आपने कहा, जिन भावनाओं में कहा यह बात सही नहीं है।

श्री रविशंकर याज्ञिक : भदेसर के अन्दर हाई स्कूल खोली है, उसमें जो एडीशनल बिल्डिंग बनाई है वह गवर्नमेंट ने बनाई है ऐसा करने का क्या कारण है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह अलग से प्रश्न है। मैं आपको बता दूंगा।

श्री अब्दुलजब्बार : मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो काइटेरिया है वह फिक्स्ड होना चाहिए। मैं खुले रूप से कहता हूं, कम से कम इशारा कर दीजिये इतना सब्स्क्राइब कर दें, इतनी बिल्डिंग बना कर दें तो आप ऑर्डर दे देंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : There should be at least five Middle schools with na radious of 20 miles- There should be no H gher Secondary School with in a radious of 20 miles. The number of students in the class should be 25- The public should be held responsible for providing necessary building and recurring and non-recurring expenditure for one year.....

श्री अब्दुलजब्बार : ६३-६४ में ८ वीं कक्षा की छात्राएं कितनी थीं ताकि आपका मकसद हल कर दूं ?

श्री अध्यक्ष : यह तो वे स्वीकार करते हैं कि छात्राओं का नम्बर तो पूरा है। पर बकाया शर्तें और हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : हम बिल्डिंग भी बनवा देते। हम यह भी करने को तैयार हैं पर वे हां तो कर लें इसके लिये।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : हां ही है मेरी तरफ से तो।

श्री अमरसिंह (दूदू) : यह रुपया और मकान की शर्त आप गांव वालों के ही लिये रखते हैं या शहर वालों के लिये भी रखते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : शहर वालों के लिये भी यही है।

श्री अमरसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो इलाका गरीब है, इनकी फाइनेन्स की और मकान की अगर कन्डीशन वे फुलफिल न कर सकते हों तो क्या वहां हाई स्कूल या स्कूल खुलेगी ही नहीं कभी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो पिछड़े इलाके हैं हम उनके लिये नियम में छूट देते हैं।

श्री अमरसिंह : इस पिछड़े इलाके का आपका क्या क्राइटेरिया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जैसे भील एरिया है जिनके पास पैसा नहीं है, पिछड़े वर्ग वालों का इलाका है जिनके पास धन नहीं, आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है वहां रिलेक्स करते हैं नियमों में।

श्री अमरसिंह : पंचायत समिति या जिला परिषद् अगर प्रस्ताव पास करके भेजे

(श्री अमरसिंह)

कि फलां एरियां पिछड़ा हुआ है आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, तो क्या आप मानेंगे ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न सं० २६२

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह बर्मा।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

अनुसूचित जन जाति या अनुसूचित जाति के लिये कालौनी सांचोर।

२६३. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार अनुसूचित जन जाति या अनुसूचित जाति के निवास के लिये सांचोर में कोई कालोनी बनाने का विचार रखती है ? अगर है, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा और अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

उप मन्त्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : जी नहीं। सांचोर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियां के लिये बस्ती बनाने के निमित्त जिला परिषद् अथवा पंचायत समिति से किसी प्रकार के प्रस्ताव अथवा धनराशि की मांग विभाग में प्राप्त नहीं हुई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसका प्रस्ताव बना कर भेज दिया गया है। आपके पास नहीं आया, इसका मुझे पता नहीं। पर अगर ऐसा प्रस्ताव आवेगा तो क्या सरकार सोचेगी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अगले सत्र में विचार किया जा सकता है। प्रस्ताव आज दिन तक तो ऑफिस में आया नहीं है।

स्कूल भवन गांव हबशपुरा

२६४. **श्री अमरसिंह** (दूदू) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या पंचायत समिति दूदू के ग्राम हबशपुरा में सरकारी पैसे से स्कूल भवन बना है ?

(ब) इसमें सरकारी पैसा और पब्लिक डोनेशन का क्या अनुपात है ?

(स) इस भवन का नाम क्या है ?

पंचायत मन्त्री (श्री भीखाभाई) (अ) जी हां।

(ब) ५० प्रतिशत।

(स) प्राथमिक पाठशाला, हबशपुरा।

श्री अमरसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में मिसप्रिन्ट हो गया है। मैंने पाठशाला के नाम के लिये नहीं नाप के लिये पूछा है नम्बर ३ में। उसकी लम्बाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है इस भवन की यह पूछा है।

श्री भीखाभाई : नाप चाहते हैं तो यह भी बता देता हूं :

३३ फीट ३ इन्च लम्बाई, ११ फीट चौड़ाई, और ६.३ फीट ऊंचाई।

श्री अमरसिंह : यह क्या प्रोपोज्ड प्लान स्कूलों के लिये निर्धारित होता है उसके अनुसार है ? अगर नहीं है तो उस हालत में क्या एक्शन लिया जा रहा है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह ५६-५७ का मामला है। हमने उस वक्त एक हजार रुपया इसके लिये दिया था। बाकी का काम वहां के लोगों को जन सहयोग से करना था। वह नहीं किया गया। माननीय सदस्य की जानकारी इसमें ज्यादा हो सकती है। अब जन सहयोग क्यों नहीं प्राप्त हुआ, यह जानकारी मैं कर लूंगी।

श्री अब्दुल जब्बार : ६ फीट ऊंची दीवार बताई तो इतनी ऊंचाई है तो यह तो फिर मुरगीखाना होना चाहिये ?

वित्त मन्त्री (श्री बालकृष्ण कौल) : अगर वहां मुरगियां हैं तो मुरगीखाना सही।

श्री अमरसिंह : बाकी बिना बना हुआ भी पड़ा है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने भी यही कहा कि भवन अपूर्ण है इसलिये कि जन सहयोग जो मिलना चाहिये था वह नहीं मिला। सरकार ने तो एक हजार रुपया दे दिया। जन सहयोग के अभाव में यह ५६–५७ से अधूरा पड़ा है।

श्री अमरसिंह : यह ६ फीट तीन इंच ऊंचाई आप किस चीज की बता रहे हैं, जब कि सारा भवन अधूरा पड़ा है ?

श्री अब्दुल जब्बार : प्रिमीज रहते होंगे कोई वहां का सर्वे हुआ होगा तब।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कॉलेजों में विदेशी भाषाएं

२६५. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की क्या करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार तीस कॉलेजों में पांच विदेशी भाषाएं पढ़ाये जाने को थीं ?

(२) यदि हां, तो अब तक कितने कॉलेजों में यह स्कीम चालू की गई और कौन कौन सी भाषायें पढ़ाई जाती हैं ?

(३) यदि नहीं, तो किन कारणों से ?

उप-मंत्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) तृतीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में निम्न दो विदेशी भाषाएं उनके सामने अंकित स्थानों पर पढ़ाये जाने का आयोजन था :

(१) जर्मन—जोधपुर।

(२) फ्रैंच—उदयपुर।

(२) व (३) अब किसी भी कॉलेज में इनमें से कोई भाषा नहीं पढ़ाई जाती क्योंकि

इकानोमी कार्यान्वित करने हेतु यह योजना स्थगित कर दी गई ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : जब स्कीम बनाई गई थी तब इसके लिये नहीं सोचा गया था ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां, उस वक्त इकॉनोमी ड्राइव के बारे में नहीं सोचा गया था ।

मृत और घायल व्यक्तियों को कम्पनसेशन, पंचायत समिति मकराना

२६६. **श्री जेठमल बरबड़** (परबतसर) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि मकराना पंचायत समिति के पास सीड़ स्टोर बनते समय हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति मरा और कुछ व्यक्तियों को शरीर में चोट लग जाने से उनकी कमाने की हालत नहीं रही ? यदि हां तो उनको कम्पनसेशन क्यों नहीं दिया गया ?

विकास मन्त्री (श्री भीखाभाई) : इसके लिये, अध्यक्ष महोदय, मैंने पोस्टपोनमेन्ट चाहा है, फिर भी जो उत्तर अब तक मुझे मिला है उतना यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं निवेदन कर सकता हूं । पूरी सूचना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली है ।

ऐसी कोई सूचना इस विभाग के पास नहीं है । कम्पन्सेशन प्राप्त करने के लिये आश्रितों को व अन्यों को वर्कमैन कम्पन्सेशन कमिश्नर, राजस्थान, जोधपुर को प्रार्थना-पत्र देने चाहिये । यदि मुआवजे का कोई कानूनी आधार हुआ तो वह कम्पन्सेशन दिया जावेगा ।

श्री जेठमल बरबड़ : माननीय अध्यक्ष जी, यह बात तो सब जानते हैं जो उत्तर आपने दिया कि किस जगह दर्ख्वास्त देनी चाहिये और वह प्रार्थना-पत्र दे भी दिया गया है और मुआवजा देना भी स्वीकार हो चुका है । पर वह अभी तक उसको मिला नहीं है, इसके लिये पूछा है यह ।

श्री अध्यक्ष : इसके लिये तो कुछ दिन पहले पूछा था माननीय सदस्य ने ।

श्री भीखाभाई : वह सवाल अलग था । वैसा दूसरा सवाल और आ रहा है जिसमें सूचना चाही है उन्होंने ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : जब एप्लीकेशन भेजी गई, मुआवजा मिल गया तो इस की जानकारी सरकार को होनी चाहिये ।

श्री भीखाभाई : यही तो मैंने पहले कहा था कि पूरी जानकारी मेरे पास नहीं आ पाई है, और इसी लिये पोस्टपोनमेंट मैंने चाहा था । क्योंकि इस प्रश्न को भी चूंकि हमारे से सम्बन्धित नहीं था, हमने दूसरे सम्बन्धित विभाग को ट्रान्सफर कर दिया है । फिर भी जो जानकारी थी वह मैंने दे दी ।

श्री अब्दुलजब्बार : यह एक्सीडेन्ट हुआ है और इसकी सूचना सरकार को, कलक्टर को, लेबर ऑफीसर को नियमानुसार जानी चाहिये थी और इसकी जानकारी सरकार

(श्री अब्दुल जब्बार)

को बराबर होनी चाहिये कानून के हिसाब से भी। मजदूर मरता है, दुर्घटना का शिकार होता है उसको कम्पेन्सेशन मिलना तो दूर, सरकार को जानकारी तक नहीं तो सरकार ने यह खामख्वाह में विभाग अपना खोल रक्खा है। इससे मजदूरों को क्या लाभ ?

श्री भीखाभाई : इसके लिये उसको या उसके आश्रितों को कोर्ट में दावा करना पड़ता है।

श्री अब्दुल जब्बार : यह तो किया है, पर सपोज करिये कोई नहीं करता है तो यह सरकार का फर्ज है कि वह सब कुछ करे। सरकार क्या करती है ? सरकार का विभाग क्या करता है ?

श्री जेठमल बरवड़ : मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि लेबर यूनियन ने दावा किया था, और वह जोधपुर कमिश्नर से तो तै हो गया है कम्पन्सेशन भी दिलाने की आज्ञा दे दी है, पर वह मिला नहीं है अभी तक तो इसके लिये क्या सरकार इसको दिलाने की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करेगी ?

श्री भीखाभाई : मैंने आश्वासन दिया है कि पूरी जानकारी प्राप्त करके निवेदन करूंगा।

प्रश्न संख्या २६७

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द चौधरी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री चतुर्भुज उपाध्याय।

श्री दलपतसिंह (आबूरोड़) : अध्यक्ष महोदय, चतुर्भुजजी का यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे पूछने की इजाजत दी जाय।

(इजाजत दी गई)

श्री चतुर्भुज शर्मा (चित्तौड़गढ़) : (श्री दलपतसिंह (आबूरोड़) के द्वारा पूछा गया)

जंगलों का डिमार्केशन जिला चित्तौड़गढ़

२६८. क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि जंगलात विभाग द्वारा डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़ में जंगलों का जो डिमार्केशन हुआ है वह गांवों की सीमाओं के करीब होने के कारण गांव वालों के पशु जंगलात की सीमा में चरने के लिये चले जाते हैं और इस कारण गांव वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या के निराकरण का कोई उपाय करने का विचार रखती है ?

वन मंत्री (श्री भीखाभाई) : जी नहीं। डिमार्केशन लाइन गांवों के नजदीक खुला जंगल चराई वास्ते छोड़ते हुए अधिकतर गांवों की आबादी से दूर निकाली गई है। मवेशी अलावा भेड़ बकरी व ऊंट रिजर्व फोरेस्ट में (दस वर्ष के कटे कूपों तथा प्लान्टेशनों को छोड़कर) चराई हेतु जाने में भी

Page No. 9

(श्री वन मंत्री)

रोक नहीं है और भेड़ बकरी ऊंटों को भी चन्द रिजर्व फोरेस्ट व अधिकतर प्रोटेक्टेड फोरेस्ट में चराई की इजाजत है ।

श्री दलपतसिंह : अगर कोई डिमार्केशन गांव के नजदीक हो गया है जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है तो क्या कार्यवाही सरकार करने का इरादा रखती है ?

श्री भीखाभाई : अगर कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स आप बताएं ऐसी तो राज्य सरकार उस पर कोई खास कारण हो तो विचार कर सकती है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हर जंगल के पास गांव मिलेगा । और यह होता है कि गांव में से गाय भैंस निकलीं कि जंगल में चली गई और पकड़ ली गई ।

श्री भीखाभाई : जहां तक राजस्थान व्यापी सवाल है उस पर उच्चस्तरीय विचार हो रहा है । उस पर अलग से निर्णय लिया जावेगा पर जहां स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो उसे तुरन्त भी देखा जा सकता है उसके मेरिट्स पर । मैं साथ ही यह निवेदन कर दूं कि चन्द रिजर्व फोरेस्ट और अधिकतर प्रोटेक्टेड दस वर्ष के कटे कूपों को तथा प्लान्टेशनों को छोड़कर चराई की इजाजत है ।

श्री दलपतसिंह : यह बांसवाड़ा और डूंगरपुर का ही किस्सा नहीं है । आबू की तलहटी में सैकड़ों गांव है और उन सबमें यही किस्सा है । गांवों की सीमा तक डिमार्केशन हो गया है । थोड़ा सा मवेशी बाहर चला गया तो पकड़ा जाता है और जंगलात वाले मरजी आवे वह दंड उनसे वसूल करते हैं । ऐसी हालत में आपका उच्चस्तरीय विचार कब खतम होगा और कब इनको राहत मिलेगी ?

इसके लिये एक फोरेस्ट कमीशन भी चार साल पहले बैठा था पर अभी तक उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ ? यही हाल आपके उच्चस्तरीय विचार का होगा । तकलीफ तो लोग आज पा रहे हैं, उनको हल इसका आज चाहिये ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यह प्रश्न सारे राजस्थान का है, बड़ा हरेसमेंट करते हैं........

श्री गिरधारीलाल व्यास : लोगों पर जुर्माना करते हैं, सभी जगह यह हाल है ।

श्री अब्दुलजब्बार : मन्त्री महोदय ने बताया उसके बारे में मैं यह निवेदन करता हूं कि चितौड़ जिले में कलकलिया पहाड़ है, मचलिया पहाड़ है, अरकन्द पहाड़ है, त्रिजकरा, राया यह आसपास पहाड़ों की वेलीज़ हैं वहां बताइये कि तकलीफ होती है या नहीं ? वहां के लोगों पर हजारों रुपया जुर्माना होता है, लोगों के मकान जंगलों में बने हुए हैं, डिमार्केशन लाइन वहां बना दी, बड़ी बड़ी वाल्स बनाते हैं । प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया कि घास पैदा करेंगे । वहां लोगों को तकलीफ है या नहीं, उन लोगों से जुर्माना वसूल होता है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे दूं ऐसी कोई कठिनाई या परेशानी कहीं है तो वह माननीय सदस्य बतायें तो उस

Page No. 10

(श्री भीखाभाई)

पर विचार किया जायगा। सरकार ने इन्स्ट्रक्शन्स जारी कर दी हैं, सेटलमेंट के अधिकारी को, डी० एफ० ओ० को कि जहां तक डिमार्केशन का सवाल है वहां की पंचायत समिति को, पंचायतों के सरपंचों को, पंचों को जब तक कॉन्फिडेन्स में नहीं लिया जाय तब तक कि डिमार्केशन नहीं किया जाय। पुराने समय की डिमार्केशन लाइन्स हैं वहां किसी प्रकार की शिकायत है तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री दलपतसिंह : न्यूली डिमार्केशन हुआ है उसके बारे में क्या करेंगे ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : जंगलात के डिमार्केशन करने की प्रशासनिक आज्ञाएं जारी की गई उनमें क्या ऐसे आदेश भी हैं कि गांव से सौ गज की दूरी पर, ५०० गज की दूरी पर या ५ गज की दूरी पर इतनी जमीन छोड़कर फोरेस्ट लाइन का डिमार्केशन किया जाय ?

श्री भीखाभाई : इस प्रकार की बात है कि गांव वालों को कान्फिडेन्स में लेने का ऑर्डर है फोरेस्ट मेन्युअल में। ताजा ऑर्डर दिया गया है कि पंचायत समिति के प्रधान, पंचायत के सरपंच और पंचों को भी डिमार्केशन के समय कान्फिडेन्स में लिया जाय। कहीं इसकी अवहेलना हुई हो तो आप सूचना दें, उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री विजयसिंह झाला : यह तो माननीय मन्त्री महोदय आश्वासन दे रहे हैं कि जहां तकलीफ है वह दूर की जायगी पर रेवेन्यू की गांव वालों की जमीनें हैं उन पर फोरेस्ट वाले कब्जा कर रहे हैं, पिछले सत्र में आश्वासन दिया था कि फोरेस्ट रूल्स बनाकर कठिनाई दूर कर देंगे पर कुछ भी नहीं किया गया है।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया, मैंने यह आश्वासन दिया था कि हाउस के सदस्यों को रख कर इन्फोर्मल कन्सल्टेटिव कमेटी मुकर्रर करने पर विचार किया जायगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। मेरा प्रश्न यह था कि क्या इस प्रकार के आदेश, प्रशासनिक आदेश-जारी किये हुए हैं कि जब किसी गांव के नजदीक फोरेस्ट लाइन का डिमार्केशन किया जाय तो गांव के पास इतनी गज जमीन छोड़ दी जाय, पांच गज, पचास गज या ५०० गज ?

श्री भीखाभाई : मैंने अर्ज कर दिया कि फोरेस्ट मेन्युअल में पहले से है कि पटवारी, गांव वालों को, मुखियाओं को लेकर डिमार्केशन लाइन जारी करें। इस सम्बन्ध में नये इन्स्ट्रक्शन्स भी जारी किये हैं कि सरपंच पंच, पचायत समिति के प्रधान आदि को कान्फिडेन्स में लिया जाय। यदि कहीं शिकायत हो तो माननीय सदस्य बतायें कार्यवाही की जायगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा प्रश्न यह नहीं, मेरा प्रश्न यह है कि कम से कम कितनी जमीन गांव के पास छोड़ने की बात है, डिमार्केशन करते समय गांव के पास कितनी जमीन छोड़ने के आदेश हैं कि इतनी जमीन गांव के पास छोड़ दी जाय। फोरेस्ट

Page No. 11

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

मेन्युअल बहुत बड़ी है उसके बारे में हम अज्ञानी है, आपने उसे अच्छी तरह स्टडी कर रखी है, इसलिये आप बता दीजिये कि कितने सौ गज जमीन, कितने हजार गज जमीन फोरेस्ट का डिमार्केशन करते समय गांव के आस पास छोड़ना आवश्यक है ?

श्री भीखाभाई : मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि सारा मामला सरकार के विचाराधीन है, सारे राजस्थान के लिये क्वेश्चन जनरलाइज किया है।

श्री दलपतसिंह : पर्टीक्यूलरली बता दें कि आधा माइल या पाव माइल कितनी दूरी ....

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, अच्छी तरह जानते हैं कि कितने वर्ष हो गये यह कहते हुए कि यह मामला विचाराधीन है।

श्री भीखाभाई : एक क्राइटेरिया सब जगह लागू नहीं हो सकता। फोरेस्ट में भी विलेजेज हैं जिन्हें फोरेस्ट विलेज़ेज कहा जाता था, दूसरे भी ऐसे विलेज़ेज हैं। फिर भी आपने कहा यह निश्चित बात है कि गांवों के नजदीक डिमार्केशन नहीं हो। माननीय सदस्य ने बात उठाई है वह हमारे विचाराधीन है, शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेने का प्रयास किया जायगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : फोरेस्ट के अधिकारी लोगों को बहुत तंग करते हैं·······

श्री दलपतसिंह : इन्फॉर्मल कन्सल्टेटिव कमेटी का निर्माण कब तक कर देंगे ?

श्री विजयसिंह झाला अब तक कोई कार्यवाही की नहीं, कमेटी की मीटिंग बुलाई नहीं। ५) रुपया फी पशु की चराई का प्रावधान करके पशुओं की चराई का रखा है पर वह रुपया बीच में ही रह जाता है, सरकार के के पास पहुँचता नहीं है। कई बार शिकायतें कीं, आपने आश्वासन दिये थे, उदयपुर के चीफ कन्जर्वेटर को भी बुलाया था, मीटिंग बुलाई थी पर आपने कुछ नहीं किया अभी तक।

श्री भीखाभाई : अब तक तो एक भी केस बताया नहीं।

श्री विजयसिंह झाला : हजारों केस हैं, साथ चलो हजारों केस बताता हूँ, पर आप कुछ करते तो नहीं वैसे ही आपके पास आने से क्या मतलब।

श्री अध्यक्ष : यह सब सरकार के विचाराधीन हैं।

प्रश्न संख्या २६९

श्री अध्यक्ष : श्री विजयपाल कटारा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २७०

Page No. 12

पोस्ट ग्रेज्यूएट कक्षाएं बीकानेर

२७०. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

क्या यह सही है कि राज्य के समस्त बड़े शहरों में साइन्स की पोस्ट ग्रेज्यूएट कक्षाएं हैं ? अगर हां, तो क्या सरकार बीकानेर शहर में उक्त विषयों में अध्यापन कार्य प्रारंभ करने का विचार रखती है ?

उपमन्त्री शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : जी नहीं ।

श्री भीमसेन : सारे राजस्थान में पोस्ट ग्रेज्यूएट कक्षाएं हैं फिर बीकानेर में क्यों नहीं है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अजमेर में है, जोधपुर यूनिवर्सिटी में है, उदयपुर यूनिवर्सिटी में प्राप्त की जा रही हैं, यहां की यूनिवर्सिटी में है ।

श्री भीमसेन : बीकानेर में व्यवस्था क्यों नही की जा रही है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : नीति यह है कि यूनिवर्सिटी में इनका केन्द्रीकरण किया जाय जिससे विद्यार्थियों को सुविधा मिल सके ऐसी स्थिति में दूसरे महा विद्यालयों में ऐसी सुविधाएं देने का प्रावधान नहीं है । अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज में पोस्ट ग्रेजूएट कक्षाएं हैं, कोटा में केमिस्ट्री में है, जोधपुर यूनिवर्सिटी में है, यहां के विश्वविद्यालय में हैं, उदयपुर यूनिवर्सिटी में प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है । तो नीति यह है इनका केन्द्रीकरण किया जाय ।

श्री माणिकचन्द सुराणा : क्या यह सुविधाएं कोटा में उपलब्ध नहीं हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : सिर्फ केमिस्ट्री में है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

लेबर कालोनी के लिये हाउसिंग लोन

२७१. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या—श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(१) क्या राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से लेबर कालोनी के लिये हाउसिंग लोन मिला है ?

(२) अगर हां, तो कितना कितना व कब कब उसका वितरण व उपयोग कहां कहां व किस प्रकार किया गया ?

उप मन्त्री श्रम (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां ।

(२) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या मन्त्री महोदय स्पष्ट करने का कष्ट करेंगे कि जो लिस्ट दी है उसमें ४८,५३,३२५) रुपया बताया

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

है, आगे सूची दी है उसमें ७,६८,५०१) रुपया बताया है, १५,२३,३,४२) और बता दिया तो यह कैसे अलग अलग फिगर्स हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : सब्सिडाइजिंग हाउसिंग स्कीम में है, इसमें लोन ही नहीं दिया जाता है भारत सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है। जो आपने पूछा है लोन के बारे में वह ४८,५३, ३५०) रुपए हैं और उस लोनके अलावा जो सब्सिडी दी गई है उसको इन्क्लूड करके जो गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू मकान बनाए हैं, वह पहले पेज के दूसरे पैरा में है, दोनों इन्क्लूड करके यह खर्चा हुआ है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसका मतलब यह हुआ कि यह जो ४८,५३,३५०)रु० लोन है उसमें से केवल अभी तक १५ लाख ही खर्च किया गया है। सब्सिडी ७३,६८, ०००) है और जो लोन मिला है वह ४८ लाख से ऊपर मिला है और आपने १५ लाख ही खर्च किया।

श्री परसराम मदेरणा : आप समझे नहीं। इस स्कीम के अन्तर्गत तीन एजेंसीज हैं। गवर्नमेंट, एम्पलायर्स और इंडस्ट्रियल वरकर्स-कोऑपरेटिव सोसाइटीज आफ इंडस्ट्रियल वरकर्स पहला जो है उसमें ७३,६८,५०३) रु० खर्च हुआ है गवर्नमेंट स्कीम पर लोन या अनुदान दोनों मिलाकर। दूसरे में जो मैंने लिस्ट दी है उसमें १५,२३,२४३) रुपए हुआ है। ये जो एम्प्लायर्स ने हाऊसिंग स्कीम एग्जीक्यूट की है और वरकर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने एग्जीक्यूट किया है उन स्कीम्स पर १५,२३,२४३) रुपए लोन और सब्सिडी दोनों मिलाकर खर्च हुआ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि ४८ लाख में से केवल १५ लाख रुपए खर्च हुए है।

श्री परसराम मदेरणा : वह गलतफहमी हो रही है। ४८ लाख रुपये लोन हैं और १५ लाख रुपए एम्प्लायर्स वरकर्स कोऑप-रेटिव सोसाइटीज, उन पर खर्च हुआ है मय लोन और सब्सिडी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप स्पष्ट कर दें कि सब्सिडी तो कुल कितनी दी गई ? फिर दोनों का टोटल पूरा हो जायगा।

श्री परसराम मदेरना : सब्सिडी ४२,६२,७१४, रुपए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह लोन या सब्सिडी जो लेकर कालोनीज को देते हैं वह एम्प्लायर्स की ओर से सरकार को दरख्वास्त देने पर दिया जाता है या सरकार सूओ मोटो देती है ?

श्री परसराम मदेरना : इंडस्ट्रीज एप्लाई करती हैं। बहुत एप्लीकेशन्स सरकार के पास पहुंचती हैं। सरकार के पास इतना लोन नहीं आता है सेन्टर से। हम देखते हैं कि एम्प्लायर्स उस स्कीम को अंडरटेक कर सकते हैं तो लोन और सब्सिडी प्रोपोर्शनेटली देते हैं।

Page No. 14

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कई इंडस्ट्रीज ने सरकार को कई साल से एप्लाई कर रखा है और अभी तक उनको कुछ नहीं दिया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह बात सही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार इस बात पर विचार रखती है कि १९६४–६५ में जो रुपया मिलने वाला है उसमें कोटा के लिए लेबर कालोनी को देने का सरकार ऐलान करेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : कोटा में जो इंडस्ट्रियल संस्थाएं हैं उन्होंने राजस्थान सरकार के पास में बहुत सी एप्लीकेशन्स दी हैं कि उनको सब्सिडाइज्ड हाऊसिंग स्कीमों के लिए लोन मिलना चाहिए और सब्सिडी मिलनी चाहिए। उसमें से ओरियन्टल पॉवर केबुल्स के १०० मकान बनाने हेतु एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन भेज दी है और भूपाल इंडस्ट्रीज को ६२ मकान बनाने हेतु प्रशासनिक सैंक्शन दी जाय या नहीं यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या सरकार जो लोन और सब्सिडी देती है कॉलोनी बनाने के लिए उनका यूटीलाइजेशन हुआ या नहीं, कॉलोनीज कम्प्लीट हो गई या नहीं, इस बात का ध्यान रखती है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : यूटीलाइजेशन का सबूत यह है कि अभी तक तीन स्कीम्स के अंतर्गत ३८०० हाऊसेज बन गए हैं और जो कुछ लोन दिया, उसका बिल्कुल सही तरीके से यूटीलाइजेशन हो रहा है उसके एग्जीक्यूशन का बराबर सुपरवीजन किया जाता है और पी. डब्ल्यू. डी. ऑफीसर्स को उस स्कीम के कम्प्लीट करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। वे देखते हैं और हमारे पास में समय समय पर उसकी सूचना भेज देते हैं कि आया पर्टीक्यूलर स्कीम अंडरटेक की गई है अथवा नहीं, पूरी हुई या नहीं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर को ८,०६,८३०) रु० ६५२ क्वार्टर्स के लिए दिया गया था और इस बारे में सरकार के पास यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट आ गया है और क्या सरकार के पास इस प्रकार की नालेज है कि सारी की सारी बिल्डिंग्स कम्प्लीट हो गई हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इस बारे में मैं आप से निवेदन करू कि सरकार एक पर्टीक्यूलर फाइनेनशियल ईयर में लोन सैंक्शन करती है या सब्सिडी देती है वह इतना पर्याप्त नहीं है। जैसे कोटा में १०० मकान बनाने के लिए केबुल्स को सैंक्शन किया है लेकिन हो सकता है कि इस साल के बजट में से न दे सकें तो फिर सरकार की नीति यह है कि दूसरे फाइनेंन्शियल ईयर में दिया जाय इसलिए मैं यह बताने की पोजीशन में नही हूं कि इन्डिवीजूअल्स को जितने मकान बनाने के लिए सैंक्शन दी गई थी वह सब के सब पूरे हो गए हैं या नहीं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो रुपया किसी स्कीम के लिए दिया जाता है उसका पूरा फायदा एक्चु-

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

अल लेबरर्स को मिलना चाहिए, उनको ही मकान अलॉट होने चाहिए लेकिन कई जगह बड़े ऑफीसर्स को दिया जाता है। जयपुर उद्योग के अन्दर जो रुपया दिया गया है, जो कॉलोनी बनी है, वह सारी की सारी बेकार पड़ी है, लगभग दो तीन साल से खाली पड़ी है, अभी तक उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। मैं सरकार से चाहूँगा कि कम से कम इस बारे में सचेत रहें और देखें कि जो रुपया दिया गया है कॉलोनी के लिए वह कॉलोनी केवल मजदूरों के काम में आए।

श्री परसराम मदेरणा : कन्स्ट्रक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त होने और ऑडिटेड अकाऊन्ट्स के प्राप्त होने पर ही पैसा दिया जाता है और जब तक अकाऊन्ट्स हमारे पास नहीं भेजते हैं हम पूरा पैसा नहीं देते हैं। हमारे पास में इस प्रकार की शिकायत नहीं है कि वरकर्स को मकान रहने के लिए नहीं दिए गए और माननीय सदस्य को कोई इस प्रकार की जानकारी प्राप्त है तो मैं अवश्य उसकी एन्क्वायरी कराऊंगा और सरकार यह देखेगी कि उन मकानों में लेबरस को ही रहने की सुविधा मिले।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

शिक्षा संस्थानों के नाम बदलने के नियम

२७२. श्री जुझारसिंह (चेचट) :

(श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) द्वारा पूछा गया) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि महारानी गर्ल्स कॉलेज कोटा का नाम महारानी गर्ल्स कॉलेज से बदल कर श्रीमती बजाज कालेज कर दिया गया है! यदि हां तो क्यों?

(२) किसी शिक्षा संस्था के नाम देने व बदलने के क्या नियम हैं और पुरानी संस्थाओं के किस २ जगह राजस्थान बनने के बाद नाम बदले गए है और क्यों?

उपमन्त्री शिक्षा, (श्री निरंजन नाथ आचार्य) :

(१) जी नहीं। 'गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा' से बदल कर 'जानकीदेवी बजाज गर्ल्स कालेज कोटा' रखा गया है।

(२) किसी भी संस्था को नाम देने व बदलने के नियम सदन की मेज पर रख दिए हैं। राजस्थान बनने के बाद जिन जिन के नाम बदले गए हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जुझारसिंह : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि राजस्थान बनने के बाद में जो गवर्नमेंन्ट गर्ल्स कॉलेज कोटा था उसका कब नाम बदला गया और ओरिजिनली उसका क्या नाम था?

श्री निरंजननाथ आचार्य : महारानी कॉलेज नाम नहीं था?

श्री जुझारसिंह : कोटा स्टेट के मर्जर के बाद क्या नाम था, वह कब बदला गया

Page No. 16

(श्री झुझारसिंह)

और श्रीमती बजाज के नाम कॉलेज बनाने के लिए जो नियम थे कि ५० परसेंट ऑफ दी टोटल कास्ट आफ फर्नीचर और बिल्डिंग देना पड़ेगा डोनर को, क्या वह नियम पूरा हुआ ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पहले सवाल का उत्तर दूं या दूसरे का ?

महारानी गर्ल्स कॉलेज नाम नहीं था। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज था।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : लेकिन इसके बाद में महारनी गर्ल्स कॉलेज था।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : तो यह भी जानकारी आपको नहीं थी ?

श्री जुझारसिंह : मैंने पूछा कि कोटा स्टेट के मर्जर से पहले क्या गवर्नमेंट कॉलेज नाम था या महारानी गर्ल्स कालेज ?

श्रीमती नगेन्द्रबाला : सदन की मेज पर जो नाम परिवतंन करने के नियम रखे गए हैं उनमें यह है कि जो डोनर है, वह यदि इतना परसेन्टेज रकम का दे तो नाम बदला जा सकता है। तो क्या जिस समय पहले वह महारानी गर्ल्स कॉलेज था और जब बदलकर दूसरा नाम रखा गया तो क्या उसका डोनेशन खत्म हो गया जिसकी वजह से दूसरे डोनर का नाम रख दिया ?

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, इन्टर कॉलेज में भी गवर्नमेंट गर्ल्स इन्टर कॉलेज नाम था और महारानी साहिबा की ओर से कोई डोनेशन प्राप्त नहीं था।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहती हूं कि यह इन्फार्मेशन जो दी गई है, अधूरी है। राजस्थान में यदि यह माना जाय तो यह गलत नहीं होगा कि महारानी गर्ल्स हाई स्कूल ही नाम था। उसको कॉलेज में परिवर्तन किया गया। कोटा महारानी साहिबा का एजूकेशन से कितना लगाव था, बच्चियों की पढ़ाई लिखाई के लिए उनका कितना प्रेम था और कितना प्यार था यह उस समय के हम देखने वाले ही जानते हैं। उन दिनों बच्चियां पढ़ने जाती थीं तो उनको ड्रेसेज फ्री मिलती थीं, उनको नश्ता फ्री मिलता था और उनके लिए मनोरंजन के कार्य इसलिए रखे गए थे कि बच्चियों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाये और उसमें उसकी लगन हो जाय। यह उनका सबसे बड़ा डोनेशन था। एक डोनर को खत्म करके दूसरे का नाम दे सकते हैं। डोनर का डोनेशन के अनुसार इस प्रकार आप नाम परिवर्तन करते हैं तो फिर 'गांधी पार्क' है तो कल उसको 'नेहरू पार्क' कर देंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, इसकी तीन स्टेजेज हैं। पहली स्टेज हाई स्कूल थी। यह ठीक है अध्यक्ष महोदय। उसके बाद यह इन्टरमिजियेट कॉलेज बना यह भी ठीक है और उसके बाद यह डिग्री कॉलेज बना यह भी ठीक है। महारानी साहिबा का नाम हाई स्कूल तक ही था लेकिन इन्टर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के बाद महारानी साहिबा का कोई डोनेशन प्राप्त नहीं हुआ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, क्या यह·······

श्री अध्यक्ष : ओर्डर प्लीज । सुनिये तो सही।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बिल्डिंग हाई स्कूल के लिए थी। अपर्याप्त थी डिग्री कॉलेज बनने के बाद। इन्टर कॉलेज के लिए भी अपर्याप्त थी। कई बिल्डिंग्स ढूंढ़ी गईं। उसके बाद जनाना अस्पताल की बल्डिंग में एडीशन और एल्ट्रेशन के लिए १५ हजार रुपया खर्च किया गया लेकिन वह भी बिल्डिंग अपर्याप्त है। सोच रहे हैं कि दूसरी बिल्डिंग बनाई जाय जिसका ८ लाख ६५ हजार का तखमीना है। सेन्क्शन भी, अध्यक्ष महोदय, हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष : नाम परिवर्तन का कारण तो नहीं बताया आपने।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, पूछा ही नहीं किस आधार पर किया गया। अध्यक्ष महोदय, नाम बदलने का कारण यह था कि जमनालाल बजाज ट्रस्ट की ओर से एक लाख रुपया डोनेशन का देने को कहा गया और उसमें से ३५ हजार रुपया उन्होंने दे दिया। यह प्रश्न तो अलहदा है, अध्यक्ष महोदय, कि उन्होंने दे दिया। लेकिन श्रीमती जानकी देवी बजाज की इस क्षेत्र में राजस्थान में और उसके बाहर स्त्री शिक्षा में सहयोग और सेवायें रही हैं। राज्य सरकार ने यह नीति बनायी है कि इन कॉलेजों के नाम वीरों के नाम पर, सन्तों के नाम पर और वीरांगनाओं के नाम पर तथा सामाजिक क्षेत्र में जिन्होंने ख्याति प्राप्त की है उन महिलाओं के नाम से संस्थाओं और डिग्री कालेजों का और हायर सेकेन्डरी स्कूलों का नाम रखा जाय। इसी नीति के अनुसार चूंकि सामाजिक क्षेत्र में श्रीमती जानकी देवी बजाज का प्रमुख योग रहा है और यह उनका प्रमुख क्षेत्र रहा है, इससे माननीय सदस्या भी इन्कार नहीं कर सकती, इसलिए उनके नाम पर यह नाम बदला गया।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : आप कुछ गलत धारणाएं मत बनाइये। इसमें कोई शंका नहीं कि श्रीमती जानकी देवी बजाज के प्रति हमारी श्रद्धा है और प्रेम है। गर्ल्स कॉलेज कोटा इन्टरमिजियेट कॉलेज होते हुए भी महारानी गर्ल्स इन्टर कॉलेज के नाम से था और डिग्री कॉलेज होते हुए भी उसको अभी बदला है। आप कहते हैं कि वीरांगनाओं और सन्तों के नाम से रखा गया है। लेकिन जिन्होंने नाम रखा था उनकी सामाजिक सेवा की तरफ और महिला शिक्षा के प्रति बड़ी सेवा थी। यह कह कर कि जानकी देवी बजाज के प्रति श्रद्धा है, उनके नाम से नये कॉलेज और स्कूल बना लें लेकिन किसी एक के महत्व को खत्म करके दूसरे को रखना, एक का नाम बदलना और दूसरे का रखना यह कोई समाज सेवा के लिए प्रोत्साहन देने की बात नहीं है। आपने परसेन्टेज बताया है वह परसेन्टेज आपको मिल गया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : १ लाख में ३५ हजार दे दिया, बाकी मिल जायगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि जहां जहां पर महाराजा और महारानी कॉलेज बने हुए हैं उनका नाम भी परिवर्तित करेंगे ?

श्री निरंनाथ आचार्य : बदला है, अध्यक्ष महोदय।

श्री जोधसिंह : क्या मन्त्री महोदय, अपनी फेमिली का नाम रखने के लिए तो यह भी बदल सकते है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरी फेमिली का तो सवाल नहीं है। आपकी फेमिली भी इतिहास से गायब है और मेरी फेमिली भी इतिहास से गायब है।

ली जो बनी है, राष्ट्र के संग्राम में और स्वतन्त्रता संग्राम में जिन्होंने योगदान दिया है उनकी ओर आपको मालूम है कि संत कवियित्री महासती मीरां, उसके नाम से उदयपुर में मीरा कॉलेज खुला है। आप का इतिहास भी महाराणाओं के इतिहास का एक सकेत है, एक सदेश है।

कई माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय........

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रश्न यह हैं कि........

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा एक प्रश्न है अध्यक्ष महोदय।

प्रश्न संख्या २७३

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली)

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २७४

श्री भैरवलाल' 'काला बादल''

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया।

पंचायत भूमि पर अवैध निर्माण कार्य पंचायत समिति—मोरीजा

२७५. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि पंचायत मोरीजा, तहसील आमेर, पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में श्री मालीराम पुत्र लक्ष्मीनारायण लाल महाजन ने पंचायत की भूमि पर पंचायत की इजाजत बिना पुख्ता भवन बनवा लिया है।

(२) क्या यह भी सच है कि पंचायत ने बार बार निर्माण कार्य रोकने के नोटिस दिये पर श्री मालीराम नहीं माने ?

(३) क्या यह भी सच है कि दिनांक १७–२–६१ को उक्त महाजन ने कुछ लोगों के साथ मारपीट की है ?

(४) क्या यह भी सच है कि उक्त निर्माण कार्य की सूचना जिलाधीश जयपुर को दी गई पर जिलाधीश ने कोई कार्यवाही नहीं की ?

(५) क्या यह भी सच है कि उक्त अवैध निर्माण को रोकने में पंचायत ने पुलिस से

Page No. 19

(श्री जयनारायण सालोदिया)

मदद मांगी पर पुलिस ने आनाकानी की व मदद नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ?

मंत्री, पंचायत विभाग (श्री भीखा-भाई) : (१) जी हां। मकान का बरामदा बनाया गया है।

(२) जी हां। केवल एक नोटिस २२ ७-६१ को दिया गया।

(३) जी हां। झगड़ा हुआ है।

(४) जिलाधीश ने सूचना मिलने पर जांच करवाई।

(५) पुलिस की आवश्यक मदद दी गई।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मंत्री महोदय ने बताया पुलिस को जानकारी नहीं दी गई है। मेरे पास पुलिस की ओर से जो लिखित में नोटिस दिया था उस पर थानेदार के हस्ताक्षर की रसीद है और मोहर उसकी है। यह कतई गलत कहा गया है कि पंचायत से पुलिस की मदद नहीं मांगी गई।

श्री भीखाभाई : किस मामले में मांगी ? हमारे पास यह सूचना आयी है कि जब नोटिस की सर्विस ही नहीं हुई थी पुलिस की सर्विस ले ली गई थी। इतनी जानकारी है, माननीय सदस्य बता रहे हैं और जानकारी करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर) : पंचायत ने पुलिस के लिए मदद मांगी या नहीं कि जिसने अनधिकृत निर्माण कर लिया है उसको डिमोलिश करें और पुलिस उसमें मदद दे ?

श्री भीखाभाई : मेरे पास जानकारी यह है कि नोटिस चस्पा नहीं हो रहा था। नोटिस का सवाल था तो पुलिस की सहायता ली गई थी। इतनी जानकारी है।

श्री जयनारायण सालोदिया : थानेदार के हस्ताक्षर और मोहर हैं। एक आदमी बिना पंचायत की आज्ञा के रास्ते आम में निर्माण कर ले, पंचायत नोटिस दे उसको न माने, पंचायत ने थाने में लिखित में दिया और कलेक्टर साहब को लिखित में दिया उस पर भी वह नहीं माने तो उस पर गवर्नमेंट क्या विचार कर रही है ?

श्री भीखाभाई : गवर्नमेंट नहीं निर्णय कर सकती। पंचायत और पंचायत समिति को इसके लिए निर्णय करना चाहिये। पंचायत के सरपंच की लापरवाही से, अतिक्रमण किया है इसलिए सरपंच ने कोई कार्यवाही नहीं की इस कारण उसको हटा दिया गया और दूसरा सरपंच रखा दिया गया। अनऑथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन का सवाल है उसने उसी वक्त कार्यवाही की। माननीय सदस्य ने पूछा कि पुलिस को जानकारी दी गई। इतनी जानकारी थी कि नोटिस चस्पा करना था कि इसने अनऑथोराइज्ड निर्माण कर दिया, सरपंच की गलती थी इस कारण उसको हटा दिया गया।

Page No. 20

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय मंत्री महोदय गलत बात कह रहे हैं। मैं उनको चेलेंज करता हूं। सरपंच ने उनको नोटिस दिया, पंचायत के नोटिस को उन्होंने नहीं माना। सरपंच ने पुलिस को लिखा उसने कोई कार्यवाही नहीं की। सरपंच ने कलेक्टर को लिखा, उसने कोई कार्यवाही नहीं की। पंचायत समिति को लिखा उसके इन्सपेक्टर ने मुआयना करके यह रिपोर्ट की कि यह निर्माण नियमों के खिलाफ हो रहा है, विकास अधिकारी आया उसने भी यही लिखा कि यह गलत निर्माण हो रहा है। सरपंच बारबार कहता रहा कि मकान यहां से हटना चाहिये किसी ने कार्यवाही नहीं की और आप कह रहे हैं कि सरपंच ने लापरवाही की इसलिए उसको हटा दिया। गवर्नमेंट ही उसको हटवाने में दिलचस्पी रखती है इस कारण से उसको हटा दिया गया। वह नहीं हटना चाहता था इस कारण यह खामी निकाल कर उसको हटा दिया गया।

श्री भीखाभाई : मैंने जैसा कि जवाब में कहा था कि अनऑथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन का नोटिस दिया था उस नोटिस की परिपालना नहीं हो रही थी तो पुलिस की मदद ली गई। जब पुलिस की मदद ली गई तो उसमें गफलत पायी गई। उस सरपंच और मालीराम के आपस में फौजदारी मुकदमें भी हुए हैं मेरी जानकारी है उतनी ही मैं दे सकता हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं और जानकारी दे सकता हूं। आप सरपंच को बचाना चाहते हैं। वर्तमान में जो काम कर रहा है उसको।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री महोदय बतायें कि जिस सरपंच को हटाया गया है उसको किस कारण से हटाया गया और अनऑथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन के सबन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री भीखाभाई : इसमें गवर्नमेन्ट का सवाल नहीं आता है। यह तो पंचायत के अधिकार का है गवर्नमेन्ट का जहां तक अधिकार है वह तो पचायत को संरक्षण दे सकती है। जहां तक इस कन्स्ट्रक्शन का सवाल है उस व्यक्ति ने वह तामीरात १०६×८० वर्ग गज बढ़ा दी। जिस सरपंच के समय में यह किया गया उसको चाहिये था कि अतिक्रमण का नोटिस देता लेकिन उसने दिया नहीं। उसकी गलती से नुकसान पंचायत को हुआ है।

श्री जयनारायण : पंचायत ने अतिक्रमण का नोटिस दिया था किन्तु उस नोटिस की पाबन्दी नहीं की गई। उसके बाद पुलिस की मदद मांगी गई, कलेक्टर को लिखा गया लेकिन किसी ने पंचायत की मदद नहीं की। उसके बाद सरपंच और मालीराम के झगड़ा हुआ। पंचायत तो चाहती थी कि मकान वहां से हटना चाहिये। इस तरह जो सरपंच अच्छा काम करता था नियमों के अनुसार काम कर रहा था उसको अलग किया गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कांग्रेस का नहीं होगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : मौजूदा सरपंच है वह तो उस तामीरात को वैसी की वैसी रखना चाहता है। मैं तो यहां तक प्रूफ दे सकता हूं कि वह लावारिश जमीन है सरकार

Page No. 21

(श्री जयनारायण सालोदिया)

की जमीन है उस जमीन पर अतिक्रमण करके रास्ते में मकान बना लिया है। मौजूदा सरपंच जिसको आप अच्छा समझते हैं उसने इजाजत दे दी है।

श्री भीखाभाई : अच्छा या बुरा मैं किसी भी सरपंच के बारे में नहीं कह सकता। जिस सरपंच की गफलत हुई, जिसके कारण यह अन आथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन हुआ उसकी कलेक्टर द्वारा जांच की गई, विकास अधिकारी द्वारा जांच की गई और जांच से वह सरपंच दोषी पाया गया।

श्री जयनारायण : सालोदिया यह तो मेरे पास फेक्ट है माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अब इसकी क्या पोजीशन है क्या मौजूदा पंचायत ने इसको आथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन मान लिया है और इसका पट्टा भी दे दिया है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय मंत्री महोदय ने यह फरमाया कि उस सरपंच को इसलिये हटाया गया कि उसने नोटिस नहीं दिया था और मालीराम ने अन आथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन कर लिया। इसी आधार पर उस सरपंच को हटा दिया गया कि उसने अतिक्रमण का नोटिस नहीं दिया था। अब क्या सरकार उसको अतिक्रमण मानकर उस व्यक्ति को उस जमीन से हटाने की कार्यवाही करेगी ?

श्री भीखाभाई : यह तो पंचायत की भूमि है इसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है। उनको दावा करना चाहिये जाब्ते के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिये। स्थानीय संस्थाएं अपने ढंग से कार्यवाही कर सकती हैं। सरकार उसमें हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखती।

श्री मानिकचन्द सुराणा : किसी ने किसी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया चाहे वह पंचायत की भूमि ही क्यों न हो लेन्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा ९१ के अनुसार गवर्नमेन्ट कार्यवाही कर सकती है। जो सरपंच उस मकान को डिमोलिश करने की कार्यवाही करना चाहता था उसको तो आपने हटा दिया और मकान वह उसी प्रकार खड़ा रहे यह पंचायत राज की बहुत ही विकृत तस्वीर है।

श्री जयनारायण : सालोदिया उसके बाद भी आपने उस सरपंच को तो हटा दिया जो टीक कानून के अनुसार कार्य कर रहा था अब मौजूदा जो सरपंच है उसने उस मालीराम का पक्ष लिया है और उस मकान को बरकरार रखना चाहता है। अतः उसके अधिकार को रद्द किया जाना चाहिये।

श्री भीखाभाई : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है कि मौजूदा सरपंच उसको रखना चाहता है या गिराना चाहता है। हो सकता है उसके बारे में पंचायत रेजोल्यूशन हो इन सब बातों को देखना होता है इसलिये गवर्नमेन्ट किसी प्रकार का कमिटमेन्ट नहीं कर सकती।

श्री जयनारायण : सालोदिया उस जमीन का पट्टा दे दिया गया है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक सरपंच को इसलिये हटा दिया कि नोटिस देने में कानूनी खामी रह गई अन ऑथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन का नोटिस दे दिया ट्रेस पास का नोटिस नहीं दिया। इसी आधार पर यदि पंच सरपंच को हटाया जाता है तो इससे अधिक अधिकारों का दुरुपयोग सरकार द्वारा और क्या हो सकता है।

श्री भीखाभाई : सालोदिया इसके अलावा और भी गम्भीर चार्ज शीट हो सकती है उसके खिलाफ उसको हटाने में। यह बात सही है कानूनी ढंग से जो कार्य सरपंच को करना था वह नहीं किया।

श्री जयनारायण (सालोदिया) : एक आश्वासन आप दे सकते हैं आप जब मकान को अन ऑथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन मानते हैं अगर मौजूदा सरपंच ने उसका पट्टा दे दिया तो सरकार क्या विचार रखती है ?

श्री भीखाभाई : अगर सरपंच ने पंचायत के प्रस्ताव पर ऐसा किया है तो सरकार उसमें क्या कर सकती है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं इस तरह से स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को हमें कुछ लेटिट्यूड देकर के चलना होगा। बेईमानी की है, अनियमितता की है, उसको भी बरदाश्त करना पड़ेगा।

श्री मानिकचंद सुराणा : आप कहते हैं यह हम लोगों का धन्धा नहीं है जहां तक कानून का सवाल है आप इधर उधर की बातें कह कर गिरफ्त से निकलने की चेष्टा करते हैं। माननीय मन्त्री महोदय ने जैसा बयान दिया कि उक्त सरपंच ने ट्रेस पास का नोटिस नहीं दिया इसलिये उसको हटा दिया गया। इससे साफ तौर से निष्कर्ष निकलता है जान बूझकर सरपंच के खिलाफ कानूनी अधिकार न होते हुए उसको पेनेलाइज करने के लिये गैर कानूनी ढंग से कार्य किया अनऑथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन किया, क्या सरकार उसको हटाने के लिये तैयार है ?

श्री जयनारायण : सालोदिया इसका प्रमाण यह है कि दूसरे सरपंच ने आकर उस गलत मकान का पट्टा दे दिया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भानुप्रसाद कराडिया।

२७६. श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमू) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) भीलवाड़ा में हरिजन सेवक संघ कब से चालू है तथा उसे आज तक सरकार से कितनी कितनी धनराशि मिली है तथा इस संस्था ने क्या क्या कार्य किये हैं ?

(२) इस संस्था द्वारा कौन कौन से छात्रावास चलते हैं तथा किन स्थानों पर तथा उन पर सालाना व्यय कितना किया जाता है ?

(३) क्या यह संस्था सुचारु रूप से चल रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उपमन्त्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) हरिजन सेवक संघ भीलवाड़ा २५ मार्च सन् १९५१ से कार्य कर रहा

Page No. 23

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

है लेकिन इस संघ को समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता सन् १९५२, ५३ से दी जा रही है। समाज कल्याण विभाग द्वारा जो सहायता सन् १९६३, ६४ तक दी गई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इस संस्था ने मुख्य तया अस्पृश्यता निवारण, आर्थिक उन्नति, भंगी कष्ट मुक्ति शिक्षण एवं संस्कार आदि कार्य किये हैं।

(२) हरिजन सेवक संघ भीलवाड़ा द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावासों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इन छात्रावासों पर औसतन सालाना व्यय की सूचना सूची में अंकित है।

(३) जी हां यह संस्था सुचारु रूप से चल रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री भानुप्रसाद कराडिया : जिन जिन संस्थाओं के बारे में कहा गया कि इनको पैसा दिया गया और सुचारु रूप से कार्यवाही कर रही है यह गलत है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इस संस्था के सेक्रेटरी के रूप में कौन काम कर रहा है कौन महाशय है और कितने अरसे से काम कर रहे हैं।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह जानकारी मेरे पास नहीं है। संस्था का सेक्रेटरी कोई भी हो जहां तक काम का सवाल है वह सुचारू रूप से चल रहा है।

श्री भैरोंसिंह : १९५२ से ६४ तक कितने लाख रुपये दिये गये ?

श्री मुरलीधर व्यास : अस्पृश्यता निवारण के लिए कितना रुपया खर्च किया गया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : विभिन्न योजनाओं के लिये अलग अलग है जिसकी सूचना सूची में दे दी गई है।

श्री मुरलीधर व्यास : कुल कितना रुपया दिया गया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह सूची में दे दिया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : सूची तो एक माननीय सदस्य के पास होती है सब तो उसको देख नहीं सकते आप इतना बता दीजिये अस्पृश्यता निवारण के लिये कितना रुपया खर्च किया गया और ५२ के बाद में कितना दिया गया

(९.०० म० पू०)

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अध्यक्ष महोदय यह जानकारी मेरे पास नहीं है जो प्रश्न पूछा गया है उसकी जानकारी मैंने दी है। जो काम हो रहा है वह सुचारु रूप से हो रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह पूछना चाहता हूं कि सन् १९५२ से ६४ तक कितना रुपया आपने दिया है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री मुरलीधर व्यास : अस्पृश्यता निवारण पर आपने कितना पैसा खर्च किया है और उसकी क्या स्थिति है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : विभिन्न योजनाओं के लिये कितना पैसा खर्च किया गया, यह अलग प्रश्न है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह पूछना चाहता हूं कि कितना रुपया सन् ५२ से दिया गया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने सूची सदन की मेज पर रख दी है।

श्री मुरलीधर व्यास : सूची सब के पास नहीं पहुंच सकती और सब को देखने को नहीं मिलती। इसलिये मैं यही पूछना चाहता हूं कि कितना रुपया सन् ५२ के बाद में अब तक आपने दिया है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है इसको माननीय सदस्य देख लें।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, सूची आपके पास भी है। आपको, फिर समझ में नहीं आता कि, इसे बताने में क्या आपत्ति है ? क्या गड़बड़ी है ?

श्री अध्यक्ष : सूची सदन की मेज पर रखी है। आप उसे देख लीजिये।

एक माननीय सदस्य : सूची लंबी बहुत है क्या ?

(माननीय सदस्य के सूची पढ़ने के प्रयास पर)

श्री अध्यक्ष : सूची सदन में सारी पढ़ी जावे तो बहुत समय लगेगा। सूची लम्बी बहुत है। सन् ५२ : ५३ में १० हजार और ६३ में ६८ हजार। इसके बीच के वर्षों में कम ज्यादा है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह सूची दी है उसमें ३। लाख रुपया संस्थाओं को दिया गया है। इन संस्थाओं ने क्या किया है जानना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो बता दिया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उन्होंने यह बताया है कि पांच छात्रावास चल रहे हैं। ये ६१ से चल रहे हैं। सन् १९५२ से १९६१ तक रुपया दिया गया वह किस कार्य में खर्च किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : (श्रीमती प्रभा मिश्रा से) : कितना कितना दिया गया है यह जानकारी है या नहीं ?

श्री जयनारायण सालोदिया : दा साहब से पूछ लीजिये।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसका अलग अलग उत्तर नहीं दे सकती। सूची में दिया हुआ है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इस संस्था के जो संचालक हैं, वे सेक्रेट्री हैं; करीब ८ साल से वहीं पर काम कर रहे हैं और वे

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

हरिजन नहीं हैं। इसलिये अगली टर्न पर इस प्रश्न का उत्तर दिलाया जाना चाहिये। यह ३।। लाख का मामला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को कोई सेक्रेट्री से मतलब नहीं है। अव्यवस्था हो वह बतावें।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो सहायता दी गई उसको फाइनेन्स रूल्स के मुताबिक आडिट करवाई गई?

श्री अध्यक्ष : इसको स्थगित करते हैं अगली टर्न के लिये। एक स्थगित प्रश्न है।

स्थगित प्रश्न

(५-८-६४)

सरपंच के विरुद्ध शिकायतें ग्राम पंचायत गोलाना

४८. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) ग्राम पंचायत गोलाना, पंचायत समिति खानपुर, जिला झालावाड़ के सरपंच के विरुद्ध किस प्रकार की शिकायतें पेश होने के कारण सरकार द्वारा उन्हें निलम्बित करने के आदेश जारी किए गए थे?

(२) राज्य सरकार के आदेश कब जारी किए गए और उन्हें कब अमल में लाया गया? देर तक अमल में नहीं लाए जाने के क्या कारण थे या हैं?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) सर पंच को निलम्बित करने के कोई आदेश जारी नहीं किए गये।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, उत्तर सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : ऐसा जवाब दिया जो सुनना नहीं चाहते।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ये सुनाना नहीं चाहते इसलिये ही तो हम उसको वापिस सुनना चाहते है।

श्री भीखाभाई : (१) सर पंच को निलम्बित करने के कोई आदेश जारी नहीं किये गये।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह उत्तर जो मंत्री महोदय ने दिया है वह गलत है। सरपंच मुझ खुद से मिला था उसने मुझे निलम्बित के आदेश दिखाये थे। यह गलत है कहना कि उसको निलम्बित नहीं किया गया। मैं यह कहूंगा कि उसको निलम्बित ही नहीं किया गया, उसको डिसमिस भी किया गया है। उसको अपने पद से हटा दिया गया।

श्री भीखाभाई : मैं यह कहता हूं कि उसको निलम्बित नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने उसको निलम्बित करने के बाद एक दूसरे आदेश के जरिये उनको वापिस लिया गया ?

श्री भीखाभाई : उसको निलम्बित नहीं किया गया था इसलिये यह प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

श्री मानिचन्द सुराणा : उसको निलम्बित ही नहीं किया गया था बल्कि हटा दिया गया था और अपने पद से अलग कर दिया था।

श्री अध्यक्ष : जितना अलग आप समझते है, नहीं किया।

श्री भीखाभाई : हटा दिया गया था।

(शेम शेम)

Suspension order can be issued at any time. He was removed. It was said dy my Dy. Minister that he was removed.

श्री अध्यक्ष : आप सही बता दें।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उनको हटाने के बाद आज तक उनसे कोई चार्ज दूसरे ने ले लिया है या उनको हटाने के बाद उनको रिइन्सटेट कर दिया गया है ?

श्री भीखाभाई : रिइन्सटेट का प्रश्न नहीं है। चार्ज लेने की सरकार की कोई मंशा नहीं है........

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उनको हटाने से पहले कोई चार्ज शीट नहीं दी गई ?

श्री भीखाभाई : यह अलग प्रश्न है। क्योंकि उसकी कार्यवाही जो होती है वह बराबर पंचायत एक्ट के अन्तर्गत रूल्स हैं उसके मुताबिक होती है। नोटिस वगैरा दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : पंचायत एक्ट के अनुसार हटाने से पहले उसको चार्ज शीट देना पड़ता है और उसी आधार पर निलम्बित करने का प्रावधान है। क्या आपने जो प्रावधान है उसके अनुसार कार्यवाही की है।

श्री भीखाभाई : जो एक्ट में प्रावधान है उसके मुताबिक कार्यवाही की जाती है।

श्री भैरोंसिंह : जो प्रावधान हैं उन्हीं के अनुसार उनको निलम्बित किया गया है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : निलम्बित नहीं किया गया है यह पहले ही कह चुका हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

काबिल काश्त भूमि पर जंगल, बूंदी रेंज

२६०. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन):— क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(१) क्या यह सही है कि वन विभाग बूंदी रेन्ज काप्रेन के द्वारा ग्राम गंवर, बढ़ गांव सखावदा आदि के किसानों की काबिल काश्त भूमि जिसका वे लगान दे रहे हैं अपनी बता कर जंगल लगवाना प्रारम्भ कर दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि इस कारण किसानों में सरकारी अधिकारियों की इस प्रकार की कार्यवाही से भारी असन्तोष है एवं कलेक्टर साहब को इसकी सूचना दी गई है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

बकाया ऋणों की वसूली-पंचायत समिति बिलाड़ा व भोपालगढ़

२६२. **श्री चन्द्रसिंह बर्फा** (बिलाड़ा):— क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जोधपुर जिले की बिलाड़ा और भोपालगढ़ पंचायत समितियों द्वारा दिये गये सब प्रकार के ऋणों में से कितना ऋण अवधिवार बकाया है ?

(२) क्या ऐसे बकाया ऋणों की वसूली की कार्यवाही पी. डी. आर. की धारा ६ के तहत की गई ? यदि हां, तो वसूली की क्या प्रगति है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) पंचायत समिति बिलाड़ा में कोई बकाया नहीं है व भोपालगढ़ में ७०३३२) रु० की बकाया है।

(२) नियमानुसार वसूली राजस्व की बकाया की तरह की जा रही है। पंचायत समिति भोपालगढ़ में कुल १,५०,१७६) रु० की बकाया थी उसमें से ७९,८४४) रु० की वसूली करली गई।

मकान व कुआं बनाने हेतु धनराशि—दौसा

२६७. **श्री मूलचन्द चौधरी** (दौसा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

समाज कल्याण विभाग द्वारा तहसील दौसा में सहायतार्थ कुल कितनी धनराशि सन् १९६३–६४ में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों को मकान बनाने व कुआं बनाने हेतु दी गई ? तथा सन् १९६३–६४ में उक्त कार्यों हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत थी ?

उत्तर

समाज कल्याण विभाग द्वारा तहसील दौसा में सन् १९६३–६४ में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों को मकान बनाने व कुआं बनाने हेतु ६०००) रुपये पंचायत समिति को दिये गये थे। सन् १९६३–६४ में उक्त कार्यों के लिये समस्त राजस्थान में पंचायत समिति क्षेत्र में ५.५१ लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी।

Page No. 28

(समाज कल्याण मंत्री)

इसके अतिरिक्त नगरपालिका क्षेत्रों में सीधे विभाग द्वारा मकान व कुऐ बनाने के लिये ३.६२ लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी।

नाजायज शराब के मामले, डूंगरपुर

२६६. श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर): क्या आबकारी एवं कर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) आबकारी इन्सपेक्टर डूंगरपुर ने अपने कार्य क्षेत्र में दिसम्बर, १९६३ से जनवरी १९६४ तक किन किन तारीखों में किन २ गांवों का दौरा किया तथा नाजायज शराब बनाने के कितने मामले पकड़े ?

(२) क्या यह सही है कि उनके द्वारा जिन मकानों की तलाशियां उपरोक्त अवधि में ली गई हैं वे उन मकानों के मालिकों के सामने नहीं ली गई ?

(३) क्या यह सही है कि तलाशियां मकान मालिकों की उपस्थिति में ही ली जानी चाहिये थीं ? यदि हां, तो ऐसा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

(४) क्या यह सही है कि भूतपूर्व स्टेट के जमाने में जब भी इस प्रकार की तलाशियां हुआ करती थीं वे गांव के मुखिया या सरपंच की उपस्थिति में हुआ करती थीं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रथा में निहित महत्व को ध्यान में रखकर इस प्रकार की तलाशियों में इस प्रथा को पुनः लागू करवाने का विचार रखती है, विशेषतः इस कारण कि वह क्षेत्र शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कोई ऐसी अन्य व्यवस्था लागू करने का विचार रखती है जिससे उस क्षेत्र के बिना पढ़े लिखे लोगों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो सके ?

उत्तर

(१) आबकारी इन्सपेक्टर डूंगरपुर ने अपने कार्य क्षेत्र में दिसम्बर, १९६३ से जनवरी, १९६४ तक २४ गांव का दौरा किया व २० नाजायज कशीदगी के मुकदमें पकड़े। इनका विवरण संलग्न सूची में अङ्कित है।

(२) जहां मकान मालिक उपस्थित थे वहां मकान मालिकों की उपस्थिति में तलाशी की गई, जहां मकान मालिक उपस्थित नहीं थे वहां उनके घर के दूसरे व्यक्ति उपस्थित थे ? सारी तलाशियें मौतबिरों के समक्ष की गई।

(३) जी नहीं। साधारणतया तलाशियां मकान में रहने वाले (occupaint) की उपस्थिति में ली जाती है। उनके मौजूद नहीं होने पर उनके किसी प्रतिनिधि को तलाशी में शरीक किया जाता है। हर तलाशी मौतबीरान के सामने ली जाती है। सम्बन्धित केसेज में तलाशियें नियमानुसार ही ली गई है।

(४) भूतपूर्व डूंगरपुर राज्य में तलाशियें मुखिया तथा सरपंच की उपस्थिति में ही ली जाने की कोई बात होने की जानकारी नहीं है। मुखिया या सरपंच गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है अतः उसकी उपस्थिति में तलाशी ली जाने में इस समय भी कोई मनाई नहीं है, किन्तु कानूनी स्थिति यह है कि जांच करने वाला अधिकारी किन्हीं भी मौतबिर व्यक्तियों के समक्ष जो उसको तलाशी लेने के समय उपलब्ध हो सकें तलाशी ले सकता है। केवल गांव के मुखिया

और सरपंच को ही तलाशी में शरीक रखा जावे इसके लिये कोई प्रावधान नहीं है। तलाशी जाब्ता फौजदारी के अनुसार की जाती है और इसमें शिड्यूल्ड टाइम्स के लिये कोई विशेष व्यवस्था नहीं रखी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

स्टेट आयुर्वेदिक स्टेंडिंग बोर्ड की बैठकें

२७३. **श्री संपत्तिलाल बोहरा**(मावली) क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) स्टेट आयुर्वेदिक स्टेंडिंग बोर्ड की स्थापना से अब तक कितनी बैठकें हुई ?

(२) इन आज तक की बैठकों में किन किन स्वीकृत प्रस्तावों को राज्य सरकार ने क्रियान्वित किया ?

(३) क्या यह सही है कि संचालक महोदय ने इन प्रस्तावों को क्रियान्वित करने में शिथिलता बरती और सरकार को गुमराह किया ?

(४) राज्य सरकार इन प्रस्तावों में से निकट भविष्य में कितने प्रस्तावों को कार्यान्वित करने की स्थिति में है ?

(१) स्टेट आयुर्वेदिक स्टेडिंग बोर्ड की स्थापना १६५५ में हुई तब से अब तक इस बोर्ड की ६ बैठके हुई हैं।

(२) सूची में अंकित है और सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(३)जी नहीं।

(४) राज्य सरकार के बोर्ड की ६–८–६४ की बैठक में पारित प्रस्तावों में से निम्नलिखित प्रस्ताव विचाराधीन है:—

(१) आयुर्वेद एकेडमी की स्थापना करना।

(२) रिक्त गजेटेड पदों की शीघ्र पूर्ती करना।

(३) पाठ्यक्रम के विषय में।

(४) वैद्यों को विष उपविष आसानी से मिल सकें इसकी व्यवस्था करना।

(५) कालेजों में श्वेच्छेदनालय की व्यवस्था करना।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

भील कालोनी, काणवां कुंज, मनोहरथाना

२७४. **श्री भैरवलाल 'काला बादल'** (अकलेरा): क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भील कॉलोनी काणवां कुंज मनोहर थाना, जिला झालावाड़ के लिए कितनी धन-राशि स्वीकृत की गई थी ?

(२) उपरोक्त कॉलोनी का शिलान्यास किस तारीख को किसके द्वारा किया गया था ?

(३) इस काणवां कुंज कालोनी के लिये स्वीकृत धनराशि किस विभाग में जमा रही और उसमें से कितनी कितनी धनराशि किस २ काम में खर्च की गई ?

(४) इस भील कॉलोनी को दूसरी जगह बनाने की क्यों आवश्यकता हुई ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

रोड टैक्स की बकाया की वसूली

५६. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) रोड टैक्स के रूप में वसूली योग्य कितनी रकम बकाया है ?

(२) इसके वसूल करने के क्या नियम हैं और उन नियमों के अन्तर्गत वसूली क्यों नहीं की गई ?

(३) उपरोक्त टैक्स को वसूल करने के कितने मामले सरकार के पास विचाराधीन हैं और उन पर सरकार क्या विचार कर रही है ?

उत्तर

(१) ३१-३-६३ तक ६,६२,८६१ रुपये की राशि मोटर व्हीकल टैक्स के रूप में बकाया रही।

(२) वसूली के लिये पहले नियमानुसार बाकीदार को नोटिस दिया जाता है जिसकी तामील हो जाने के बाद वसूली न होने की हालत में सर्टीफिकेट पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट मुताबिक जारी कर जिलाधीश के मार्फत वसूली की कार्यवाही की जाती है।

(३) कोई नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

शराबबन्दी कार्य की प्रगति

५७. श्री मोहनराज (बाली) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राज्य में शराब बन्दी के कार्य को प्रगति देने हेतु राज्य सरकार ने १ अप्रेल सन् १६५६ को एक आदेश जारी किया था ? यदि हां, तो कृपया उस आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह भी सही है कि इसी हेतु सन् १६५८ में राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया था ? यदि हां, तो कृपया सदस्यों के नाम बतायें।

(३) उसकी कुल कितनी बैठकें अब तक हुई और कब कब ?

उत्तर

(१) उद्धारण आज्ञा की प्रति संलग्न है।

(२) आज्ञा की प्रति संलग्न है।

(३) ७ बैठक हुई:—

पहली बैठक	१०.४.५८
दूसरी ,,	२५.६.५८
तीसरी ,,	१३.६.५६
चौथी ,,	२०.१.५६
पांचवीं ,,	२.७.५६
छठी ,,	२०.१०.५६
सातवीं ,,	१७.१.६१

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

छात्रावासों में सुविधाएं

५८. श्री श्रवणलाल, (हिण्डौन)—क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान में कितने छात्रावास समाज कल्याण विभाग तरफ से चलते हैं ?

(२) इनमें से कितने अनुसूचित जाति तथा कितने अनुसूचित जन-जाति के हैं ?

(३) कितने छात्रावास ऐसे हैं जिन्हें सरकारी सहायता मिलती है ?

(४) इन छात्रावासों में से सरकार की ओर से क्या क्या सुविधायें प्रदान की जाती हैं ?

(५) क्या सरकार की तरफ से चलने वाले छात्रावासों व सरकार की सहायता से चलने वाले छात्रावासों में उपलब्ध होने वाली सुविधाओं में अन्तर रहता है ? यदि हां, तो क्या ? और क्यों ?

Page No. 31

उत्तर

राजस्थान में समाज-कल्याण विभाग की ओर से कुल ८८ राजकीय छात्रावास चलाये जा रहें हैं।

(२) इनमें से २६ अनुचित जाति के, ३६ अनुसूचित जन-जाति के, २ घुमक्कड़ जाति के व १८ विमुक्त जाति के छात्रावास चलाये जाते हैं।

(३) स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जाने ६५ छात्रावासों को विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है।

(४) राजीय छात्रावासों में सरकार की ओर से भोजन, आवास, वस्त्र, तेल, साबुन, पुस्तकें स्कूल फीस आदि की सुविधायें प्रदान की जाती हैं। सहायित छात्रावासों में भोजन, आवास, पानी व रोशनी, तेल, साबुन आदि की सुविधाएं दी जाती हैं।

(५) जी हां। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावासों में छात्रों के लिये प्राप्त अनुदान की रकम से भोजन, आवास, तेल, साबुन, पानी, व रोशनी की व्यवस्था के बाद यदि बचत रह जाय तो एक ड्रेस, पुस्तकों एवं पाठ्य-सामग्री व्यवस्था की जाती है।

स्वयंसेवी संस्थाओं के छात्रावास संचालन हेतु २५ रुपये प्रति छात्र प्रति महा विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है। जबकि विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में उपरोक्त समस्त सुविधाओं के लिये प्रति छात्र प्रति माह व्यय लगभग ५० रुपये होता है। इस अन्तर को दूर करने के लिये व राजकीय छात्रावासों दी जाने वाली सुविधाओं के समान, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावासों में सुविधायें प्रदान करने हेतु अनुदान की दर में वृद्धि करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

बसों के परमिट—झालावाड़

५६. श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) झालावाड़ व झालरापाटन से पिड़ावा वाया सोयत, हिम्मतगढ़, कडोदिया व भवानी मंडी से पिड़ावा वाया सुनेल कितनी बसें चलती हैं और कितनी बसों को परमिट मिला हुआ है?

(२) बरसात में कौन २ से रूट पर चलने वाली बसें बन्द हो जाती हैं?

(३) क्या यह सही है कि बरसात में झालावाड़ से पिड़ावा वाया हिम्मतगढ़ वाली बसों को झालावाड़ से पिड़ावा वाया सोयत चलने की इजाजत दी जाया करती है? यदि हां, तो ऐसा प्रबन्ध कब से किया जा रहा है?

(४) क्या यह सही है कि पिछले साल झालावाड़ ट्रान्सपोर्ट कम्पनी द्वारा अपील कर देने से झालावाड़ पिड़ावा वाया हिम्मतगढ़ वाली बसें काफी अर्से तक बरसात में वाया सोयत नहीं चल सकीं?

(५) क्या यह भी सही है कि झालावाड़ ट्रान्सपोर्ट कम्पनी ने सिर्फ पिछले साल ही

(श्री गोविन्दसिंह)

झालावाड़ पिड़ावा वाया सोयत बसों के खिलाफ अपील की ?

(६) क्या यह सही है कि पिछले साल आर०टी०ए० कोटा का रिजोल्यूशन दोषपूर्ण रहा और इसी कारण झालावाड़ ट्रांसपोर्ट कम्पनी को आर०टी०ए० के रिजोल्यूशन के खिलाफ अपील करने का अवसर मिला ?

(७) पिछले साल व इसके एक साल पहिले के आर० टी० ए० के रिजोल्यूशन की कापी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

१. झालावाड़ से वाया झालरापाटन होकर ही इन मार्गों के परमिट हैं जिन पर बसें चलती है जो निम्न प्रकार हैं:—

झालावाड़–सोयत–पिड़ावा

इस मार्ग पर एक बस का परमिट है जो चल रही है।

झालावाड़–हिम्मतगढ़–पिड़ावा

इस मार्ग पर दो बसों का परमिट है और दोनों बसें चल रही है।

झालावाड़–दुबल्या–कड़ोदिया–पिड़ावा

इस मार्ग पर सिर्फ एक बस का परमिट है जो चल रही है इस वक्त कच्चा रूट होने से बरसात में बन्द है।

भवानी मंडी से पिड़ावा वाया सुनेल

इस रूट पर एक बस है जो चल रही हैं इस समय बरसात होने के कारण बन्द है ?

(२) बरसात में झालावाड़ पिड़ावा वाया हिम्मत गढ़ रूट वाया दुबलिया, कड़ोदिया रूटों पर चलने वाली बसें बन्द हो जाती हैं।

(३) हां, यही है कि बरसात में झालावाड़ पिड़ावा वाया हिम्मतगढ़ बसों को झालावाड़ से पिड़ावा वाया सोयत होकर चलने की इजाजत दी जाती है। ऐसा प्रबन्ध सन् १९५८ से है।

(४) हां, यह सही है कि पिछले साल झालवाड़ ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा हाईकोर्ट में रिट कर कर देने से हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया था था किससे पिछले साल कुछ अर्से के लिये झालावाड़-पिड़ावा वाया हिम्मतगढ़ की बसें चावली नदी तक ही चलती रहीं।

(५) झालावाड़ ट्रांसपोर्ट कम्पनी हर साल अपील में जाती रही है पिछले साल तो अपील में नहीं आकर हाईकोर्ट में रिट की थी।

(६) जी नहीं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आर. टी. ए. के रिजोल्यूशन के टेम्पोरेरी नीड को आंशिक माना और रिट को पार्टली डिसमिस किया। थोड़ा टाइमिंग में रद्दोबदल के लिये आदेश दिया। झालावाड़ ट्रांसपोर्ट कम्पनी तो हमेशा के माफिक ही अपोज करने के लिये अपील में न जाकर हाईकोर्ट में गई।

Page No. 33

(७) सन् १९६२ के आर० टी० ए० के० रिजोल्यूशन नं० १२ दिनांक ३०.६.६२. की कापी सदन की मेज पर रखदी गई है। सन् १९६३ में सरक्यूलेशन नोट के जरिये टेम्पोरेरी परमिट दिये थे।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अध्यापकों के ग्रेड में अन्तर

६०. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा):— क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में आठवीं कक्षा पास करने पर जिन छात्रों को सीनियर टीचर पढ़ाते हैं, उन्हें २२५-४८५ का वेतनमान दिया जाता है तथा हायर सेकन्डरी कक्षा पास करने पर जो छात्र एस० टी० सी० में पढ़ते हैं, उनको पढ़ाने वाले अध्यापकों को १५०-१५-३०० का वेतन मान दिया जाता है ?

(२) इस अन्तर को कब तक मिटाया जायगा ?

उत्तर

(१) सीनियर टीचर्स मुख्यतया ११ वीं कक्षा को ही पढ़ाते हैं। ११वीं कक्षा के अलावा ९वीं व १०वीं कक्षा भी यदि उन्हें समय उपलब्ध हो तो पढ़ाते हैं। सीनियर टीचर के पद के लिये निर्धारित न्यूनतम योग्यता एम० ए० की है जब कि एस० टी० सी० अध्यापक के पद के लिये निर्धारित न्यूनतम योग्यता बी. ए०, बी० एड० ही है इसलिये सीनियर टीचर की वेतन शृंखला २२५-४८५ व एस० टी० सी० टीचर को वेतन शृंखला १७०-३३५ की रखी गई है।

(२) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

झालावाड़–पिड़ावा बसों का समय

६१. श्री गोविन्द सिंह (पिड़ावा):- क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) झालावाड़ से पिड़ावा व पिड़ावा से झालावाड़ वाया हिम्मतगढ़ कितनी बसों का परमिट है व उनका झालावाड़ से पिड़ावा व पिड़ावा से झालावाड़ रवाना होने व पहुंचने का क्या समय निर्धारित किया हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त मार्ग से पिड़ावा से झालावाड़ आने का साधन २.३० बजे के बाद कोई नहीं है ?

(३) क्या यह सही है कि जनता द्वारा बार-बार प्रार्थना की जा रही है कि एक बस पिड़ावा से झालावाड़ जो २.३० बजे (दिन) चलती है उसको ५ बजे चलाई जावे ? यदि हां, तो सरकार को समय बदलने में क्या दिक्कत आ रही है ?

उत्तर

१. झालावाड़-पिड़ावा बस मार्ग वाया हिम्मतगढ़ पर दो बसों के परमिट है इन बसों के झालावाड़ से पिड़ावा व पिड़ावा से झालावाड़ रवाना होने व पहुंचने का समय निम्न प्रकार है:—

(श्री गोविन्दसिंह)

रवानगी झालावाड़	पहुंच पिड़ावा
१. ०६. १५	१२. १५
२. १६. ३०	१६. ३०

रवानगी पिड़ावा	पहुंच झालावाड़
१. ०६. ३०	६६. ३०
२. १२. ३०	१५. ३०

(२) जी हां यह सही है। इस मार्ग से १२. ३० के बाद कोई बस पिड़ावा से नहीं आती है।

(३) सिर्फ न्याय पंचायत रायपुर की तरफ से ही यह प्रार्थना है कि पिड़ावा से झालावाड वाया हिम्मतगढ़ मार्ग पर चलने वाली बसों का टाइम बदली किया जाकर शाम को किया जावे इसके अलावा और कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नही हुये हैं। पिड़ावा से झालावाड़ वाया हिम्मतगढ़ मार्ग का टाईम जो अभी है वही रखने हेतु क्लेक्टर झालावाड़, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, झालावाड़ पिड़ावा क्षेत्र के विधान सभा सदस्य व रास्ते में पड़ने वाली सभी पंचायतों ने सिफारिश की थी। इस पर जो मौजूदा टाइम है वही आर० टी ए० ने रक्खा।

प्लान्टेशन पर व्यय--प्रतापगढ़

६२. **श्री हरलाल** (प्रतापगढ़):--क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या जिला चितौड़गढ़ तहसील प्रतापगढ़ में वन विभाग की ओर से ग्राम गन्धेर के पास प्लान्टेशन किया गया है ? अगर हां, तो कब ?

(२) इसमें अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है व अब तक कितने वृक्ष लगाये गये। इनमें से कितने वृक्ष जीवित ह और वे किस किस प्रकार के पेड़ हैं ?

(३) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ में वन विभाग की ओर से रेन्ज आफिस के पास भी नर्सरी लगाई गई है ? यदि हां, तो कब ?

(४) इस नर्सरी को लगाने में अब तक कितनी धन राशि खर्च हुई है ? व अब उस नर्सरी की क्या स्थिति है ?

उत्तर

(१) जी हां। सन् १९६०--६१ व ६२ में कुल ३०० एकड़ क्षेत्रों में वन विभाग की ओर से ग्राम गन्धेर के पास प्लान्टेशन किया गया है।

(२) इसमें ३१ मार्च ६४ तक ३०६४४) रू० खर्च हुये हैं और इसमें लगाये गये २९-४५० पौधों में से अभी तक २०१५० पोधे जीवित हैं तथा निम्न प्रकार के वृक्ष हैं:--

सागवान	शीशम
११६००	२८००

बकायन	नीम	आम	आंवला
७००	१७००	७५	१४००

कचनार	जामुन	-
१५५	६५	- २०१५०

इसके अतिरिक्त चन्दन, खैर, महुआ, चुरेल आदि कई प्रकार के बीजों की बुआई की गई है। जिनके फलस्वरूप कई हजार पोधे लगे हैं ?

Page No. 35

(३) जी हां, सन् १९५९—६० में

(४) इसमें ३१ मार्च ६४ तक २३५५६) रु० खर्च हुये हैं तथा नर्सरी की हालत अच्छी है ।

पंचायतों की ऑडिट रिपोर्ट—पंचायत समिति, दूदू

६३. **श्री अमरसिंह** (दूदू) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

पंचायत समिति दूदू की निम्न पंचायतों की नवीनतम ऑडिट रिपोर्ट की एक एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें :—

(१) ग्राम पंचायत, आकोदा

(२) ग्राम पंचायत, सादूलपुरा

(३) ग्राम पंचायत, बिचून

(४) ग्राम पंचायत, गिदानी

(पंचायत राज संस्थाओं की ऑडिट रिपोर्ट विधान सभा में रखने का मामला सरकार के विचाराधीन है ।)

हड्डियों का ठेका-पंचायत समिति, चाकसू

६४. **श्री नाथूलाल करौल** (चाकसू) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति चाकसू जिला जयपुर ने सन् १९६२-६३ में हड्डियों का ठेका किस ठेकेदार को कितने रुपये में दिया ?

(२) क्या ठेकेदार ने ठेका लेते समय पूरी रकम जमा करादी थी ? यदि नहीं, तो बाकी रकम वसूल हुई या नहीं ?

उत्तर

(१) श्री मोहम्मद इब्राहीम खां को १८१५१ रू० में दिया गया ।

(२) जी नहीं । बकाया रकम की वसूली की कार्यवाही चालू है ।

(९.८ म० पू०)

तहसील रामगढ़ के बावरियों पर अत्याचार संबंधी स्थगन—प्रस्ताव पर उप मंत्री, गृह द्वारा वक्तव्य

श्री अध्यक्ष: रामगढ़ तहसील में बावरियों पर अत्याचार के सम्बन्ध में श्री मुरलीधर व्यास का एक स्थगत प्रस्ताव है । गृह मंत्री इस पर प्रकाश डालें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री, गृह) : दिनांक २२-६-६४ को ग्राम मोठड़ी केसरीसिंह तहसील रामगढ़ में बावरियों ने अपने डेरे डाल रखे थे । उस रोज उन्होंने गांव की सरहद में दो तीन मोरों का शिकार किया जो अवैध था और जंगल बालोड़ी से अधिक संख्या में भेड़ बकरी आदि चुरा कर अपने मवेशियों में डाल कर ले जाने लगे । गांव के ग्वाल नाथूसिंह वगैरा ने दौड़ कर गांव में

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

इत्तला दी, जिस पर गांव देवीपुरा के कुछ लोगों ने अपने जानवर छुड़ाने की गरज से पीछा किया और जगसिंहपुरा के पास बावरियों से मुटभेड़ की, जिसके दौरान में देवीपुरा व सियों के चोटें पहुंची। सभी बावरी लोग बन्दूक, बरछी व सेलों आदि हथियारों से मुसल्ला थे। इस घटना की सूचना आसपास के गावों में और ग्रामीणों में जहां फेमिन रिलीफ कार्य हो रहा था मजदूरों में शीघ्र पहुँच गई जिससे कई लोग बावरियों का पीछा करने दौड़े। इससे स्थिति गंभीर हो गई। इसकी सूचना सी० ओ० रामगढ़ को रेलवे स्टेशन हडियाल पर मिली। उन्होंने तुरन्त एस. पी. को सूचना दी, और वे स्वयं मौके पर पहुंचे। वहां से उन्होंने थाने पर सूचना भेज कर मुकदमा दफा ३६५, ३६७, ३०७ में दर्ज करवाया। थानेदार भी मय फोर्स मौके पर पहुंच गये और एक्टिंग एस० पी० मय फोर्स लगभग ४ बजे तक मौके पर पहुंच गये। पुलिस अधिकारियों ने अपराधी बावरियों को आत्म-समर्पण करने के लिए व मवेशी लौटाने को समझाया परन्तु बावरी भागने लगे। उनका पीछा किया गया जो लगभग ८ बजे रात्रि तक चलता रहा और लगभग १८--२० मील तक पीछा किया गया। बावरियों ने इस दौरान, लगातार पुलिस व जनता, जो पीछे पीछे भाग रही थी, उन पर हमले भी किये और गोली भी चलाई, जिस पर पुलिस ने भी सेल्फ डिफेन्स में गोली चलाई। जोधा बावरी मारा गया और बखतावर बावरी घायल हुआ। पुलिस दल के दो कर्मचारियों को भी गोलियां व लाठियां जो बावरियों ने चलाईं, उनसे चोटें आई अन्त में पुलिस दल बावरियों को गिरफ्तार करने में सफल हुआ और उनसे छः बन्दूकें, तीन बर्छे व दो थैले मय गोलियों के बरामद हुए। चोरी गई मवेशी भी बरामद हुई। इस मामले में तफ्तीश पूरी करके चालान अदालत में पेश कर दिया गया है।

इन बावरियों के साथ किसी प्रकार पुलिस द्वारा कोई अत्याचार नहीं किया गया। जो कार्यवाही उनके खिलाफ की गई वह कानूनी दायरों में की गई। निर्दोष बावरी जो पीछे रह गये थे उन्हें पुलिस द्वारा पूरा संरक्षण दिया गया था, जिससे कि उत्तेजित जनता उन पर हमला न कर सके।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो भी वक्तव्य दिया है, मैं समझता हूं कि, इसके अन्दर बहुत कुछ बातों को इधर से उधर करके बताया गया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि कुछ समय पहले तो यह बात हुई जरूर कि किसी ने मोर मारा और उसके बाद में यह भी हुआ कि गांव के लोगों ने उन बावरियों को बुलाया भी, गांव के लोगों ने फैसला भी किया और जिन बावरियों से मोर मारा गया था उनके ऊपर ११ रुपये जुर्माने के किये गये और जुर्माने का रुपया भी वसूल किया। यह सारी कहानी तो यहीं पर समाप्त हो गयी। लेकिन उसके बाद में जो दूसरा पक्ष था उसने कहा कि तुमने इतनी हत्यायें करवा दीं, तुम तो पापी हो तो गांव में दो पक्ष हो गए। दूसरे पक्ष को बुलाया और कहा कि तुमको ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा और नतीजा वहां पर यह हुआ कि खिंचाव ज्यादा बढ़ गया। तो वस्तुस्थिति यह है कि ११ रुपये का जुर्माना लिया गया और उसके बाद में

(श्री मुरलीधर व्यास)

छोड़ दिया गया और गांव के आपस में झगड़े के बाद में यह बात आगे बढ़ी। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह हमला करने आये थे या उन्होंने कोई पशु चुरा लिये आपस में गोलियां चली यह बात बिल्कुल गलत है........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ध्यान रखें कि मुकदमा अदालत में चल रहा है इसलिए इस पर ज्यादा बहस न करें।

श्री मुरलीधर व्यास : उन्होंने यह कहा........

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कुछ कहा हो या नहीं लेकिन अभी यह मामला अदालत के समक्ष है, इसलिए उस पर बहस न करें।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं एक तो यह बताना चाहता हूं कि पहले ११ रुपया जुर्माना गांव के लोगों ने किया या नहीं ? दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो पीछा करने की बात कहते हैं कि उनके पास लाठियां थीं उनको पुलिस के अधिकारियों ने बुलाया भी, बातचीत भी की, भाग भी गए, मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय मन्त्री महोदय इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं कि उनको बुलाया भी और फिर भाग भी गये और उसके बाद में गोली चलाई। मैं कहता हूं कि आपके विभाग ने गोली चलाई और उससे मरे हैं। एक दूध पीता बच्चा था जिसकी टांग पकड़कर खींची गयी और वह टूट गई........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को बोलने का मौका दिया गया तो इसका मतलब यह नहीं होना चाहिये कि सारी कहानी ही सुनाने लग जायें। अदालत में मामला चल रहा है इसलिए इस पर ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास : तो माननीय मंत्री महोदय इतना ही बता दें कि ११ रुपये जुर्माने हुए या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आप तो सारी बातें ही खोदने लग गए। इससे तो अच्छा था कि आपको मौका ही नहीं दिया जाता। मन्त्री महोदय कुछ जवाब देना चाहें तो दे दें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय मन्त्री महोदय कह दें कि इस मामले की जांच चूरू के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट श्री सालेजा कर रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : एक छोटा सा प्रश्न यह है कि यह जो पुलिस ने चेज़ की इसमें बन बावरी कितने थे और कितने भाग रहे थे और उनके पीछे कितनी जनता थी और कितने आपके पुलिस विभाग के डी० एस० पी०, सबइन्सपेक्टर्स, हैड-कान्स्टेबल्स और कान्स्टेबल थे ? यह मन्त्री महोदय बताने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, यह जो बन बावरी मारे गए ऐसी कोई परि-स्थिति नहीं थी कि पुलिस गोली चलाये और ये मारे जायें।

श्री मुरलीधर व्यास : एक बच्चे को और एक औरत को भी गोली लगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह बात ठीक है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इसकी इन्क्वायरी करने के लिए डेप्यूट किये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने फिर कैसे कह दिया ? अध्यक्ष महोदय, एक परटीनेन्ट क्वेश्चन आता है कि आपने कैसे कह दिया कि उनके ऊपर कोई ज्यादती नहीं की ? जब मजिस्ट्रेट खुद इन्क्वायरी कर रहा है, लोगों के बयान हो रहे हैं रिपोर्ट जांच की अभी आई नहीं है फिर सरकार ने कैसे कह दिया कि बावरियों के साथ किसी प्रकार की ज्यादती नहीं हुई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : तथ्यों के आधार पर ।

श्री भैरोंसिंह : तथ्यों के आधार पर गवर्नमेंट कैसे कह सकती है। आपने यह कह कर मामले को छिपाने की कौशिश की कि मामला सबजूडिस है इसलिए गवर्नमेंट कुछ कमिटमेंट नहीं कर सकती और आपने अब स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बावरियों के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई हैं। फिर इन्क्वायरी का क्या मतलब रह गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यहां पर सबजूडिस होने का प्रश्न ही नहीं है। जो तथ्य हैं उनके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि बावरियों के साथ ज्यादती नहीं हुई है।

श्री भैरोंसिंह : फिर इन्क्वायरी किस बात की है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बावरी मारे गये उस सम्बन्ध में इन्क्वायरी है। आपने अपने एडजर्नमेंट मोशन में कहा कि बच्चों के साथ ज्यादतियां हुई हैं हमने कहा कि उत्तेजित भीड़ कहीं ज्यादती न कर बैठे इसलिए हमने और संरक्षण दिया ।

श्री भैरोंसिंह : आपने गवर्नमेंट लेवल-पर हाउस में यह कह दिया कि बावरियों के साथ किसी प्रकार की कोई ज्यादती नहीं हुई। क्या आप समझते हैं कि इसका असर जो इन्क्वायरी कर रहे हैं उनके दिमाग पर नहीं होगा ? और माननीय मंत्री महोदय जो स्वयं भी डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं वह बतायेंगे कि क्या गवर्नमेंट का इस प्रकार का कमिटमेन्ट किसी इन्क्वायरी को प्रेजुडिस नहीं करता है ? जैसी आपने भी सदन में बीसियों रूलिंगें दी हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो इन्क्वायरी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है उनके सामने हम भी तो एक पार्टी हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप पार्टी हैं तो फिर मुकदमा कौन बनायेगा ? यदि डिप्टी मिनिस्टर साहब मानकर चलते है कि हम भी एक पार्टी हैं तो पब्लिक की ग्रीवन्सेज तो मीट नहीं हो सकतीं।

श्री अध्यक्ष : सरकार तो कई दफा पार्टी बनकर जाती है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पुलिस आयेगी।

श्री अध्यक्ष : सरकार की तरफ से तो बोल ही रहे हैं।

Page No. 39

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस प्रकार की चीज में इन्क्वायरी करना उपयुक्त है, पुलिस रेगुलेशन्स के आधार पर है वह की जा रही है। अब आप कहते हैं कि पुलिस की ओर से कोई केस हो तो मैं जो कह रहा हूं वह पुलिस की ओर से कह रहा हूं। इस संबंध में पूछा गया तो हम यही जवाब देंगे कि तथ्यों के आधार पर, शहादतों के आधार पर यह बात है कि बावरियों के बच्चों के साथ कोई ज्यादती नहीं की गई और उत्तेजित भीड़ कहीं उन पर ज्यादती न करे इसलिए हमने उनको संरक्षण दिया। जो मैं यहां कह रहा हूं वही वहां पर कहूंगा।

श्री भैरोंसिंह : These words should be expunged from the proceedings of the House......... बारबार गवर्नमेन्ट इस बात का प्रोटेक्शन लेती है कि मामला अण्डर इनवेस्टीगेशन है और इन्क्वायरी चल रही है, सबजुडिस है। वही बात मंत्री महोदय कहते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह तो तफतीश के लिए है। मैंने यदा कदा यह कहा है कि तफतीश पुलिस कर रही है तो उसके शहादत के विश्लेषण के संबंध में नहीं पूछा जाये तो अच्छा है, इतन मैने कहा है। अब फायरिंग के संबंध में जो इन्क्वायरी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है पुलिस रेगुलेशन्स के अन्तर्गत उसमें अगर कोइ शहादत का प्रश्न आयेगा तो पुलिस का कथन जो सदन में मैने दिया है वह वहां पर भी देंगे। कोई कमिटमेन्ट का सवाल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : एक चीज आप और बता दें कि मजिस्ट्रेट की नियुक्ति गवर्नमेन्ट ने की है या मजिस्ट्रेट ने सुओ मोटो इन्क्वायरी इन्सटीट्यूट की है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : By the District Magistrate himself............

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत कोई डेथ होती है तो मजिस्ट्रेट काज आफ डेथ की इन्क्वायरी करता है और वही रूटीन की इन्क्वायरी वहां पर भी इन्सीटीट्यूट की गई है और उसकी फाइन्डिंग्स नहीं आई हैं उससे पहले मन्त्री महोदय अपना वर्शन दे रहे हैं कि वहां पर कोई ज्यादती नहीं की गई, मेरा क्वेश्चन अध्यक्ष महोदय बहुत रेलेवेन्ट है कि यदि उनके साथ ज्यादती नहीं की गई तो जो बावरी भाग रहे थे उनकी संख्या कितनी थी और उनके पीछे जनता कितनी थी और आपके पुलिस विभाग के अधिकारी जो उनका पीछा कर रहे थे उनकी संख्या कितनी थी ?

श्री अध्यक्ष : जितना हो गया है वही काफी है। अतः इस प्रश्न को यहीं समाप्त किया जाता है और अन्य वक्तव्य मंत्री महोदय देना चाहें तो दें।

श्री भैरोंसिंह : इस सदन के अन्दर जरूरत से ज्यादा शब्द सदन की प्रोसीडिंग्स में नहीं होने चाहिए इसलिए उन वर्ड्स को एक्सपन्ज किया जाय। यह एक रूलिंग का प्रश्न आता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह रूलिंग का प्रश्न है।

Page No. 40

श्री भैरोंसिंह : अब आप नहीं कह सकते। जरूरत से ज्यादा नहीं बोलें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप तो यह कह सकते थे कि इन्क्वायरी चली इसलिए एडजार्नमेंट मोशन नहीं लायें।

श्री भैरोंसिंह: मैं ऐसा समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इनको पता नहीं है कि कलेक्टर ने किन पोइन्ट्स पर जांच शुरू की है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : कलेक्टर ने नहीं की हैं।

श्री भैरोंसिंह - उन्हीं के बारे में आप कह रहे है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : डिस्ट्रक्ट मजिस्ट्रेट ने की है। कलेक्टर्स को कोई पावर्स नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो अपॉइन्टमेंट के लिए आर्डर लिखा है उस आर्डर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने स्वीकार किया है कि पुलिस की ज्यादती है ऐसी लोगों की शिकायत है इसलिए इस मामले में जांच की जाय।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अगर वह स्वीकार करते तो यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता यह प्रश्न उलटा सबजुडिस है। उसके आधार पर नहीं है। इम्पार्शल एन्क्वायरी का प्रश्न पुलिस रेग्युलेशन्स के सम्बन्ध में है। जहां फायरिंग होता है वहां अमूमन इस प्रकार की एन्क्वायरी की जाती है। प्राइमा फेसी प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : दूसरे प्रश्न पर आइये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, यह इस बात को क्यों छिपा रहे है कि किन परिस्थितियों में बनबावरियों पर गोली चलाई गई है? कितने आदमी पुलिस के उनका पीछा कर रहे थे और उनकी वन-बावरियों की कितनी संख्या थी?

श्री अध्यक्ष : छिपाने का प्रश्न नहीं और न इस पर बहस होनी चाहिए उनके तथ्यों पर क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने सारा मामला है और जैसा भी होगा वे अपना डिसीजन दे देंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वन-बावरियों का चालान कर दिया गया है और अब मेजिस्टेरियल एन्क्वायरी उनके काजेज आफ डेथ पर इन्स्टीट्यूट की गई है।

श्री अध्यक्ष : यह कानूनी मसला है। अगर कोई गलती है तो मजिस्ट्रेट कह देंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस राज्य में आये दिन अनुसूचित जातियों की हत्या की जाती है········

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इसको जनरलाइज नहीं करें इस मामले को यहीं छोड़दें।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : इसके लीगल आस्पेक्ट्स में········

श्री अध्यक्ष : मेरे खयाल से इस पर अब बहस नहीं की जाय।

सनवाड़ ग्राम में हुई डकैती के विषय में वक्तव्य

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उपमन्त्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक ४-८-६४ की शाम के लगभग ७ बजे मध्यप्रदेश के सूथा मीणा डाकू के गिरोह के ६ डाकुओं ने ग्राम सनवाड़ में डाका डाला। चार डाकुओं के पास लाठियां और बाकी डाकुओं के पास राइफलें थीं। डाकुओं ने नाथिया अहीर के सिर पर साधारण चोट पहुंचाई और वे उसके मकान व उसके सम्बन्धियों के उसी बाड़े में स्थित तीन-चार मकानों को लूट कर लगभग रु० २५००) की सम्पत्ति ले गये। डाकू दल ग्राम में केवल एक डेढ़ घंटा ही ठहरे। तफतीश से समस्त डाकूओं के नाम प्रकट हो चुके हैं जो मध्य प्रदेश के हैं। जिनमें से गोरा अहीर निवासी सादड़ी (मध्यप्रदेश) को दिनांक ८-८-६४ को, ठाकर लाल एवं ताराचन्द अहीर निवासी पारा (मध्यप्रदेश) को दिनांक ६-८-६४ को बन्दी-बना लिया गया है। पूछताछ हो रही है। एवं शेष डाकुओं एवं लूटी हुई सम्पत्ति का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

इन डाकुओं को आश्रम देने वाले बन्सी एवं हीरासिंह अहीर निवासी शोरहारी को धारा २१६-ए, ताजीरात हिन्द में दिनांक ८-८-६४ को बन्दी बनाया गया।

ग्राम सनवाड़ की किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने की कोई शिकायत नहीं आई। सनवाड़ से चौकी पाटन ५ मील एवं थाना कस्बा थाना ४ मील की दूरी पर है। डाके की प्रथम सूचना थाना कस्बा थाने में दूसरे रोज दिनांक ५-८-६४ को प्रात: ७.३० बजे पहुंची। सूचना पहुंचते ही थानेदार मुकदमा धारा ३६५।३६७ ताजीरात हिन्द में पन्जीबद्ध कर तत्काल ही घटनास्थल पर पहुंचा। सुपरिन्टेडेन्ट पुलिस को भी सूचना दिनांक ५-८-६४ को प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही इन्होंने समस्त डाकू निवारण पार्टियों को नाकाबन्दी कर डाकुओं का पता लगाकर उनका उन्मूलन करने की वायरलेस द्वारा सूचना दी और वे स्वयं भी दल सहित घटनास्थल पर उसी रोज दिनांक ५-८-६४ को पहुंचे और डाकुओं का पता लगाने के उचित प्रयास किये। जिसके फलस्वरूप उपरोक्त डाकू बन्दी बनाये जा सके। उक्त क्षेत्र में पूर्ण शान्ति है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय उपमंत्री ने सदन में स्टेटमेंट दिया कि वे केवल १-१॥ घंटे वहां पर ठहरे, बिल्कुल असत्य है। वे वहां पर रात भर ठहरे नाथ्या अहीर के घर पर, और चार युवतियों के साथ में ६ डाकुओं ने बलात्कार किया है। यह जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वह गलत है। यदि यह स्थिति है तो घटनास्थल पर जाकर जांच करें। मैं वहां के कुछ निवासियों से मिला हूं। चार युवतियों के साथ रात भर बलात्कार किया गया है। पाटन चोकी कितनी दूर थी? वह केवल एक मील होगी और डाकू रात भर ठहरे उनको आप गिरफ्तार नहीं कर सके, मौके पर जाकर एन्क्वायरी नहीं कर सके। इसका क्या कारण था?

इसके सिवाय, अध्यक्ष महोदय, वहां पर पुलिस इतनी निठल्ली है कि जब देवीसिंह डाकू

(श्री विजय सिंह झाला)

मध्यप्रदेश में मारा गया उस समय एक वायरलेस आया था कोटा के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को। कोटा के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस वहां जीप लेकर सड़क से रवाना हुए और सड़क पर जो सारे डाकू ठहरे हुए थे। १० बजे से १२ बजे तक गांव की सड़क पर ठहरे रहे। गांव पास में ही था और जल्दी ही जा सकते थे लेकिन चूंकि डाकू वहां पर ठहरे थे इसलिए बीच में ही रुके रहे और डाकुओं के वहां से रवाना होने के बाद वे गांव में पहुंचे। वहां पर एक बारबर ने उनको इत्तिला दी थी कि यहां से दो मील पर डाकू ठहरे हुए हैं। उन्होंने उनका पीछा नहीं किया।

इसके सिवाय एक डाकू कलेक्टर से मिला। गुलाब डाकू दो बार कलेक्टर से मिला। उसकी इत्तिला एक व्यक्ति ने रजिस्ट्री द्वारा दी थी कि जो आदमी आप से मिला है वह डाकू है और अब वहीं पर है। उसको गिरफ्तार कर लीजिये। डाकू को न पकड़कर पुलिस ने डाकू—निवारण का काम नहीं किया।

जो स्टेटमेंट दिया है उसको मैं चेलेन्ज करता हूं कि सारी रात वहां पर डाकू दल ठहरा रहा और चार युवतियों के साथ उन्होंने सारी रात बलात्कार किया है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, बलात्कार का प्रश्न जो आप कह रहे हैं वह मेरी समझ में नहीं आया। महिलाओं के बयान लिये गये हैं। सारे तथ्यों की जानकारी की गई है, और जो व्यवस्था आप बतला रहे हैं कि सारी रात भर बलात्कार होता रहा यह निराधार है........

श्री विजयसिंह झाला : यह बिल्कुल सही है।

श्री अध्यक्ष : सुनिये।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह निराधार है। इस तरह के तथ्यों की छानबीन करने के बाद हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि निराधार है कि रात भर बलात्कार होता रहा। यह निराधार है।

श्री भैरोंसिंह : यह निराधार हो सकता है आपके कहने से।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दूसरा, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि आपने कुछ तथ्य दिये हैं कि डाकू सारी रात भर पड़े रहे वे भी निराधार हैं। एक-डेढ़ घण्टे के दरम्यान में डाकू वहां से निकल गये। और जो तथ्य आपने दिये हैं, जो आपकी जानकारी में हैं, आपने यह फर्माया है कि मैंने तलाश किया है, जांच की है कि कौन डाकू किस से मिला और कहां मिला, क्या गलती हुई इसको मैं अभी इन्कार करता हूँ। किन्तु आप अगर तथ्य देते हैं तो मैं उन तथ्यों के आधार पर और भी तथ्य अगर आप देने के लिए तैयार हैं तो कुल तथ्यों के आधार पर उसकी पूरी जानकारी कराई जा सकेगी। लेकिन जो मेरे सामने तथ्य आये हैं, शहादतें आई हैं उनके आधार पर मैंने यह

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

स्टेटमेंट दिया है। बाकी आपके तथ्यों के आधार पर मैं पूरी जांच कराने के लिए तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : दोनों स्थगन-प्रस्ताव अस्वीकार किये जाते हैं।

(६.२७ म० पू०)

विधायी कार्य

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ एवं

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक १९६४।

(पूर्व क्रम से)

श्री अध्यक्ष : जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (सैकिण्ड अमेण्डमेंट) बिल, १९६४ व राजस्थान पंचायत (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ पर एक साथ विचार हो रहा है। कुछ माननीय सदस्य बोल चुके हैं और कुछ माननीय सदस्यों को अभी बोलना बाकी है।

श्री मथुरेश विहारी !

(अनुपस्थित)

श्री राधाकृष्ण गोयल।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जो प्रतिवेदन सदन में पेश हुआ है उससे ऐसा लगता है कि २२ एवं २३ तारीख को किसी वर्किंग डे को पंचायत समिति और पंचायत के कानूनों पर सादिक अली रिपोर्ट के आधार पर कुछ अमेंडमेंट सरकार रखने का विचार रखती है, और वह बिल सदन में पेश किया जायगा। इस सारे मसले पर तब सदन में इन-डिटेल वाद-विवाद होगा। मैं ऐसा समझता हूं कि पीस-मील लेजिस्लेशन लाने के बजाय इन दी इन्टरेस्ट ऑफ ला यह ज्यादा अच्छा होगा कि इन सारे कानूनों को कन्सोलिडेटेड शक्ल देकर इस सदन में डिसक्स करें।

जहां तक यह प्रश्न है और बाकी के प्रश्न जो नये बिल में आने वाले हैं, उन दोनों में काफी सामंजस्य है और वाद विवाद में भी सहूलियत रहेगी, विभाग और सरकार के मानस पर भी अच्छा असर पड़ेगा, इसलिये मैं समझता हूं मन्त्रीजी इसको प्रेस्टिज का सवाल नहीं समझें और इसको वापिस लेने में कोई दिक्कत न समझें और यह न समझें कि हम इसे कोई पोलिटिकल स्टंट बनायेंगे ऐसी बात नहीं होगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको वापिस ले लिया जाय और नया बिल तीन चार दिन में फिर रख दीजिये उससे सारे विवाद की स्थिति पर दोनों को सहूलियत होगी। मैं मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप माथुरसाहब के इशारे पर चलेंगे तो ठीक नहीं रहेगा क्योंकि उनका तो मौका आयगा तो वे कर डालेंगे। इसलिये आप अपनी अक्ल से ही सोच कर करें।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव रखा है वैसे तो वह ठीक मालूम पड़ता है लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि सादिकअलीजी की जो रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है, खास तौर से रिपोर्ट का वह हिस्सा जो चुनाव से तालुक रखता है उसके लिये हम अमेन्डिंग बिल रख रहे हैं लेकिन पूरी रिपोर्ट पर निर्णय लेने में राज्य सरकार को समय लगेगा। सदन में चर्चा होने के बाद ही निर्णय लिया जायगा। इसलिये मुमकिन नहीं होगा कि सादिकअली रिपोर्ट के लिये मौजूदा अमेन्डमेन्ट रोक दिया जाय और बाद में एक साथ लिया जाय। यह एक छोटा सा अमेन्डमेन्ट है इसलिये इसको सदन में अभी डिस्पोज ऑफ कर दिया जाय। दूसरा अमेन्डिंग बिल ला रहे हैं वह पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में जो बड़ी बड़ी बातें रिपोर्ट में हैं, उसके आधार पर ला रहे हैं क्योंकि हमें पंचायतों के चुनाव दिसम्बर में हर सूरत में करवाने हैं जैसा कि हमने कमिटमेन्ट किया है। इसलिये यह अमेन्डमेंट अभी ला रहे हैं। बाकी कम्प्रीहेन्सिव और लीगल मामले हैं उनको सदन में बहस होने के बाद सरकार ला सकती है।

श्री भीखाभाई (पंचायत मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर इस सदन में पंचायत अमेन्डमेन्ट बिल और साथ ही साथ पंचायत समिति अमेन्डमेन्ट बिल पर बहस हो रही है। जो माननीय सदस्यों ने यहां सुझाव दिये उनका मैं बहुत ही आदर करता हूँ। यहां पर यह कहा गया कि राज्य सरकार रिव्यू के अधिकार ले रही है, वे इसको इस प्रकार ले रहे हैं कि इसका उपयोग मनमाने ढंग से होगा यहां यह भी प्रश्न पूछा गया था कि रिव्यू का अधिकार राज्य सरकार क्यों ले रही है, कैसे ले रही है, यह प्रश्न जो पूछा गया था अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान पंचायत एक्ट और पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट के अन्दर एक रिव्यू का प्रावधान है लेकिन वह रिव्यू का अधिकार केवल इसलिये है कि यदि पंचायत समिति या जिला परिषद् का कोई रेकार्ड है, कोई रिजोल्यूशन वगैरा है तो फिर रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन यह प्रोविजन पहले से होना चाहिये था जो हो नहीं पाया। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इसी कारण से यह ऑर्डिनेन्स लाना पड़ा। हमारे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा था, उनका यह पूछना उचित भी है, इसका क्या कारण था यह मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा। इस ऑर्डिनेन्स का मकसद खास यह था कि क्योंकि हमारे पास रोजमर्रा कई लोग सचिवालय में आते जाते रहते थे, माननीय सदस्य ने एक प्रश्न में कहा कि फलां सरपंच को जब निलंबित या अलग किया तब नोटिस दिया गया या नहीं, यह सवाल वाजिब था, जहां तक मुझे जानकारी है कल इसका उत्तर दिया गया। जहां तक रिव्यू का सवाल है कोई इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव है उसको एक दम अचानक यदि रिमूव कर दिया जाय और उसके बाद कोई रेमेडी कानून में नहीं मिले और उसको बाहर अदालत में या हाईकोर्ट में जाना पड़े तो काफी खर्चे और समय से जेर बार होना पड़ता है इसलिये रिव्यू का प्रावधान करने का सोचा गया। मैं यह कहूंगा कि मुझे दुःख है कि ऑर्डिनेन्स के जरिये इसको लाना पड़ा।

(श्री भीखाभाई)

पहली असेम्बली के वक्त भी इसको तैयार किया था लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं ला सके। अब दिसम्बर में चुनाव आ रहे हैं और यदि एग्रीव्ड पार्टी का सरपंच या पंचायत समिति का प्रधान या पंचायत समिति का सदस्य है उसको हमने किसी कारण से रिमूव किया है तो उसके लिये रिव्यू का कोई आधार नहीं था। अध्यक्ष महोदय, मैं कल इसको पढ़ रहा था उस समय मैंने पीपुल्स रिप्रजेन्टेटिव एक्ट को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि १९५४ में, जब दूसरा इलेक्शन होने वाला था उससे पहले इलेक्शन की फाइलिंग ओफ इलेक्शन एक्सपेन्डिचर मियाद निकल गई थी और जो लोग इलेक्शन एक्सपेन्डिचर के रिटर्न्स फाइल नहीं कर सके थे उनके लिये एक जनरल प्रोविजन पार्लियामेन्ट द्वारा किया गया था जिससे कि उनको डिस्क्वालिफिकेशन से मुक्त किया जा सके। हमने उनको मुक्त करने का प्रोविजन नहीं किया लेकिन कम से कम उनको दरवाजा खटखटाने का मौका मिले और सरकार को इस प्रकार की रिव्यू एप्लीकेशन एन्टरटेन करने का मौका मिले इसलिये ओर्डिनेन्स के जरिये यह प्रोविजन किया गया। मुख्य कारण यह है कि नवम्बर या दिसम्बर में जब चुनाव होंगे ९० साल की मियाद रखी थी…………

श्री भैरोंसिंह : ९० साल नहीं ९० दिन है।

श्री अब्दुलजब्बार : आपने ९० साल फरमाया है, ९० दिन की मियाद है।

श्री भीखाभाई : आप करेक्ट कहते हैं इसके लिये धन्यवाद। ९० दिन की मियाद इसलिये रखी थी कि नवम्बर के चुनाव में कोई आदमी एग्रीव्ड है तो दर्ख्वास्त दे सकता है। नोटिस देने में चूक हो गई या और कोई गलती हो गई तो उस सदस्य या पंच की आपत्ति का निराकरण करने के लिए रिव्यू का प्रावधान रखा जा रहा है। मैं निवेदन करदूं कि इलेक्टेड रिप्रजेन्टेटिव हम विधान-सभा में हैं और यदि हमको रिमूव करदे तो हमें बुरा लगता है और दुःख होता है। उसी तरह से एक सरपंच या पंच है उसके लिये हम यह करते हैं कि उसको एक दम रिमूव करके यह कहें कि तुम आगे नहीं जा सकते तो उसको बहुत बुरा मालूम होगा दूसरे राज्यों में भी इस प्रकार रिव्यू करने का प्रावधान है। किसी आथोरिटी को पॉवर भी डेलीगेट कर सकते हैं, कलेक्टर को या जिला परिषद को। अपील या रिव्यू करने का प्रावधान है। आन्ध्र में भी अपील या रिव्यू कर सकते हैं। मैं निवेदन करूं कि जिस वक्त लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण हमारे यहां हुआ था उसी समय आन्ध्र में भी हुआ था उसकी बड़ी शोहरत है देश में, राजस्थान की भी शोहरत है। पहले वहां के एक्ट में रिव्यू करने का प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने रखा। आज हमारे यहां जनरल इलेक्शन पंचायतों के होने वाले है, पंचायत समितियों में महिलाऐं और कुछ सदस्य ३ वर्ष के लिये नोमिनेट करने के बावजूद भी वे नहीं जा सके उसमें तथ्य क्या है, किस प्रकार जिला परिषद ने आदेश जारी किये हैं इन सबको रिव्यू करने के लिये हमने प्रावधान रखा है।

राजस्थान में सिविल सर्विस रूल्स हैं।

(श्री भीखाभाई)

क्लासिफिकेशन ओफ कन्ट्रोल ऑर्डर्स हैं उनमें रिव्यू के पॉवर्स हैं । जब हमारे इलेक्टेड रिप्रजेन्टेटिव्ज को भी एग्जीक्यूटिव के तरीके से काम करने को दिया जाता है तो डिसिप्लेन मेन्टन करने का जो प्रोसिजर है उनके मातहत उनको भी अधिकार मिलना चाहिये । उनके प्रति यदि कोई अन्याय हुआ है तो रेक्टिफाई करने का प्रावधान राज्य सरकार को करना चाहिये । इसके लिये सभी माननीय सदस्यों को चिन्ता है । यह ठीक है कि जब कन्सोलिडेटेड बिल लायेंगे तब उसमें जो बहुत से सजेशन्स सादिकअली कमेटी ने दिये हैं, उनका समावेश किया जायगा । जैसे रिव्यूइंग ऑथोरिटी राज्य सरकार न रहे, तो पॉवर्स डेलीगेट करनी चाहिये क्वासी जुडिशियल ऑथोरिटी को, उनको यह अधिकार देना चाहिये उसके लिये मैं सहमत हूँ । यह काम धीरे २ हल्के हल्के किया जा सकता है । पीपुल्स रिप्रजेन्टेटिव्ज को ये सुविधाएं उपलब्ध हों, जैसा कि मैंने निवेदन किया यह सूरत थी जिसके कारण राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी करना आवश्यक समझा और इसलिये यह बिल लाना पड़ा । इसलिये मैं अपील करूंगा, अपील इसीलिये करूंगा कि दूसरी रियासतों में भी इस प्रकार के प्रावधान हैं, महाराष्ट्र में हैं, गुजरात में हैं और आन्ध्र ने तो पॉवर ऑफ रिव्यू डेलीगेट करने का अधिकार भी राज्य सरकार को दिया है ।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं, इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने इस बात की चिन्ता व्यक्त की, यह चिन्ता वाजिब भी हो सकती है, कि राज्य सरकार द्वारा इस रिव्यू करने के अधिकार को लेने के बाद कभी ऐसा तो नहीं होगा कि रिमूवल की पॉवर्स को इसके अतिरिक्त कहीं दूसरी जगह प्रयोग तो नहीं करेंगी, जो फाइंडिंग्स दर्ज की हैं, उनके अलावा कहीं दूसरी जगह तो इसका प्रयोग नहीं करेंगी । उनका मतलब यह था कि जिन लोगों को दोषी नहीं ठहराया गया है, जो निर्दोष हैं, उनके मामले रिव्यू करके कहीं सरकार उनको दोषी तो नहीं ठहरायेगी । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह सरकार को कतई मन्शा नहीं है । जिस किसी आदमी को जो इन्क्वायरी के बाद दोष से मुक्त हो चुका है, निर्दोष ठहराया गया है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की, रिव्यू करने के बाद उसको दोषी ठहराने की कोई भावना नहीं है । लेकिन जिन लोगों के प्रति अन्याय हुआ है, एक तरह जो अनफेटर्ड हैं–उनके लिए जिस प्रकार की पॉवर आन्ध्र में दी गई है वैसी इसमें नहीं दी गई है । लेकिन यह पॉवर दी गई है कि राज्य सरकार सुओ-मोटो अथवा ९० दिन के अन्दर कोई प्रार्थी प्रार्थना पत्र देता है, रिव्यू करने की एप्लीकेशन देता है तो उस पर रिव्यू कर सकती है । लेकिन इसमें शर्त यह है--वेदर ऑफ फेक्ट और ऑफ ला, और इसके साथ है, और इन इगनोरेन्स आफ एनी मेटिरियल फेक्ट । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का प्रावधान राजस्थान के कई कानूनों में है । राजस्थान रेवेन्यू एक्ट में है, क्लासीफिकेशन ऑफ कंट्रोल एण्ड अपील रूल्स में है । इसलिए जो रिप्रजेंटेटिव्ज इलेक्टेड हैं उनको भी यह अधिकार मिलना चाहिए । यह बात मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं ।

दूसरी बात........

श्री दुर्गालाल बादृदार (हवा महल, जयपुर) : आपने एप्लीकेशन देने के लिए ६० दिन का प्रावधान रखा है, जबकि राज्य सरकार को जो रिव्यू करने का अधिकार है वह कभी कर सकती है। एग्रीव्ड पर्सन ६० दिन में एप्लीकेशन दे सकता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ६० दिन की सीमा राज्य सरकार पर भी लागू क्यों नहीं करते हैं ? यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं। यह क्या कि राज्य सरकार जब चाहे तब करे, पांच वर्ष में करे, दस वर्ष में करे और एग्रीव्ड पर्सन ६० दिन में एप्लीकेशन दे ?

श्री भीखाभाई : जब क्लॉज बाई क्लॉज इस पर डिस्कशन हो, उस समय यह बात की जाय तो ठीक रहेगा। मैं विवेदन कर रहा था कि जो जनरल डिस्कशन हुआ, उसमें कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ बातें उठाई थीं जैसे आमेर से आने वाले माननीय सदस्य हैं, वे इस समय यहां मौजूद नहीं है, उन्होंने कहा था, झोटवाड़ा पंचायत समिति को निलम्बित करने के बारे में। मैं इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि उस पर जो गम्भीर आरोप थे वे साबित हुए तब ही सस्पेन्ड किया गया है। उन्होंने हीरापुरा पंचायत के बारे में भी कहा। उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी रिपोर्ट मांगी गई है कलेक्टर से, वह उनके पास से अभी नहीं आई है........

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि रिपोर्ट आपके सेक्रेटेरियट में पहुंच गई है।

श्री भीखाभाई : आपकी जानकारी ठीक होगी क्योंकि आपको पता अंदर से लगा होगा। मैं आपकी जानकारी की दाद देता हूं।

श्री भैरोंसिंह : फिर क्यों कहते हैं कि रिपोर्ट आई नहीं।

श्री भीखाभाई : मैं यह कहता हूं कि मेरे पास रिपोर्ट आई नहीं। मैं आपकी जानकारी की दाद देता हूं। आपका जो इन्टेलीजेन्स स्टाफ है वह अन्दर तक काम करता है। You have got your own intelligence staff.

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप मंत्री हैं और इनकी जानकारी को दाद दे रहे हैं !

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया था वह एपरेन्टली बहुत अच्छा दिखता है, रीजनेबल दिखता है। उन्होंने कहा उस आदमी को डिफेन्स ऑफ इंडिया के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया तो उसको निलम्बित क्यों नहीं किया गया है। यह सुझाव बड़ा अच्छा स्वाभाविक रूप से मालूम पड़ता है, बड़ा रीजनेबल मालूम पड़ता है। मैं निवेदन करूं कि राजस्थान पंचायत के अन्दर इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। उसमें साफ तौर पर लिखा है, एक्ट के प्रावधान के अन्तर्गत कार्यवाही करने पर, डिसिप्लीनरी एक्शन लेने पर सस्पेन्ड किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : क्या राज्य सरकार

(श्री भैरोंसिंह)

यह उचित नहीं समझती, आप इसको थोड़ा स्पष्ट कर दें कि डी. आई. आर. के अन्तर्गत एन्टी–नेशनल एक्टीविटीज में गिरफ्तार हो जाय और वह प्रधान या सरपंच हो तो सरकार उसको हटाना पसन्द करेगी या नहीं ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा, एपरेन्टली वह ठीक लगता है, रीजनेबल लगता है। मैंने आपको दाद दी है। लेकिन यह बात कही कि जब कन्सोलिडेटेड बिल आयेगा उस समय आपके इन विचारों का समावेश किया जायगा। यह जो बात आपने कही, उसके जवाब में मैं कह रहा हूं कि अभी क्यों नहीं कर सकते।

अब अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्तसिर में अर्ज करना चाहता हूं कि इन कारणों से यह विधेयक लाया गया, इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि यह बिल जल्दी से जल्दी पास हो ताकि दूसरा काम शुरू हो सके।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : रिवीजन और रिव्यू में क्या फर्क है इसको जरा समझा दीजिये। सरकार खुद सजा देती है और सरकार ही खुद रिव्यू करती है अपने आप सुओ मोटो ये दोनों चीजें मैं कह रहा हूं। बड़े दुःख की बात है, आपने इन विरोधियों को तो जवाब दे दिया। मैं कांग्रेस का हूं इसलिए मेरी बात का उत्तर नहीं देते। आप अपनी बात कहते हैं।

श्री भीखाभाई : एक सवाल और था राजाकोट के सरपंच का। उसकी फाइल सरकार के विचाराधीन है। उसमें क्या हो सकता है, उस पर विचार हो रहा है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है।

रिव्यू और रिवीजन का प्रश्न उठाया। इस वक्त पंचायत समिति एवं जिला परिषद एक्ट में ७१ ए के अन्तर्गत केवल रिव्यू की पॉवर्स हैं, उसके अन्तर्गत पंचायत समिति और जिला परिषद का रिकार्ड मंगा कर देख सकते हैं, उसमें किसी तरह रिव्यू और रिवीजन करने या अपील को रिव्यू करने का प्रावधान नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : नापासर का बता दें।

श्री भीखाभाई : नापासर के पंच के बारे में नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया। उसके बारे में इन्क्वायरी के ऑर्डर्स जारी कर दिये गये हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं पूछता हूं कि यह फाइल आई या नहीं। अगर आई है तो क्या यह सही है कि पौने तीन साल से सस्पेन्डेड है। उसकी रिपोर्ट आ गई है कि उसका कसूर नहीं है, उसके बाद भी सस्पेन्डेड है--यह गलत है ?

श्री भीखाभाई : कसूरवार है या नहीं--यह दूसरी बात है। मेरी जानकारी है कि जो इन्क्वायरी हो रही थी उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट आई, उसमें जो जानकारी थी उसके आधार पर कलेक्टर को फिर लिखा कि पंच सस्पेन्शन में कन्टीन्यू रहे। उसमें कितने समय

(श्री भीखाभाई)

सस्पेन्शन में रहा--यह दूसरी बात है, और बहाल कर दिया जाय इन व्यू ऑफ दी रिकमन्डेशन ऑफ दी रिपोर्ट लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के आने के बाद लिखा गया वह रिपोर्ट क्या आई वह देखी नहीं। अब उस पर कुछ फैसला हो जाय तब निर्णय ले सकेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा स्पष्ट सवाल है, उसको एक दफा सस्पेन्ड किया। उसके बाद रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आने के बाद आप फर्माते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट बीच में आ गई। ऑडिट रिपोर्ट बीच में आ गई तो पहले चार्जेज की इन्क्वायरी के बाद बहाल कर दिया तो दूसरे चार्जेज लगा कर सस्पेन्ड करना चाहिए। सवाल यह है कि दूसरी रिपोर्ट का बहाना लेकर पौने तीन साल तक सस्पेन्ड रखा जा सकता है? आप अधिकार यह चाहते हैं कि आपने खुद ने जो पास किये हैं उनको आप खुद खत्म कर दें। यह अधिकार आप चुने हुए आदमियों के नाम से चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप पाप करलें और फिर उसको पलट लें। इस मामले में पौने तीन साल सस्पेन्ड रखा, फिर रिपोर्ट आ गई लेकिन उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट आ गई तो क्या आप उसको तीन साल तक सस्पेन्ड रखना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके कहने का असर पड़ा है। जल्दी तय कर देंगे। यह विधेयक एक एक करके लिये जायेंगे।

राजस्थान पंचायत समिति एण्ड जिला परिषद (सेकिंड अमेंडमेंट) बिल, १९६४ प्रश्न यह है कि इसको जनमत के लिए प्रसारित किया जाय?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् (सेकिंड अमेंडमेंट) बिल, १९६४ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

राजस्थान पंचायत समिति अमेंडमेंट बिल, १९६४ के सम्बन्ध में जो स्टेटुटरी रिजोल्यूशन आया है........

श्री मानिकचन्द सुराणा : वह खत्म हो गया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि स्टेटुटरी रिजोल्यूशन को स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह कि राजस्थान पंचायत (अमेंडमेंट) बिल, १६६४ को जनमत के लिए प्रसारित किया जाय।

(अस्वीकृत)

श्री भैरोंसिंह : कोई डिसीजन नहीं हुआ, न ना में हुआ और न हां में हुआ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (अमेंडमेंट) बिल, १६६४ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अब इन विधेयकों को जुदा जुदा लिया जायगा।

राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् (सेकिंड अमेंडमेंट) बिल, १६६४। क्लॉज २

श्री अब्दुल जब्बार !

[इस खण्ड पर निम्न संशोधन प्रस्तुत हुए:—

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) :—

In new sub-section (3a) of section 85 delete the words "at any time or."

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :—

(1) Replace the words "the passing of in order" by the words "from the date of getting information by the person";

(ii) After part (b) add the following new part (c);

"(c)" After sub-section (4) the following new sub-section (5) shall be inserted :—

"(5) Every order if it is passed under section 40 or section 16 shall be put before the State Legislature within ninety days."

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) :—

In sub-clause (a),—

(a) for the words "shall be inserted", subsitute the expression shall be, and be deemed always to have been, inserted";

(b) in new sub-section (3-a) sought to be inserted, after the words "any material fact", add the words "and in the case of an order for failure to attend the Adhayan kendra to prescribed course of study, despite being nominated thrice for the purpose, if there was sufficient cause for such failure".]

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, सरकार की यह धारणा है कि यदि किसी प्रधान या किसी सरपंच को किसी गलत तरीके से हटा दिया जावे तो उसको रिइन्सटेट करने का अधिकार वापिस इस एक्ट के द्वारा लिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मेरा संशोधन है और वह यह है कि "at any time" एक तो यह होता है कि सरकार १० साल के बाद अगर कोई १० साल के पहले गलती करता है और उसको उसकी सजा दी जाती है तो उसकी बकाया १० साल तक चलती रहेगी और दस साल के बाद उस गलती को सरकार ठीक कर सकेगी। यह बहुत ही डाउटफुल है इसलिये इसको निकाल देना चाहिये। at any time of its own motion जब कभी वे किसी व्यक्ति में इन्ट्रेस्टेड हों, जब कभी वे किसी को रीएम्प्लॉय करने के लिये इन्क्लाइन्ड हों तो इसके द्वारा ला सकते हैं। इसलिये मेरा संशोधन है कि इसको हटा दिया जावे।

दूसरी बात यह है, अध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार रिव्यू करने की ओर लीनियेन्सी बर्ती गई तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आज जो गड़बड़ियां हो रही हैं वे और ज्यादा होने लगेंगी। इस चीज को मैं डाक्यूमेन्ट से सिद्ध कर सकता हूं। मेरे पास पूरे डाक्यूमेन्ट्स हैं लेकिन मैं उनको यहां पर रखना उचित नहीं समझता क्योंकि मैं इस अमेन्डमेंट पर बोल रहा हूं– Delete the words "at any time or."

ये सारे शब्द निकालने का मेरा संशोधन है क्योंकि इनको निकालने से यह होगा कि जो अमेन्डमेंट एक्ट का हो रहा है और उसकी जो मन्शा है वह पूरी होगी जो सरकार यह कहती है कि रिव्यू करनी चाहिये और The State Government may of its own motion at any time" एक तरफ तो यह कहते हैं कि हमारा खुद का मोशन है और साथ में यह कह दें कि "if it was passed under any mistake" अभी माननीय सदस्य जो मोशन लेकर आये हैं वे सरकार के कहने से लाये हैं। सरकार कहती है कि "if it is was passed..." मेरा पंचायतों में भी अमेन्डमेंट है "if it was passed" यह कन्डीशनल नहीं होना चाहिये। जो अमेन्डमेंट है उसमें यह लिखा है "that every aggrieved party from the lower court can have a right to appear in the higher court". मान लें कि रिवीजन की जाती है तो गवर्नमेंट यह कहे "we are not going to entertain your revision", तो इस तरह से ये ऐसे शब्द हैं कि जिस भावना को लेकर यह बिल लाया गया है उस भावना को ठेस पहुँचती है और जिस प्रकार से वह राहत पहुंचाने की बात कहते हैं वह समाप्त हो जाती है। "if it was pased .." "at any time..." इसलिये मेरा माननीय मन्त्री से निवेदन है कि आप कृपया ला बनावें तो उस को कम से कम ऐसा बनावें जिसमें कोई शक नहीं होना चाहिये। इसलिये मेरे इस संशोधन को सरकार को स्वीकार करना चाहिये और उसके बाद सरकार की भावना जो राहत पहुंचाने की है वह सही मायने में पूरी होग।

श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, धारा दो को डिलीट करने के लिये कुछ सदन में निवेदन करना चाहता हूँ। इस कानून की धारा दो है वह इस बिल का हृदय है और इसके सम्बन्ध में मेरी धारणा इस सदन में पहले व्यक्त कर चुका हूं और उस धारणा की पुष्टि माननीय मंत्री ने अपना जो भाषण दिया उसके द्वारा की है। अध्यक्ष महोदय, सरकार के उत्तर कुछ ऐसे लगते हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि सरकार हाफ हार्टेड हो, सरकार ने कभी भी इस इश्यू पर सीरियसली विचार किया हो ऐसा उनके भाषण से अवगत नहीं होता। उन्होंने मेरे वाक्यों को सदन में कहा और कई बार दोहराया और दोहराया तो इस गर्ज से कि इस सदन को मिस लीडिंग में डाल दिया जावे कि सरकार के सामने कुछ ऐसी स्थिति और परिस्थितियां थीं जिनके कारण सरकार को ऑर्डिनेन्स जारी करना पड़ा। मगर सरकार यह नहीं बता पाई और मंत्री महोदय भी यह नहीं बता पाये कि इस ऑर्डिनेन्स या बिल के कारण कितने लोगों को राहत मिलने वाली है। अगर यह ऑर्डि-नेन्स ७ जुलाई को नहीं लाया जाता और तीन अगस्त को यह बिल विधान सभा में पेश किया जाता तो महीने पच्चीस दिन के अर्से में जिन लोगों को राहत मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिलती। इसके लिये न तो सरकार ने गिनती बताई न उन लोगों के नाम ही बताये। तो सदन इस स्थिति में है कि २५ दिन में यदि लिमिटेशन का प्रश्न पैदा नहीं किया जाता है और ६० दिन का प्रावधान ७ जुलाई से लागू नहीं किया जाता तो ३ अगस्त को विधान सभा की बैठक हुई उस बीच में कितने आदमियों के केसेज रिफ्यूज करने को थे जो बाई मिस्टेक या किसी कानून की गलती के कारण सरकार उन लोगों को वापिस रीइन्सटेट करना चाहती थी जो सरकार कर नहीं सकी। माननीय मंत्री से मैं कहना चाहूँगा कि आपने ऑर्डिनेन्स इश्यू किया और ऑर्डिनेन्स की इम्पोर्टेन्स आपने अपने भाषण से ही खत्म कर दी। आपने यह बताया कि पिछली विधान सभा में आप कानून पेश करना चाहते थे मगर पिछली विधान सभा में ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ। पिछली विधान सभा अप्रेल तक चली। अगर वह ड्राफ्ट जुलाई ७ तक इन्तजार कर सकता था तो २५ दिन और भी चल सकता था। जब वह चार महीने चल सका तो २४ दिनों में कौनसी गवर्नमेंट खत्म होने के अलामात पैदा हो गये थे। कौनसी मुसीबत सरकार पर आने वाली थी। मंत्रिमंडल को किसी प्रकार से धक्का पहुंचने लगा कि जिसके कारण यह ऑर्डिनेन्स लाना जरूरी समझा गया और यह ऑर्डिनेन्स जारी करने की आवश्यकता पैदा हुई।

दूसरा प्रश्न थोड़ा विजुअल प्रश्न है। हमने सादिकअली समिति का गठन किया था और इस आशय से कि वह पंचायतों के फंक्शन को देखे और सरकार को अपनी राय दे कि पचायतों को कितने अधिकार दिये जावें और सरकार के पास कितने अधिकार रहने चाहिए और उसकी सिफारिशों पर अमल करके पंचायती राज्य को सफल किस तरह से बनाया जा सकता है इसलिये बनाई थी। उसकी रिपोर्ट पेश है। माननीय मंत्री महोदय ने उसकी रिपोर्ट को पढ़ा है या नहीं यह मैं नहीं कह सकता मगर मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा है और उसके बाद में मैं कुछ एक्सट्रेक्ट सदन में रखना चाहूंगा। ताकि गवर्नमेंट को और सदन को मालूम हो

Page No. 53

(श्री भैरोंसिंह)

जावे कि कमेटी ने अपनी क्या सिफारिशें की हैं और जब माननीय मंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनकी सिफारिशों पर अमल किया जाए तो फिर इस प्रकार का अमेन्डमेंट बिल सदन में पेश करना चाहते हैं तो इससे उनकी नियत का साफ पता चलता है और इससे इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि सरकार उस रिपोर्ट को स्वीकार करने वाली नहीं है। इसके चैप्टर १८ में लिखा है :

"In devising the system of control and supervision, it should be ensured that the system of control and supervision the initiative and discretion of these institutions. The institutions should be saved from pitfalls and dangers but should not be stopped from growing."

आगे फिर उन्होंने प्रपोजल दिया कि उसको दूर करने के लिए क्या किया जावे

"The existing provisiong about control and supervision are considered to be deficient or inappropriate"

Then they have suggested that there should be a State Tribunal at the State level and a District Tribunal at the District Level-

जब ये सिफारिशें इस समिति ने सरकार को दी जिसको सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया है........

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह कब किया है ?

श्री भैरोंसिंह : यह आपके मंत्री आप को कन्सल्ट करके भाषण नहीं देते हैं और चीफ व्हिप भी पूछते नहीं उनको तो इसलिये मुझ से पूछने से पहले आप उनसे पूछलें। यह आपने सदन में कहा है।

कमेटी के सुझाव बड़े सुन्दर है। यह संशोधन बिल पेश किया गया है जो पास किया जाने वाला है। सरकार ने दोनों बातें स्वीकार की हैं। इसलिये गवर्नमेंट के सामने प्रश्न पैदा होता है कि यह बिल अधूरा रहेगा। इसलिये सरकार को यह चाहिये था कि कन्सोलिडेटेड बिल उन सिफारिशों को देख कर और उनको इनकोर्पोरेट करके सरकार को लाना चाहिये जिसको सरकार स्वीकार करती है लेकिन आज उसको अस्वीकार करती है तो इसका मतलब यह हुआ कि जिन सरपंचों और पंचों पर इस प्रकार के सरकार के आदेशों का असर हुआ है, उनके केसेज को रेगुलेराइज करने की सरकार की इसके द्वारा रेगुलेराइज करने की मंशा नहीं बल्कि सरकार की इससे यह मंशा है कि जिन सरपंचों और पंचों पर सरकार की कृपा होगी उनको रीइन्स्टेट करेगी और जिन पर सरकार की कृपा नहीं है उन लोगों को विक्टिमाइज करेगी। मन्त्री महोदय स्वयं कानून के जानकार हैं। पर मुझे तो उनके भोलेपन पर बड़ी दया आती है। वे शिड्यूल्ड ट्राइब्स के रिप्रेजेन्टेटिव हैं इस नाते तो उनके भोलेपन को बर्दाश्त करके चलना पड़ता है पर जब उनका यह भोलापन इस प्रकार के इन्स्टीट्यूशन्स पर आघात करने में सहायक होता है उस दशा में इस भोलेपन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता या तो उनके इस भोलेपन को उस दशा में दूर करना पड़ेगा या जिस भोलेपन से वे इस प्रकार के इन्स्टीट्यूशन्स पर इस प्रकार का भयंकर प्रहार करना चाहते हैं, इस प्रकार के इन्स्टीट्यूशन्स को खतम करना चाहते हैं, उन इन्स्टीट्यूशन्स को इनके

(श्री भैरोंसिंह)

इस घातक भोलेपन से बचाने के लिये, इस भोलेपन से उन इन्स्टीट्यूशन को खत्म होने से बचाने के लिये उनसे हटाना पड़ेगा। मन्त्री महोदय ने भोलेपन से कह दिया कि सस्पेन्शन लाने की आवश्यकता नहीं, डिस्टिंक्शन कर दिया है। क्या किसी को डिस्मिस करने से पहले चार्जशीट देने की आवश्यकता नहीं? क्या किसी को डिस्मिस करने से पहले सस्पेन्ड करने की आवश्यकता नहीं होती? दिसम्बर के महिने में इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन के समय में उन्हें यह सूझ आई, तो यह सूझ पहले क्यों नहीं आई?

श्री भीखाभाई : पहले से ही आई हुई है। हमारा पहली असेम्बली में ही लाने का विचार था, हमने कहा था कि यह फंडामेंटल राइट है।

श्री भैरोंसिंह : आपको सूझ आई, आपकी सरकार को सूझ आई, आपकी सरकार के अधिकारियों को सूझ आई, उनके दिमाग में यह बात आई तो जिस समय यह बात दिमाग में आई उसी समय आपने क्यों नहीं किया। उस समय तो आपने कुछ नहीं किया और अब इलेक्शन आने वाले हैं तो आर्डीनेन्स इश्यू किया।

मन्त्री महोदय से जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह क्लेरिफिकेशन मांगा था कि इस कानून का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा या नहीं यह खुलासा वे कर दें। इसमें जो ९० दिन के नोटिस का प्रावधान रखा है उससे तो ९० दिन पहले के जितने केसेज़ हैं वे ही इनसे कवर होंगे-पर गवर्नमेंट ने इस बात का कोई क्लेरिफिकेशन नहीं किया। गवर्नमेंट अगर चाहती है कि जब से पंचायत समिति और पंचायतों का कानून लागू हुआ है, उस वक्त से जो भी व्यक्ति सरकार के ऐसे आदेश के कारण प्रभावित हुए हैं उनके केसेज़ का रिव्यू किया जायगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अमेंडमेंट ले आयेंगे मन्त्री महोदय!

श्री भैरोंसिंह : अगर मन्त्री महोदय इस प्रकार का अमेंडमेंट ले आते हैं तो यह सदन इसको हरगिज पास नहीं करेगा।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : अमेंडमेंट आ गया है आपने पढ़ा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अमेंडमेंट अगर ऐसा आ गया है तो यह सदन इस बिल को पास नहीं करेगा। कैसे पास करा लेते हैं, यह देखेंगे।

आज हमें इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि इस प्रकार के अधिकार सरकार को देते हैं तो इस प्रकार के अधिकार सरकार को देना वाजिब है या नहीं। जिन लोगों को सरकार ने अपनी गलती से, अपने अधिकारियों की गलती से, अपनी ना समझी से ऐसे आदेश दे दिये जिनसे उनको अपने पद से हटना पड़ा, अलग होना पड़ा, वे इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उनके सम्बन्ध में हम सरकार को उनके केसेज़ को रेगुलेराइज़ करने का अधिकार देते हैं तो सोचना पड़ेगा। मन्त्री महोदय कहते हैं कि किसी प्रकार का विक्टि-

(श्री भैरोंसिंह)

माइजेशन नहीं होगा, किसी प्रकार का पोलिटिक्स का या विक्टिमाइजेशन का सवाल नहीं आता तो आप सदन में यह साफ बता दीजिये, निश्चित अवधि बता दीजिये कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किस अवधि तक का देना चाहते हैं, अगर आप साल भर अवधि इस प्रकार लेना चाहेंगे तो सदन आपको देगा, अगर दो साल की चाहेंगे तो दो साल की अवधि देगा, अगर ७ जुलाई के बाद के केसेज़ को रिव्यू करने का अधिकार लेना चाहते हैं तो वह अधिकार सदन आपको देगा। पर गवर्नमेंट, जिसको पिछले १०–१५ साल से नींद आ रही थी, ७ जुलाई से ३ अगस्त तक कोई भी काम नहीं किया ऐसी सरकार को इस प्रकार के अधिकार देने का मतलब यह होगा कि यह सरकार पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन करेगी।

आपने रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का हवाला दिया। मैं म्युनिसिपल कानून का हवाला देता हूं, उसमें चाहे किसी भी प्रकार के केसेज़ क्यों नहीं बनते हों, सारे केसेज़ के लिये जुडिशियल ट्रिब्यूनल का प्रावधान कर रखा है। फिर यहां इस अमेंडमेंट के लाने की क्या आवश्यकता महसूस हुई? इस अमेंडमेंट से ऐसी कोई बात नहीं कि आप पर कोई पहाड़ टूटने वाला हो और उससे यह अमेंडमेंट आपको बचा ले। इस अमेंडमेंट से, गवर्नमेंट खत्म होने वाली है वह बचने वाली नहीं है। ऐसी दशा में आपने ऑर्डिनेन्स इश्यू करके अपने ऑर्डिनेन्स इश्यू करने के अधिकारों का दुरुपयोग किया है। अपनी अयोग्यता और न समझी को इससे छुपाने का सरकार ने प्रयास किया है।

मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार इसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पास करना चाहती है तो सदन अच्छी तरह बता दे कि हम बहुमत का दुरुपयोग सहने वाले नहीं हैं। आप सदन को, आप जनता को मुगालते में डालना चाहते हैं इसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं।

अगर मंत्री महोदय इसे करना ही चाहते हैं तो २२, व २३ तारीख को जो नया बिल पेश होने वाला है उसमें ट्राइबल सुझावों के रूप में ले आइये, जिस दिन पंचायत समिति का पंचायतों का कानून बना उसी दिन से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दें, वह हम स्वीकार करेंगे। पर इस प्रकार के अधिकार सरकार अपने हाथों में लेना चाहती है तो ऐसा लगता है कि उन मंत्री महोदय की अपने विभाग में कुछ चलती नहीं हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है, जैसे कागज आते हैं उन्हीं पर दस्तखत करके अपनी मोहर लगा देते हैं, उन्हें केवल यह मोहर लगाने का काम दे रखा है। तो इस मोहर लगाने के काम के लिये व्यर्थ ही यह बदनामी क्यों लेते हैं। एक्च्युअल रिव्यू करने के अधिकार आपके हाथ में आ गये हो तो बदनामी [illegible] पर रिव्यू के केसेज़ आपके पास आने वाले नहीं हैं। आपको तो टेलीफोन से हुक्म मिलेगा और उस हुक्म को मानकर अपनी मोहर लगानी पड़ेगी या जैसा भी नीचे से लिखा आ जायगा उस पर हुक्म देना पड़ेगा।

मैं तो मंत्री महोदय से फिर निवेदन

(श्री भैरोंसिंह)

करूंगा कि आप इसे वापिस ले लें, नया बिल पेश होने वाला है उसमें संशोधन करके यह सब पास करा दीजिये । अन्यथा मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ को डिलीट करें ।

मंत्री महोदय यह खुलासा कर दें कि ७ जुलाई से ३ अगस्त तक सरकार के पास ऐसे कितने केसेज थे जिनमें रिव्यू करना, सुओ-मोटो रिव्यू करना, आवश्यक था ? किन केसेज के कारण गवर्नमेंट को आर्डिनेन्स इश्यू करना पड़ा ? मन्त्री महोदय यह सब खुलासा करने का कष्ट करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री झाला !

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : मन्त्री महोदय पहले इसका जवाब दे दें ।

श्री अध्यक्ष : सब बहस के बाद जवाब देंगे ।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय, यदि श्री भैरोंसिंहजी ने प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार करते हैं तो बहुत अच्छा, वरना मैं अपना संशोधन जो मैंने धारा दो में रखा है उसे रखना चाहता हूँ ।

सुबह कुछ सरपंचों के बारे में मंत्री महोदय ने प्रत्युत्तर दिया वह सुनने के बाद इन पर बिल्कुल रत्ती भर भी विश्वास नहीं रहा है । पंचायतों के ऊपर, उदयपुर का एकछत्र राज्य है, मंत्री और उपमंत्री दोनों उदयपुर के हैं इसलिए उदयपुर पर इसका सबसे अधिक असर पड़ेगा । मुझे पहले सदन में यह सुन कर ताज्जुब होता था कि उदयपुर के लिए क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है इस सदन में, पर अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि उदयपुर के कुछ मंत्रियों का एक ही विभाग पर एकछत्र साम्राज्य है । और उसमें उन्होंने उदयपुर के लोगों को बदनाम किया है—वन विभाग को लीजिए, पंचायत विभाग को लीजिए । तो सबसे पहले मैं यह सजेशन देना चाहूंगा कि एक ही डिवीजन के मन्त्री और उपमन्त्री एक ही विभाग में नहीं होने चाहिए क्योंकि सारा विभाग बदनाम होता है । अभी सुबह को भीखाभाई जी ने गोलाना के सरपंच का जिक्र किया कि उसको सस्पेन्ड नहीं किया गया, हटा दिया गया लेकिन उसके साथ अन्याय तो हुआ ही । इसी प्रकार कपासन के सरपंच के खिलाफ डाक्यूमेंटरी प्रूफ पेश किये लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला । इसके बाद कलेक्टर जोधपुर ने १३-३-६४ को अपनी पत्र संख्या ५००५ में श्री आर. डी. माथुर को सरपंच बालासिनी, जिला जोधपुर के बारे में लिखा कि वह इसके खिलाफ जांच कराए और उस जांच के अनुसार उसको हटा देना चाहिए, शीघ्रातिशीघ्र सस्पेंड कर देना चाहिए लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ मन्त्रियों का उसके साथ रिश्ता होने के नाते या कुछ पार्टी पालिटिक्स के नाते ऐसे सरपंचों के खिलाफ जिनके खिलाफ डाक्यूमेंटरी प्रूफ हैं और जिनके खिलाफ कलेक्टर की रिपोर्ट है, फिर भी उन्हें हटाया नहीं जाता। ऐसी हालत में मैं समझता हूं इस अधिकार को एक मन्त्री को दिया जाता

Page No. 57

(श्री विजयसिंह झाला)

है कि वह सरपंच को हटा सकता है और हटाने के बाद में वापस रख सकता है यह कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अतः मैं अपना संशोधन रखूंगा कि जो कोई सरपंच इस प्रकार मिनिस्टर हटाए और उसको वापिस रखे उसकी सूची सदन की मेजपर रखनी चाहिए ताकि सदन को यह मालूम हो कि किस आधार पर उनको हटाया गया तथा वापिस उनको रखा तथा उस सरपंच में कौनसी खामियां थीं जिसकी वजह से वह हटाया गया और वापिस रखा गया।

इसलिए मेरा अमेंडमेंट यह है कि क्लॉज दो के बाद निम्न रखे : after part (B) and the following new part (c), after Sub-section (4), followi'ng new Sub-section (5) shall de inserted :

"(5) Every order if it is passedunder section 40 or 16 shall be put before the State Legislature within ninety days."

इस प्रकार से किसी भी सरपंच को जो हटा दिया जाता है और फिर वापिस रखा जाता है, इस प्रकार कोई भी ऑर्डर जो मन्त्री महोदय पास करें उसके ६० दिन के अन्दर वह सदन को मेज पर रखना चाहिए, क्योंकि यह पंचायत समिति या पंचायत एक बहुत पवित्र संस्था है। इस पर सरकार का अवैधानिक रूप से किसी प्रकार का दबाव न पड़े, इस बात की हमें निगरानी रखनी चाहिए। इसलिए मैं यह प्रस्ताव रखूंगा कि जो मैंने संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

दूसरा संशोधन इसमें यह है कि आप सुओ मोटो कभी भी उस केस को रीओपन कर सकते हो लेकिन उसमें जो अफेक्टेड आदमी है, उसकी ६० दिन की एप्लीकेशन पर वह रीओपन हो सकता है। अब यदि उसे सूचना न मिले और आपकी सूचना बीच में कहीं न कहीं रह जाय तो क्या होगा ? जिस डेट से ऑर्डर निकलता है उस डेट से आपने ६० दिन गिने हैं। एक मुंसिफ के आदेश को हटाया गया तो हटाने का आदेश तो उसे बाद में दिया उससे पहले उसे पेशी दी गई, तो इस प्रकार आदेशों को दबा दिया जाता है। इसलिए जब तक उसकी इन्फार्मेशन न मिले तब तक ६० दिन न मानने चाहिए और जिस दिन सूचना मिले उससे ६० दिन गिनने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री राधाकृष्ण गोयल !

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्लॉज दो के पार्ट ए में मेरा अमेंडमेंट है।

"In newsut section (3-a) sought to be inserted, after the words "any material fact", add the words "and in the case of an order for failure to attend the Adhayan Kendra to prescribed course of study, despite being nominated thrice for the purpose, if there was sufficient cause for such failure."

माननीय मन्त्रीजी ने जैसा बतलाया इसके स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स और रीजन्स से ऐसा प्रतीत होता है, कुछ केसेज उसकी नजर में ऐसे आए हैं कि अगर कोई अध्ययन केन्द्र

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इन्स्पाइट आफ नोटिस अटेंड करने के लिए कोई सदस्य न गया तो उसके कारण कोई सदस्य हटा दिया गया उस कारण अगर ऐसा कोई फेक्ट हो तो उसके डिस्क्वालीफिकेशन के हटाने को रिव्यू करके सरकार वापिस सदस्य को रखेगी। सरकार की अगर यह मन्शा है तो लॉ और फेक्ट को इसमें ३ (ए) साथ पढ़ने से वह फेक्ट में भी नहीं आता और लॉ मे भी नहीं आता है इसलिए मेरे अमेंडमेंट की मंशा यह है कि अगर सिर्फ ऐसे अध्ययन केन्द्र में जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या किसी पर अंकुश रखने के लिहाज से अगर उसको दूर करने का नोटिस जारी किया है और वहां पर कोई सभीरियें काज हो, काज होते हुए अगर डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है तो ऐसी हालत में रिव्यू के जरिए ऐसा काज नोटिस में आया तो सरकार रिव्यू के जरिए वापिस टीक कर सकती है। इसी उद्देश्य को मद्दे नजर रखते हुए मैंने यह अपना अमेंडमेंट रखा है। इसमें किसी के विरोध या किसी पार्टी का सवाल नहीं है जो भी सदस्य इसके तहत हटा दिए गए हैं वे वापिस टीक हो सकते हैं।

इस तरह से मेरा दूसरा अमेंडमेंट है सब-क्लॉज ए में :

For the words "shall be inserted" substitute the expression "shall be, and be deemed always to have been inserted."

माननीय मन्त्रीजी ने बताया कि कुछ सदस्य ऐसे हटा दिए गए हैं जो पहले सरपंच थे और रिव्यू के जरिए देखा गया कि उनको गलती से हटा दिया गया है तो ऐसे केसेज़ को ठीक करना चाहते हैं। परन्तु उन्होंने जो प्रोवीजन रखा है उसमें अमेंडमेंट बिल लागू होने के बाद में ही ऐसे केसेज रेगुलेराइज़ किए जा सकते हैं और सरकार उनकी पॉवर्स अपने हाथ में ले सकेगी। इसलिए जो उनकी मन्शा है वह इस अमेंडमेंट के जरिए पूरी नहीं होती है इसलिए सरकार की जो मन्शा एम्स और आब्जेक्ट्स से मालूम पड़ती है इससे अगर इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाय और कुछ ऐसे केसेज़ जो उनके नोटिस में आए हैं और ऐसे फेक्ट्स नोटिस में आए हैं और जो मिस्टेक ऑफ फेक्ट हैं इस तरह की बात रिव्यू के जरिए सरकार की नजर में आ सकती हो, एप्लीकेशन के जरिये या सुओ-मोटो भी अगर जिनआइन केसेज है तो उनको वापिस सरकार रिव्यू करके उनको वापस सदस्य घोषित कर सकती है। इस मन्शा को मद्दे नजर रखते हुए यह अमेंडमेंट मेरा अगर सरकार मन्जूर कर ले तो इसको मन्शा पूरी हो सकती है।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अपनी ही पार्टी के सरपंचों को संशोधन रखे और दूसरी पार्टीज को विक्टीमाइज करने के लिए यह अमेंडमेंट लाया गया है, तो सरकार की ऐसी नीयत इस अमेंडमेंट से जाहिर नहीं होती है। ऐसे मामले किसी भी पार्टी के हों अगर वे रिव्यू के जरिए ठीक किए जा सकते हैं और उनको रेमिडी मिल सकती है, तो इसमें पार्टी पालिटिक्स का क्या सवाल है।

निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य,

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

ने कहा कि "एट एनी टाइम" हटा दिया जाय। उनके कहने का मतलब यह था कि बहुत समय पहले कितने साल से रेगुलेराइज करेंगे या कितने केसेज रीओपीन होंगे। उसके लिए जो पंचायत समिति या जिला परिषद और पंचायतों के इलेक्शन के बाद में उसी पीरियड के केसेज ही कवर किए जा सकते हैं। इससे साफ है कि उसके पहले, उससे ही ज्यादा पहले के और.हो ऐसे कवर होने का उसमें साफ प्रतीत होता है इसलिए इलेक्शन के बाद केसेज आये हों और दरमियान में हों, तो 'एट एनी टाइम' से कवर हो जायगा। 'एट एनी टाइम' का मतलब है पंचायत एक्ट लागू हुआ है तब से। बाद से मंशा प्रतीत नहीं होती है। इसलिए स्टेटमेन्ट ऑफ ओब्जेक्ट्स के जरिये से और मन्त्री महोदय ने जैसी इस के विषय में मंन्शा जाहिर की थी उनको पूरा करने के लिए और केसेज जो सरपंच हटा दिये गये है रिव्यू की वजह से ठीक किये जा सकते है! ऐसे सरपंच जिनके साथ में वास्तव में अन्याय हुआ है उनको न्याय मिल सके। इसलिए मैंने ये जो अमेन्डमेन्ट्स रखे हैं उनको सरकार को मन्जूर करना चाहिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय..........

श्री अध्यक्ष : केवल दो मिनिट।

श्री दुर्गालाल बाढदार ; माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना यही चाहता था कि जहां रिव्यू का प्रश्न आता है मन्त्री महोदय ने उस प्रश्न को बिलकुल स्पष्ट नही किया है। रिव्यू का प्रावधान करना आप आवश्यक समझते थे और आर्डिनेन्स की आवश्यकता नहीं होते हुए भी आप ले आये और पीछे की घटनाओं और बातों को दृष्टिगोचर बताया उससे साफ होता है कि कुछ लोगों के कारण 'रिव्यू' को इन्सर्ट किया है। खैर! आपने कर दिया। कानून यह चाहता है कि नजरसानी कर गलती हो जाय तो उसको सुधार सकें–इसी भावना से कानून लाते तो ठीक है।

दो बातें रखीं। अगर प्राइवेट इन्डिविजुअल के किसी ऑर्डर को सेट असाइड करना है, आपने गलती की चाहे एरर ऑफ ला हो, आपके ध्यान में आये तो ६० दिन में दरख्वास्त दे और आप उसको उसको सुन लेंगे और ठीक कर देंगे। लेकिन जहां सुओ मोटो रिवाइज करना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : वह फैसला सरकार का हो।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सुओमोटो सरकार हटा सकेगी एट एनी टाइम। सरकार के लिए मियाद की पाबन्दी लगाना एक बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। पांच वर्ष के लिए पंच इत्यादि चुनकर आते हैं। पांच वर्ष सरकार सो सकती है। आप कानूनी दृष्टि से कह सकते हैं कि सरकार के लिए लिमिटेशन का प्रोविजन नहीं होना चाहिये लेकिन इसके पीछे असली बात यह आती है, इलेक्शन के बेज आते हैं उनमें सरपंच और प्रधान को हटाना चाहेंगे, कोई भी इल्जाम लगा कर रिव्यू करते हैं, इस प्रकार का एक मैटर बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए थोड़ी

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

लिमिटेशन अपने अपने ऊपर भी रख लीजिये। ६० दिन की नहीं, तीन महीने की रख कीजिये छः महीने की रख लीजिये। यही नहीं, कभी आप एरर ऑफ एक्ट निकाल देंगे, कभी आप एरर ऑफ फेक्ट निकाल देंगे। कोई न कोई आप इल्जाम लगा देंगे आपकी मर्जी चाहे जब निकाल दिया और मर्जी चाहे जब निकाल दिया और मर्जी चाहो जब रिइन्स्टेट कर दिया। यदि आप सही मानें में जनता का नेतृत्व करना चाहते हैं तो नेता के गुणों को अपनाने की कोशिश कीजिये। नेता वही हो सकता है जिसमें गुण हों। यदि आप निरंकुश होकर चलेंगे तो आप स्वयं मार्ग से भ्रष्ट हो जावेंगे और और रास्ता गलत हो जायगा और आप पर कोई रोक नहीं रहेगी, कोई थाम नहीं रहेगी, गलत रास्ते पर जाते २ चाहें कितनी ही भावनायें रखें आप अपने मार्ग से च्युत हो जावेंगे। आपके हित में आपकी भलाई में मैं यह बताना चाहता हूँ कि इसमें आप तीन महीने या छः महीने का प्रावधान रखें इसलिए आपके जो अधिकारी हैं उनको चिंता रहेगी और रास्ता भी सही रहेगा। तीन महीने में या छः महीने में एरर ऑफ ला या एरर ऑफ फेक्ट रह गया है तो उसको दुरुस्त करने के लिए चिंता रहेगी। नहीं तो आप सोते रहेंगे और आपके अधिकारी भी पांच साल तक सोते रहेंगे। कई शिकायतें भी आयेंगी, नोटिस आता है शिकायत का। शिकायत का कागज मेज के अन्दर पड़ा रह जायगा। हम चाहेंगे जब शिकायत को रिओपन करस कते हैं। यदि आप पर थोड़ा कन्ट्रोल रहे तो इससे इफिशियेन्सी बढ़ेगी और जल्दी ही आप काम करने की कोशिश करेंगे। अन-सेटल्ड पावर्स जो आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं यह लाभप्रद नहीं होगा। इससे आप अपनी ओर अपने ओफिशियल्स की आदतों खराब कर देंगे। जो कार्य हम जल्दी करना चाहेंगे वह नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप अपने को इतना निरंकुश बनाने की कोशिश मत करिये। स्वयं नियन्त्रण में रहिये और उसके बाद नियन्त्रण में रखने की चेष्टा कीजिये। आप स्वयं निरंकुश रह कर कर दूसरों पर अंकुश लगाने की चेष्टा करते हैं–यह गलत है। भले आदमी का यह काम नहीं है। अंकुश में रहने की कोशिश करनी चाहिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सुओ मोटों में लिमिटेशन्स हैं किसी कानून में कोई? बता दीजिये।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, एक मेरा छोटा सा निवेदन है माननीय मंत्रीजी को। खैर! आपका बहुमत है। आप जचेंगा-जैसा करेंगे। रोकने की अभी हममें क्षमता नहीं है। कोशिश जरूर कर रहे हैं कि वह किया जाय लेकिन अभी वह नहीं हुआ।

एक बात आप ध्यान कर लीजिये कि रिव्यू आप करें। लेकिन पंचायत के चुनावों के तीन महीने पहले आप कर लें। इतनी गुन्जाइश जरूर रखें। वरना, अध्यक्ष महोदय, क्या होगा कि छोटी २ सी बातों पर लोगों को डिबार कर दिया जायगा और सरकार की ओर से एन टाइम पर उन्हें कहा जायगा कि तुम और तुम्हारी पार्टी पहले प्रधान का समर्थन

(श्री मानसिंह महार)

करो जब तो तुम्हारे केस का रिव्यू कर सकते हैं वरना नहीं। यह कह कर बहुत सा पक्षपात होगा। समझ में नहीं आया आपके !

श्री रघुनाथ विश्नोई : नहीं आया।

श्री मानसिंह महार : मतलब की बात है। यह भी मतलब की बात होगी उनकी पार्टी के खिलाफ इसलिए वास्तविकता उनके समझ में नहीं आ रही है।

कोई सरपंच है। उसको डिबार कर दिया। अधिकांश केसेज उनमें ऐसे ही हैं कि जो उनके पक्ष के खिलाफ हो गये और उनके फेवर में नहीं हुए....

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके फेवर में बनाया जा रहा है।

श्री मानसिंह महार : हमारे फेवर में बनाया जा रहा है तो इसको ड्रोप कर दीजिये। हमें फेवर नहीं चाहिये, हम नहीं चाहते कि हमारे फेवर में ऐसा कानून बनाया जाय। आपका कहना कि किसी के फेवर में बनाया जा रहा है यह साबित करता है कि कानून जो भी बन रहा है तो वह निष्पक्ष नहीं बन रहा है। हमारे फेवर में है तो आप उसको अविलम्ब विथड्रा कर लीजिये। हम, नहीं चाहते किसी प्रकार का फेवरेटिज्म। यह तो आपको ही मुबारिक हो।

अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट शब्दों में कह दूं, मुझे याद है, बहुत से लोगों को डिबार कर दिया गया। एक दो केसेज ऐसे हो सकते हैं जैसा परसों–परले दिन मंत्री जी ने कहा कि मेरे नोटिस में आये हैं जिनमें अन्याय हुआ है। एक केस भी साइट करके बताते कि यह इस प्रकार का केस है और इस कारण इस प्रकार के अधिकार की आवश्यकता है। तो हम मानने को तैयार हो जाते। परन्तु उन्होंने एक केस भी साइट नहीं किया कि फलां केस में इस प्रकार की बात हो गई। एक महिला का जरूर जिक्र कर दिया। बाई दी वे जो ट्रेनिग में नहीं जाते डिबार हो गये। दूसरी चीज क्या है मैं निवेदन करू अगर ट्रेनिग में जाने के लिये ही इसको सीमित कर देते हैं तो कुछ हदतक हम मान भी सकते हैं। ट्रेनिग में नहीं गया डिबार हो जाता है तो यह उनकी इच्छा है।

अब होने क्या जा रहा है लोगों ने बड़ा भारी गबन किया उनको डिबार कर दिया। वे लोग जो विरोधी पक्ष की तरफ थे उनको छोटे छोटे मामलों में इस राजस्थान में यहां तक हुआ है कि एक प्रधान को इस बात का नोटिस दिया गया क्यों नहीं आपको निलम्बित किया जाय क्योंकि आपने स्टेंडिंग कमेटी की मीटिंग में जाकर के स्टेंडिंग कमेटी को प्रभावित किया इसलिये क्यों नहीं आपको निलम्बित किया जाय। और कोई उनकी शिकायत नहीं थी। आप चाहेंगे तो उस चार्जशीट को मैं सदन में पेश कर दूंगा यह चॉर्जशीट प्रधान सिकराय को दी गई क्योंकि हमारी पार्टी का प्रधान है। सिकराय का जो प्रधान है उसको इसी ग्राउन्ड पर कि स्टेडिंग कमेटी को प्रभावित किया। जब कि प्रधान को अधिकार है कि वह स्टेंडिंग कमेटी में जाकर बैठ सकता है। वहां उन अधिकारों की अति की

(श्री मानसिंह महार)

गई इसलिये उसको निलम्बित करने का नोटिस दिया गया । मैं पचासों उदाहरण ऐसे दे सकता हूं और दिये हैं जिनमें छोटे छोटे कारणों को लेकर निलम्बित किया गया है। वह भी हमारे पक्ष के आदमियों को किया जाता है। एक इन्स्टान्स, ग्लेरिंग इन्स्टान्स मैंने गत सत्र में रामपुरा रूपा का दिया । वहां के सरपंच को डरा कर हमारे मंत्री महोदय ने सस्पेन्ड जरूर किया है लेकिन अभी तक उनकी इन्क्वायरी नहीं हुई है । आज फिर में रिपीट करता हूं उसकी इन्क्वायरी नहीं होगी जब तक कि पंचायतों के फिर से चुनाव न हो जांय । अभी तक मंत्री महोदय तो यही कहते हैं कि उनको कोई ऐसा कानून नहीं मिला जिसके अनुसार दस मील एरिया में शहर की जितनी जमीन बेच दी है उस पर क्या कानूनी कार्यवाही की जाय यह अभी तक उनके दिमाग में नहीं आयी है। चूंकि ये उनकी पार्टी के सरपंच है इसलिये उन्होंने जमीन दे दी है उनके बेटे बेटियों के नाम से दे दी इसलिये कानून नहीं। अगर किसी को किसी प्रकार से डिसमिस कर दिया जाय दो चार वर्षों के लिये चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जाय उसको भी इस कानून की तहत वापिस लेने की चेष्टा की जायेगी । इस प्रकार हमें कोई एतराज नहीं मैं तो खुद सरपंच हूं मैं तो कहता हूँ कि सरपंच को ट्रेनिंग वगैरह के मामले में मदद होनी चाहिये उसके लिए इन्कार होना मैं समझता हूं यह सरकार का घृणित और पक्षपात पूर्ण रवैया है । एक झालावाड़ के सरपंच का मामला आया तो मंत्री जी ने जवाब तक नहीं दिया । हमको यह कहा जाता हैं कि पार्लिया-मेन्टरी परम्परायें कायम करें । हमें इस बात के लिए मजबूर किया जाता है कि हम सीमित दायरे में रहें । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, अध्यक्ष महोदय, सरकारी पक्ष को बाध्य किया जाय, सरकारी पक्ष पार्लियामेन्टरी परम्परा को कायम करने की कोशिश करे, जिन मुद्दों को हम उठायें उन मुद्दों की ओर ध्यान कीजिये और हमें सन्तुष्ट करने की कोशिश करें । हम इस सदन में जो मुद्दे उठाते हैं, वह केवल विरोध की भावना से नहीं उठाते । हम यह चाहते हैं कि सरकारी पक्ष इन मुद्दों पर ध्यान दे । अगर हम गलती पर हैं तो आप हमें समझाइये, हम गलत होंगे तो सरकारी पक्ष से क्षमा मांगेंगे । मेरा नम्र निवेदन है कि इसके अन्दर कम से कम जैसा कि विश्नोई साहब ने रखा है इसमें इतना जरूर और कर दिया जाय कि जो भी रियायतें दें चुनाव के तीन महीने पहले दे दें । चुनाव के एन टाइम पर न दें । इतना तो कर दीजिये । चुनाव के एक महीने पहले बेचारे सरपंचों के हृदय में कुछ भावना होगी, मंत्री जी के पास जायेंगे और कहेंगे कि मैं पूरा काम कांग्रेस का करूंगा, धर्म ले लेंगे गंगाजली उठाने को तैयार हो जायेंगे, कांग्रेस का समर्थन करने के लिये कहेंगे, यह उनके साथ घोर अन्याय हुआ मान लेंगे । इसलिये कम से कम तीन महीने पहले पंचायत के चुनाव की डेट मुकर्रर हो उससे तीन महीने पहले रियायत दे देंगे तो इससे कोई बाधा पड़ने वाली नहीं । कम से कम इतना तो एडीशन इसमें हो जाना चाहिये । इसी तरह से आप विरोधी पक्ष की भावना की कद्र करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को पता है कि जनरल डिस्कशन का समय नहीं है क्लाज बाई क्लाज डिस्कशन हो रहा है अतः विस्तार में न जाकर संक्षेप में ही दो चार मिनिट में जो कुछ कहना चाहें कहें।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर (बान्दी-कुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत अमेन्डमेन्ट बिल जो सदन में आया है उस पर काफी वादविवाद हुआ है। इस बिल के लाने के पीछे जो आशंका है वह है इसके पावर्स के मिस यूज करने की। माननीय अध्यक्ष ने जैसा कि आदेश दिया क्लाज बाई क्लाज पर ही कुछ बोलू मैं। क्लॉज ३ (ए) के संबन्ध में कम से कम यह जवाब दे मंत्री महोदय कि यह जो रिव्यू के पावर्स ले रहे है क्या ४७ सी. पी. सी. के मुताबिक है ?

इसमें जो इस तरह के वेग वर्ड्स यूज किये गये हैं वहां पर "error apparent on the record and palpably wrong', रिव्यू के पावर्स सीमित रखे गये हैं। ४७ सी० पी० सी. को न लेकर के जनरल वेग पावर्स लेने की वजह से ये वर्ड्स यूज किये हैं यही मन्शा प्रतीत होती है। इसमें यह संशोधन आया है कि जो पावर्स हों कम से कम वे लिमिटेड हों। लिमिटेशन के तहत सुओ-मोटो करने के लिये सी. पी. सी. में प्रावधान लिमिटेड है। जिस किसी चीज के लिये लॉ की इगनोरेन्स है, मैटीरियल फेक्टर यह है कि जो डेफीनेशन है, उससे गाइडेड नहीं है। उसके पीछे डिसीजन्स हैं, रूलिंग्ज हैं। उनका आधार लेकर यह दलील दी जा सकती है यह जो ४७ सी० पी० सी० का प्रावधान है उसके विपरीत इतने वेग टर्म्स लेकर ड्राफ्ट करने वालों ने किस मन्शा से रखा है। कम्पेयर करके देखें रिव्यू के प्रावधान दूसरी जगह क्या हैं ? मैं इस क्लाज पर बोलते हुए इतना ही अर्ज करूंगा कि जो इस बारे में अमेन्डमेन्ट रखा गया गया है उसको स्वीकार करें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत अमेन्डमेन्ट बिल जो हमारे सामने है उसके अन्दर यह साफ कहा गया है कि जो सरपंच प्रशिक्षण के लिये नहीं जाने के कारण या अन्य किसी कारण से सस्पेन्ड कर दिये गये हों, अलग कर दिये गये हों उनको फिर से वापिस ले लिया जाय, उनके खिलाफ जो केसेज चल रहे हैं उनको वापिस ले लिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस पंचायत क्षेत्र में मेरा ८-९ वर्ष का अनुभव है। मैं नम्रता के साथ हाउस को निवेदन करना चाहता हूं जितना इन्टरफीअरेन्स सरकार की तरफ से राजनैतिक तौर पर इस संस्था में हुआ है उसी का कारण है आज ये संस्थायें इस हद तक पहुंच गई हैं। जो सादिकअली की रिपोर्ट आयी है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है, राजनैतिक इन्टरफीअरेन्स इन संस्थाओं के कामों में हुआ है। और आगे के लिये भी कहा है कि इन संस्थाओं को राजनीति से परे रखना चाहिये।

यह कहा गया कि प्रशिक्षण में न जाने के कारण सरपंचों पंचों को सस्पेन्ड किया

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

गया। मैं प्रधान हूँ पंचायत समिति का। मैं जानता हूं वास्तव में क्या होता है। आपके यहां से इस तरह के आर्डर कि फलां सरपंच को प्रशिक्षण में जाना हैं जब आते हैं तो उनसे यह मालूम पड़ता है कि आपके पास ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रहता कि किस सरपंच ने कब प्रशिक्षण ले लिया हैं और किस ने नहीं लिया है। यही कारण हैं कि आप एक एक सरपंच को तीन-तीन, चार-चार बार प्रशिक्षण में भेज देते हैं। एक्ट में साफ लिखा हैं कि एक सदस्य को तीन-चार बार सूचना देने के बाद भी अगर वह नहीं जाता हैं तो ही अलग किया जा सकता है। परन्तु एक-एक सदस्य को कहीं कहीं तो छः महीनों में तीन बार आपके यहां से लिख दिया गया जब कि वह दो-तीन बार ट्रेनिंग में जा चुका हैं। ये अनियमितताएं मेरे ख्याल से इस कारण हुई हैं कि आपके पास रेगुलर ठीक रिकार्ड नहीं रहता कि कौन कब ट्रेनिंग में हो आया है और कौन जाना बाकी है। इनमें से भी बहुत से ९५ प्रतिशत वे हैं जो शासन करने वाली पार्टी के पक्ष के लोग हैं जो नहीं गये ट्रेनिंग में और जिनको सस्पेन्ड किया गया है और जो हमेशा यही समझते रहे कि हम तो शासन करने वाली पार्टी के लोग हैं अगर हम सरकारी आज्ञाओं का पालन नहीं भी करते हैं तो हमें वापिस किसी न किसी तरह से पदों पर बैठा रहने देंगे, और उन्हीं को पदों पर बिठाये रखने के लिए आप यह अमेन्डमेन्ट यहां ला रहे हैं।

आप लिस्ट रक्खें सदन की मेज पर कि कितने लोग ऐसे हैं जो प्रशिक्षण में नहीं जाने के कारण सस्पेन्ड हुए हैं, कहां के हैं और वे किस पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं जिनके केस को रिओपन करके वापिस रिइन्स्टेट करना चाहते हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि जितने ऐसे केस हैं इनमें ९५ प्रतिशत सरकारी पक्ष के पंच और सरपंचों के हैं। तो इस तरह से इस अमेन्डमेन्ट को लाकर राजनीति पंचायतों में फिर थोपी जावेगी। फिर इलेक्शन होने वाले हैं, इस कानून के जरिये फिर से इन लोगों की सरकार जनता की छाती पर बिठाना चाहती है। अपनी पार्टी की ताकत फिर पैदा करना चाहते हैं। हर कमेटी ने जो आपने बिठाई तथा सादिक-अली कमेटी ने भी हर बार यही कहा है कि पोलिटिक्ल इन्टरफीयरेंस इन पंचायतों में नहीं होना चाहिये। पर आप करना चाहते हैं। तो इस तरह की कमेटियां बिठाने से कोई फायदा नहीं होता जब कि उनकी सिफारिशों को आप मानते नहीं और बावजूद उनकी सिफारिशों के आप अपनी पार्टी के लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के अमेन्डमेन्ट, जिसमें राजनैतिक हित प्राप्त करना चाहते हैं, लाकर इन संस्थाओं को बदनाम करने का श्रेय आप न लें जो अपने आप यह कहते हैं कि हमने पंचायती राज कायम किया है। आपने पंचायती राज कायम किया है यह आपने बहुत श्रेय का काम किया है, हम इसके लिये आपको बधाई भी देते हैं पर जहां कायम करने का श्रेय आपने लिया है वहां उसे समाप्त करने का, उसमें राजनीति का घुन लगाने का अपयश आप न लें, उससे आप बचें। यह राजनीति का घुन इसमें लगा कर आप स्वयं

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

ही इसके खातमे का कारण बन रहे हैं। इसे अपमानित और बदनाम करने का कारण बन रहे हैं इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल को वापिस लेलें और वह जो अमेन्ड मेन्ट सादिकअली कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप आप लाने जा रहे हैं उनमें आप यह प्रोवीज़न रक्खें कि इनमें राजनैतिक इन्टरफोयरेन्स न आवे, राजनीति इनमें न पनपने पावे तो ये संस्थाएं ज्यादा काम कर सकेंगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं विरोधी दल का आदमी हूं और एक पंचायत समिति का प्रधान भी बन कर बैठा हूं। मैं जानता हूं कि किस तरह से हमारे साथ आज यह विभाग या यह सरकार अन्याय करती है, किस तरह से कदम २ पर हमारे रास्ते में अड़चनें डालती हैं, इसके एक नहीं सैंकड़े इन्स्टान्स में रख सकता हूं और अभी भी रख सकता हूँ कि किस तरह से इन लोगों ने विरोधी लोगों की पंचायतों को पैसा नहीं दिया, सरपंचों और पंचों पर किस तरह से आरोप लगाये पर वे तो चूंकी ईमानदार थे और मजबूत थे हट नहीं सके और उनके तंग करने के सारे रास्ते बेकार कर दिये। समय नहीं है इसलिये उदाहरण में नहीं दूंगा इस समय। पर अब चूंकि उनके खुद के ही लोग ज्यादा हट गये हैं इसलिये यह अमेन्डमेन्ट ला रहे हैं। तो यह शोभनीय नहीं है उनके लिये। ऐसी सूरत में वे इसे वापिस ले लें तो बहुत अच्छा हो।

श्री व्रजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस बात के बारे में ऐतराज उठाया गया है की इस बिल कि ये जो क्लाज हैं वे ठीक नहीं हैं।

ये दो मुद्दे हैं एक तो पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्रों में कोई व्यक्ति अगर ट्रेनिंग हासिल नहीं करता है आवश्यक नोटिस देने के बाद भी तो वह पंचायत से अलग कर दिया जाता है। और दूसरा यह कि इसके बाद जिस पंच या सरपंच के खिलाफ मिसकन्डक्ट की शिकायत हुई तो सरकार अपनी मशीनरी से एन्क्वायरी करवा कर जो डिसीजन दे उसके बारे में रिव्यू भी कर सके।

यह कहा गया कि रिव्यू करने के पॉवर सिविल प्रोसीजर कोड़ के रूल एक में दिये हुए हैं। जहां तक मैं मानता हूं अध्यक्ष महोदय रूल एक के पॉवर में लिमिटेशन्स है आर्डर ४७ के उससे कहीं ज्यादा लिमिटेशन्स इसमें रक्खे गये हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉवर्स हैं ट्रिब्यूनल के पावर रिव्यू के होते हैं उस जूरिस्डिक्शन के सामानान्तर है। आम तौर पर उसी तरह से एक्सरसाइज किये जाते हैं जैसे कि कान्स्टीट्यूशन के २२६ के प्रावधान में हाईकोर्ट करता है। और सरटीयोरारिजूरिस्डिक्शन में दो बातें हैं एरर अपारेन्ट आन दी फेस आफ रेकार्ड, चाहे एरर आफ फैक्ट हो या ला हो। "error apparent on the face of the record" वैसे अपारेन्ट एरर आफ ला में दो ओपीनियन हो सकती है। वसी वहां नहीं होती। पर ऐसी एरर जो अपारेन्ट है बिलकुल जिस पर सारा डिसीजन बेस्ड है उससे साइड कर जाते है या नेचरल जस्टिस के खिलाफ बात हुई है जैसे इवीडेन्स न सुनी हो केस एग्जामिन का मौका न दिया हो इस प्रकार की बात जो

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

नेचरल प्रिन्सिपल आफ नेचरल जस्टिस के खिलाफ जाता हो या ऐसी एरर जो सामने ही नजर आती हो जो रिकार्ड देखने से सम्बन्ध रखती हो जिसे स्पीकिंग आर्डर कह सकते है उससे ही पता लग जावे कि अपारेन्टली गलती हुई है तो ऐसे सरटीयोरारी जूरिस्डिक्शन में हाईकोर्ट रिव्यू कर सकता है। तो उसमें जो प्रावधान रक्खा गया है उससे लिमिटेशन ज्यादा ही हैं क्योंकि "if it was passed or made by it under any mistake whether of fact or of law..."

Because the order is passed under a mistake of fact or of law, वह अपने आप में साबित कर देता है कि यह एरर है जो अपारेन्ट है। तो गवर्नमेन्ट यह देखती हो कि इसमें मिस्ट्री आफ फैक्ट हुआ है, शहादत हुई है, पर उसे पढा ही नहीं गया है, तो ऐसी एरर को रिवाइज किया जा सकता है।

इस तरह एरर आफ ला की जो अपारेन्ट चीज है वह निहित हो तो स्पेसिफिक मेन्शन उसके करने की जरूरत नहीं है। सरटीयोरारी जूरिस्डिक्शन में कहीं नहीं कहा गया कि अपारेन्ट आन दी फेस आफ दी रिकार्ड है तो रिट नहीं करेगा। रिट जरूर करेगा इसी आधार पर कोई भी कोर्ट जो ट्रिब्यूनल का हो गवर्नमेंट आर्डर को भी सैट असाइड कर सकता है। यह सरटीयोरारी जूरिस्डिक्शन है "ignorance of any material fact" मान लीजिये ऐसा फैक्ट है जो नजर में ही नहीं आया और फैसला दे दिया तो ऐसे मामलों में गवर्नमेन्ट को रिव्यू के पावर होने चाहिये। आम तौर पर ऐसा होता है। म्यूनिसिपैलिटी के एक्ट में जूडीसियरी एन्क्वायरी के पावर का प्रावधान रखा गया है पर एन्क्वायरी जब होती है तो एडीशनल कलेक्टर डवलपमेन्ट के इन्चार्ज में होती है वह उसे सबोर्डिनेट को दे देता है। बहस वहां जाकर होती है, नोटिस जारी हो जाता है, केस की सुनवाई होती है, तो किसी की सुनवाई होती है, किसी की नहीं होती और आर्डर जारी हो जाता है।

ऐसी सूरत में कि जहां नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो या कोई फैक्ट्स या ला के खिलाफ मिस्टेक हो उसमें मेरी मान्यता यह है कि जहां तक एग्जीक्यूटिव आर्डर्स का ताल्लुक है जो एग्जीक्यूटिव आर्डस को पास करने वाली बाडी है उसको अपने आप इनहेरेन्ट पावर्स होते हैं अपने आर्डस को रिव्यू करने को अगर वह सोचती है कि मिस्टेक हुई है लेकिन क्योंकि यह रूल्स का मामला है और पंचायत एक्ट के तहत अपील के प्रावधान हैं इसी तरह से रिव्यू का भी प्रावधान होना चाहिए हालांकि इसमें पंचायत एक्ट में तो अपील का भी प्रावधान नहीं है कि कहां जाकर अपील करे तो उसमें कोई जगह नहीं रहती कि कहां पुकार करे इसलिए उसको दुबारा अपार्चुनिटी देने का रिव्यू की पावर्स दिया जाना आवश्यक है।

दूसरी बात सरपंचों के प्रशिक्षण की बात है। मैं ऐसा समझता हूँ कि यह गलत है। मैं समझता हूं कि यह डेरोगेटरी है और प्रिन्सिपल्स आफ डेमोक्रेसी के खिलाफ है। जब एक आदमी चुनकर आ जाता है तो यह किस प्रकार की जरूरत है कि उसके प्रशिक्षण के

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

लिए जाना ही पड़े। मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं अपने आपको इतना काबिल समझता हूँ कि ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। क्या आप असेम्बली में जो लोग आते हैं उनसे भी ज्यादा काबिल इनको बनाना चाहते हैं। वह तो वालेन्टरी सर्विस देने के लिए चुनकर आये हैं और उनके ऊपर आप बन्दिश लगाते हैं और फिर यह कहें कि चुनकर आया हुआ सरपंच ट्रेनिंग को हासिल नहीं करेगा तो वह हटा दिया जायेगा। यह प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। ऐसा क्लाज रखना डेमोक्रेसी की इन्सल्ट है और ऐसे व्यक्ति की इन्सल्ट है जो कि चुनकर आता है। तो मैं समझता हूं कि यह क्लॉज जरूर रिमूव किया जाना चाहिए। इससे हम डेमोक्रेसी की रक्षा कर सकेंगे।

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नीम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस क्लाज में यह बात बताई कि 'एट एनी टाइम' को हटा दिया जाना चाहिए। वैसे तो यहां पर इस क्लाज़ के बाहर क्योंकि क्लाज़ की परिधि में वह नहीं बोलकर बहुत सी इधर उधर की बातें उन्होंने कही। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और हाउस को एश्योर करना चाहता हूँ कि जहां तक राज्य सरकार का सवाल हैं किसी प्रकार से पक्षपात की नीति से, राजनीति के आधार पर किसी प्रकार का फैसला नहीं करेंगे और न करते हैं। बल्कि हमारे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा कि हम तो केवल एक मशीन हैं साइनिंग और पालीटिकल विक्टीमाइजेशन का डर भी उन्होंने दिखाया। मैं यह कहना चाहता हूँ जब वह साइनिंग मशीन है तो पोलीटिकल विक्टिमाईजेशन हो नहीं सकता और आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे बहुत से ऐसे केसेज़ हैं कि ७५ परसेन्ट जो सदस्य हैं या सरपंच हैं जिनके कि खिलाफ कार्यवाही की जायगी। दूसरी तरफ से माननीय सदस्यों ने कहा जो अलवर से आते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है उनके ज्यादा सदस्य इससे इफेक्टेड होंगे। मैं कहूं कि राजनीति के आधार पर यह फैसले नहीं होते हैं। जो माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार केवल उन केसेज को जिनमें दरअसल में इनजस्टिस हुआ है और जस्टिस डिमाण्ड करते है उनको री-ओपिन करेगी और खास तौर से जो यह प्रावीजन है कि पंचायत समिति के बहुत से सदस्य प्रशिक्षण में नही जाने की वजह से अयोग्य सावित किये गये उनके लिए यह खास तौर पर है। और दरअसल में जिनके खिलाफ कोई अन्याय हुआ है उनके लिए प्रावीज़न है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यहां पर यह कहा गया कि हम राजनीति के आधार पर फैसला करेंगे वह कतई हमारी मन्शा नहीं है।

दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने निवेदन किया कि जो निर्दोष लोग हैं और जस्टिस डिमाण्ड करते है और जिनके साथ अन्याय हुआ केवल उनके केस को री-ओपिन करने का सवाल है बाकी केसेज़ को उठाने का सवाल ही नहीं उठता। तीसरी बात यह है कि कहीं पर किसी का चुनाव हो गया और राज्य सरकार अपने अधिकार को एक्सारांइज़ नहीं करेगी। जो पोस्ट भर गई, इलेक्शन

Page No. 68

(श्री भीखाभाई)

हो गया उस पर यह लागू नहीं होगा यह आश्वासन मैं देना चाहता हूँ। यह इस प्रकार के प्रावीजन जैसे अपील के प्रावीजन दूसरे प्रान्त में हैं महाराष्ट्र में रिव्यू के पावर्स कमिश्नरको है, आन्ध्र में कमिश्नर ओथरिटी है तो गवर्नमेंट के पास रिव्यू के पावर्स हैं। लेकिन मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आन्ध्र के अन्दर उनको एकदम स्वीपिंग अनफेटर्ड अधिकार दिये गये हैं। उस एक्ट की कापी भी मेरे पास मौजूद है और उसका सेक्शन ३४ मौजूद है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार जो भी अधिकार रिव्यू के लिए लेना चाहती है वह रेस्ट्रिक्टेड हैं। यह हमारा गत राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट है उसके अन्दर भी इस प्रकार के प्रावीजन का प्रयोग हुआ है।

"The State Government may, of its own motion or on the application of a party to a suit or other proceeding, may review and may rescind, allter or confirm any order made by or under this Act."

यह मैंने निवेदन किया। उसी तरह से दूसरे जो आन्ध्र का है उसके बारे में मैं कहना चाहता था। उसके अन्दर भी इस प्रकार की चीज है।

"The State Government shall have the power to review any order issued under sub-section (1) or (4)".

यह आर्डर इस तरह का है। इन सारी बातों में न जाकर केवल हमारे पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट को मुलाहजे के लिए प्रस्तुत करता हूं और उसमें यह बात लिखी हुई है पहले से ही :—

"(3) The State Govergment may of its own motion at any time or on an application received from any person interested, within ninety days of the passing of an order under sub-section (1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law, or inignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to sub-section (1) and in sub-section (2) shall apply to a proceeding under this sub-section."

अगर अध्यक्ष महोदय, यह सब-क्लाज का हवाला नहीं होता, इन सेक्शन्स का जिक्र नहीं होता तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस लेजिस्लेचर में यह स्थिति नहीं आती। जनरल क्लाजेज के अन्दर अमेन्डमेन्ट रिव्यू का नहीं होने से यहां पर यह करना पड़ा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता था कि जो माननीय सदस्यों के दिमाग में भ्रम है उसे दूर कर दें। जैसा मैंने कहा कि इसके जरिये से कोई पालिटिकल विक्टिमाईजेशन या राजनीति के आधार पर काम नहीं होगा। इतना ही नहीं अगर किसी जगह पर चुनाव के जरिये से कोई स्थान भर गया तो उसके ऊपर भी राज्य सरकार अपनी तरफ से अधिकार ले रही है उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करेगी, इतना मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो

(श्री भीखाभाई)

अपने अमेन्डमेन्ट्स रखे हैं उनको वापिस लेने की कृपा करें और मैं समझता हूं कि हमारे बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एक क्लेरीफिकेशन दिया उससे यह साफ साफ हो जाता है कि दरअसल में इग्नोरेन्स आफ फैक्ट्स और इग्नोरेन्स आफ ला के जरिये से यह स्पष्ट होता है कि जो सिविल प्रासीजर कोड के अन्दर अपेरेन्टली जहां मिस्टेक आफ फैक्ट्स नहीं है उससे भी ज्यादा लिमिटेड किया है। रिव्यू के पावर्स लिमिटेशन्स के आधार पर हम चाहते हैं। अगर उसका रिट्रो-स्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो जैसा माननीय सदस्य ने कहा तो मैं निवेदन करूंगा कि सदन के सदस्य और मैं सरकार की ओर से यह चाहूंगा कि श्री विश्नोई हैं उनका जो अमेन्डमेन्ट है और वह जैसा है वैसा ही स्वीकार करता हूं।

श्री अब्दुल जब्बार : यह जो आपने "At any time" के लिए बतलाया तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिल्कुल साफ तौर से जाहिर होता है:—"The State Government may of its own motion at any time or on an application received........."

अब आप रिवीजन कर रहे हैं यानी स्वयं जब आप रिवोजन कर रहे हैं—

Is the Government interested to review its own judgment or simply on application from an aggrieved person ? The Government should clear the position whether it wants to proceed on an application of aggrieved person or review its own judgment. Therefore, the words "at any time" should be deleted. You should not feel shy to accept correct thing.

यह "any motion" आपका नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष : रिव्यू का मतलब यह है कि जो सरकार अधिकार लेना चाहती है वह इसलिए अधिकार ले रही है कि सरकार ही आखरी आथोरिटी है जो ऐसे मामलों में कुछ आज्ञाएं जारी करती हैं। इस सारी व्यवस्था में यह हो गया है कि इस बिल में अपील का प्रोवीजन नहीं है कि अमुक आथोरिटी हुक्म जारी करेगी तो उसकी अपील कलेक्टर के पास होगी या लोअर कोर्ट में होगी। यह प्रावधान नहीं है। इसलिए जो आज्ञाएं जारी हुई है वे केवल सरकार द्वारा जारी हुई हैं। बड़ी कोर्ट समझिये या लोअर कोर्ट समझिये वही है। जिन लोगों के खिलाफ आज्ञाएं जारी की गई हैं आज तक और जिनको अपील करने का मौका नहीं मिला है इसलिए संभव है कि कोई जगह न्याय नही हुआ हो तो आज उन दिक्कतों को दूर करने के लिए सदन के समक्ष एक हल आया है। उन में कोई न्याय से वंचित रह गया हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो या और किसी कारण से तो क्या उनको इस कानून के अन्तर्गत कोई राहत नहीं मिल सकती ? इसलिए जो रिवीजन का प्रोवीजन है उसको ठीक ढंग से इस्तेमाल करेंगे इसलिए यह बड़ा ही आवश्यक प्रोवीजन है। सब ऐसे कानून होते हैं उनमें रिवीजन का प्रोवीजन होता है। "At any time" के रखने का गवर्नमेंट का अधिकार नहीं रखेंगे तो निरर्थक होंगे सारे स्टेट गवर्नमेंट ने जो आर्डर पास किये हैं।

श्री अब्दुल जब्बार : डिक्लेरेटरी सूट किया जा सकता है। रिट पिटीशन लाई जा सकती है। ऐसी बात नहीं है। ला में ऐसा नहीं है। यह खुली चीज है। पंचायत एक्ट में रिवीजन की आथोरिटी है। ऐसे पावर्स हैं रिवीजन के कलेक्टर को पंचायत एक्ट में।

श्री भैरोंसिंह : यह बताया जाय कि ऐसे केसेज कितने है जिनमें इस प्रकार की गलतियां की गई हैं, सस्पेन्शन किये गये हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप पधार गये थे उस रोज जब कि बहस हो रही थी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २ में जो संशोधन श्री अब्दुल जब्बार ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २ में संशोधन जो श्री विजयसिंह झाला ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २ में जो संशोधन श्री रघुनाथ विश्नोई ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार हो गया।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज २ को स्वीकार किया जाय। जो इसके पक्ष में हों वे "हां" कहें और जो विपक्ष में हों वे ना कहें।

(मतदान के पश्चात्)

श्री भैरोंसिंह : "ना" पक्ष जीता। (सरकारी पक्ष से) आप ट्रिब्यूनल की बात स्वीकार कर लें तो इस बिल को हम मान लेंगे।

(मत–विभाजन–सूचक घंटी)

(विराम)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद (सेकण्ड एमेंडमेंट) बिल, १९६४ का संशोधित क्लॉज २ स्वीकार किया जाय। जो इसके पक्ष में हों वे "हां" कहें जो इसके पक्ष में नहीं हों वे "ना" कहें।

(मतदान के पश्चात्)

श्री भैरोंसिंह : "ना" पक्ष जीता। Noes hava i t sir.

सरकारी पक्ष : Ayes have it Sir.

श्री मानिकचन्द सुराणा : Noes clearly have it.

श्री अध्यक्ष : लाबीज में ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

श्री अध्यक्ष : Divison in the Lobbies. हां पक्ष वाले 'हां' पक्ष की लॉबी में जायें और 'ना' पक्ष वाले 'ना' पक्ष की लॉबी में जायं।

विभाजन संबंधी विशेषाधिकार प्रश्न

श्री मान्धातासिंह (महुवा) : Mr. Speaker Sir, may I raise a question of privilege in the House. At the time of recent division, an official of the House was standing in the Noes lobby physically preventing the Members from entering in the lobby and man-handling them. This is a question of privilege affecting the rights of the members.

श्री अध्यक्ष : But this is not the way to raise it, I most respectfully submit.

श्री मान्धातासिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले लिख कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : This is not the question of all the M.L.A.ds. This is your own personal question.

श्री मान्धातासिंह : एसेम्बली के सर्कूलर के अनुसार सदर्न गेट के बाहर एम. एल. एज की कारें उनके उतर जाने पर सिरह डयोढी के पास खड़ी होनी चाहिये। पर ऐसा न होकर यहां आउट साइडर्स की कार्स खडी हो जाती हैं और एम. एल. एज. की कार्स पार्क नहीं करने दी जाती हैं। यह प्रिविलेज का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : यदि प्रिविलेज का प्रश्न कार पार्किंग के रूप में आयेगा तो........

श्री मान्धातासिंह : कांग्रेस एम. एल. एज. हैं उनको कार पार्किंग की सुविधा है—

श्री अध्यक्ष : आप लिखित में दें।

श्री मान्धातासिंह : लिखित में अर्ज किया है।

श्री अध्यक्ष : Hon' ble member please.

श्री मान्धातासिंह : यदि अपोजिशन की तरफ से कोई चीज होती है तो ऐतराज किया जाता है........

श्री अध्यक्ष : आप कृपया ध्यान दें कि किस समय क्या बात उठानी है। आपकी पार्टी के लीडर है, चीफ व्हिप है, कार्य करने का तरीका है, असुविधा दूर करने का भी तरीका है। बगैर नोटिस दिये कोई बात यहां खड़ी नहीं की जाती है। These are not the rules, neither the procedure nor the conventions. You should know that before you agitate them here.

श्री मान्धातासिंह : I have a right to......

श्री अध्यक्ष : This is not the way you have your party, your leader, your Secretary. They have the channels of communication with the Secretarat and......

Page No. 72

श्री मान्धातासिंह : I think, every member has a right to put his...

श्री अध्यक्ष : No. He has no right. In the rules, procedure is mentioned. He has no right to agitate in any way he prefers, Please study the rules, please study your privileges and please study your responsibilities also and then come and agitate. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ (पूर्व क्रम से पुनः) मतदान का फल इस प्रकार है :

हां पक्ष ५० मत

ना पक्ष ३० मत

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता संशोधित क्लॉज़ २ स्वीकार किया गया ।

(विभाजन के अनुसार "हां" व "ना" पक्ष की सूची)

"हां" पक्ष ।

श्री अमृतलाल यादव

श्री बालकृष्ण कौल

श्री भवानीसिंह नन्दवाना

श्री भीखाभाई

श्री भीम सैन

श्री भीमसिंह

श्री बृजसुन्दर शर्मा

श्री चन्दनमल वैद

श्री चतुर्भुज उपाध्याय

श्री दलपतसिंह

श्री दौलतराम सारण

श्री देवीलाल मीणा

श्री धर्माराम आर्य

श्री गणेशलाल

श्री गङ्गाराम चौधरी

श्री गिरधारीलाल व्यास

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय

श्री हरिराम धारू (सिवाना)

श्री हरिश्चन्द्र

श्री हरलाल

श्री जगन सिंह

श्री जेठमल बरवड़

श्री जुझारसिंह

श्री ज्वालाप्रसाद

श्रीमती कमला बेनीवाल

श्री कानाभाई नुवाल

श्री केशरीसिंह जोजावर (खारची)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत

श्री मालमसिंह

श्री मनफूलसिंह

श्री मथुरादास माथुर

श्री मुक्तिलाल मोदी

श्रीमती नगेन्द्रबाला

श्री नत्थीलाल

श्री नाथूराम मिर्धा

श्रीमती निर्मलादेवी नाहर

श्री परसराम मदेरणा

श्री फूलचन्द जैन

डा० पाहूमल ईसरदास

श्रीमती प्रभा मिश्रा

श्री प्रतापसिंह

श्री रघुनाथ विश्नोई

श्री रामप्रसाद लढ्ढा

श्री रविशङ्कर याज्ञिनक

श्री रावतराम

श्रीमती सुमित्रा

श्री स्वरूपनाराण पुरोहित

श्री तेजाराम गहलोत

कुमारी उमा माथुर

'ना' पक्ष

श्री अब्दुलजब्बार

श्री अभयसिंह

श्री भैरोंसिंह शेखावत

श्री भानुप्रसाद करोड़िया

श्री दयाचन्द सोन

श्री दुर्गालाल बाढ़दार

श्री फतेहसिंह

श्री गोपीलाल गोठवाल

वैद्य श्री गोविन्दसहाय

श्री हरिराम चौहान (तिजारा)

श्री जयलाल

श्री जयनारायण सालोदिया

श्री जोधसिंह चौहान

श्री कृष्णकुमार गोयल

श्री लक्ष्मीचन्द

कुं० श्री महेन्द्रसिंह गांवड़ी।

श्री मानिकचन्द सुराणा

रावत श्री मानसिंह महार (आमेर)

श्री मथुरेश बिहारी माथुर

श्री मावा

मास्टर श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़)

श्री रामसिंह

श्री सागरमल

श्री सम्पतिलाल बोहरा

श्री श्रवणलाल

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

श्री मानधातासिंह

श्री उदयलाल वर्दिया

श्री उमरावसिंह ढावरिया

श्री विजयसिंह झाला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि धारा ३ स्वीकार की जाय ?

(स्वीकृत)

धारा ३ स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि धारा १ प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किये जांय ?

(स्वीकृत)

धारा १, प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किये गये।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेकन्ड अमेन्डमेन्ट बिल, १९६४ पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेकन्ड अमेन्डमेन्ट बिल, १९६४ पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया गया।

(१२. २९ म० प०)

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६४

श्री अध्यक्ष : राजस्थान पंचायत अमेन्ड-मेन्ट बिल, १९६४, इस पर भी धारा ३ में संशोधन हैं। माननीय सदस्य यदि रखना चाहें या बोलना चाहें तो बोललें वरना इस पर मतदान किया जाय।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) संशोधन इस प्रकार हैं:—

In new Section 70 B (i) In sub section (1) delete the words at "any or" and the words "if it was' ?

(ii) In sub section (2) the word "five" be reqlaced dy the word "one".

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अर्ज किया इस पर भी एक संशोधन मेरा है और इस सम्बन्ध में पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट में इसप्रकार प्रोविजन है सैक्शन ८५ में

'85 (3) The State Government may of its own motion atany time time or on an appcation received form any person interested, within ninety days of the passing of an order under sub-section (1), review any such order if it was passed by it under any mistake whether of fact or of law, or in ignorance of any material fact.

(श्री अब्दुलजब्बार)

The provisions contained in the proviso to sub-section (1) and in sub-section (2) shall apply to a proceeding under this sub-section.

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार कानून में पहले से रिवीजन और अपील वगैरह का साफ तौर से प्रावीजन दे रखा है। ऐसी आवश्यकता पेश नहीं आती है तो मन्त्री महोदय या सरकार इस सम्बन्ध में कदम उठावे और उसके बाद इस बात की कोशिश करें कि रिलीफ दिया जायगा। अध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार पंचायत, पंचायत समितियों को प्रोटेक्शन दिया जायगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विकेन्द्रीकरण की योजना सारी गलत सिद्ध हो जायगी और विकेन्द्रीकरण की जो इमारत खड़ी की है वह धराशायी हो जायगी-इसमें दो राय नहीं है।

मैं बड़ी मजबूरी के साथ दो चार कैसेज् ऐसे बताता हूँ जिनसे मालूम होगा कि किस प्रकार पंचायतों में गड़बड़बाजी होती है और जिनका नतीजा यह होता है कि जो फंड कन्ट्रीब्यूट किये जाते हैं वह सेफ नहीं रह सकते है और न ही कायम रह सकते हैं। मैं आपको एक ट्रेक्टर की खरीद का केस बताता हूं। उससे आपको मालूम होगा कि किस प्रकार की गड़बड़ी होती है और कैसे प्रोटेक्शन मिलता है और कैसे गैर कानूनी काम के खिलाफ कार्यवाही तक नहीं होती हैं। अध्यक्ष महोदय, एक ट्रैक्टर राजस्थान कामर्शियल कम्पनी से खरीदा गया डीडवाना पंचायत समिति के लिए। जब वह वहां पहुंचा तो उस समिति ने उसे खराब बता कर वापिस लौटा दिया। उसको इसके लिए दो हजार रुपये दिये गये थे। मन्त्री महोदय जानते हैं कि वह रुपया नहीं आया है। लेकिन इसके बाद ट्रेक्टर पर कलर करके उसे पंचायत समिति प्रतापगढ़ को बेच दिया गया और उसकी कीमत इन्स्टालमेंट में १५ हजार ३१-७ को, पांच हजार ७-३ को और ६ हजार २८-८ को २६ हजार रुपया चुकाया गया था। ट्रोली भी उसके साथ थी। १६५८ में उसे पंचायत समिति डीडवाना ने रिजेक्ट करके वापिस कर दिया था लेकिन पंचायत समिति प्रतापगढ़ ने उसे खरीदा और २६ हजार उस ट्रेक्टर को खरीद कर बेचती है जब कि वस्तु स्थिति यह है कि वह २० हजार में खरीदा गया था। अब इस प्रकार की आडिट रिपोर्ट होती है, जिनके आधार पर रिव्यू करने का सवाल आता है। केस रेफर करें तो मान सकते हैं कि रिव्यू का सवाल है। लेकिन पंचायत समिति और पंचायत की प्रोसीडिंग्स आपकी सूचना के लिए मिलती रहती है, वह क्या कर रही है क्या नहीं—इसकी जांच होती रहती है। अब अध्यक्ष महोदय, सवाल आता है कि सरकार उत्सुक है, सरकार लालायित है कि गलत काम करने वाले आदमियों को सजा दे और सही आदमियों को रेस्टोर करे। लेकिन जहां रेस्टोरेशन का सवाल आता है तो सरकार आंख मूंद कर रह जाती है और उनकी ओर ध्यान नहीं देती है। केवल यही नहीं है, अध्यक्ष महोदय, कि मेरे पास इन्फारमेशन आई हो-लेकिन "शिकायत" नाम का एक पत्र है, उसमें एक समाचार छपा है—"२८ हजार रुपये हजम"। इस हैडिंग से "शिकायत" पत्रिका में मंगलवार ४ अगस्त,

(श्री अब्दुलजब्बार)

१९६४ को समाचार छपा है। मेरे पास सूचना है वह इसके अलावा है। इसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया तो यह कोशिश की कि यह काम करते रहे और दूर दूर रहें। इस प्रकार विकेन्द्रीकरण का राज्य खत्म किया जायगा। यह मैं समझता हूं।

निम्बाहेड़ा पंचायत समिति ने फर्जी नामों से, किसानों के झूंठे दस्तखत बनाकर टीन शीट इश्यू की और उसके बाद कम्पाउन्डर को इश्यू की हैं....

श्री रघुनाथ विश्नोई : इससे कैसे रिलेवेन्ट है जी ?

श्री अब्दुलजब्बार : इसलिए है कि आप सुधार करने के लिए कानून बना रहे हैं और दुबारा कुर्सी पर बैठाने के लिए कानून बना रहे हैं। मैं यह कैसेज रेफर करके बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार की सख्त गलतियां करते हैं लेकिन उसके बाद भी प्रोटेक्शन मिलता है, फिर मौका दिया जाता है कि इस प्रकार की कार्यवाहियां और करें। इनके अलावा मैं समय समय पर बहुत से कैसेज बता चुका हूं माननीय सदस्यों को इस सदन में और गवर्नमेंट भी उनसे वाकिफ है। मैं कहूंगा कि हद दर्जे की गड़बड़ियां हुई है, रिकार्ड पूरे के पूरे खत्म कर दिये। मैंने उदयपुर के विजयपुर के बांध का केस बताया था। वहां २६ हजार का बांध बनाया लेकिन उसमें एक इंच पानी नहीं है, उसमें फुट दो फुट भी पानी नहीं है। लेकिन २६ हजार का बिल पेश होता है और पेमेन्ट हो जाता है और विजयपुर की पंचायत करती है। लेकिन सरकार की इस प्रकारके मामलों को टालने की नीति है। इसी प्रकार बेंगू के सरपंच के खिलाफ, जो उसने गैर कानूनी कार्यवाही की है, जो उस पंचायत समिति में गैर कानूनी कार्यवाहियां हुई हैं, उनके लिए रिट लगी हुई है। जिला परिषद में मैंने कहा कि कानून के मुताबिक उनको नोटिस दिया जाना चाहिए और एग्रीव्ड पार्टी को बुलाना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की कार्यवाहियां न करते हुए जो सही ढंग से काम करता है, उसके प्रति प्रिजुडिस होकर के उसको सताया जाता है और गलत आदमियों के साथ मिल कर इस प्रकार उसके मामले का रिव्यू करके उसको वापिस लाना चाहते हैं। तो मेरा जो संशोधन है वह इस प्रकार है कि इसमें वर्ड्स हैं एट एनी टाइम-उनको निकाल दिया जाय। दूसरा है इफ इट वाज। मैं सरकार को कहता हूं कि तुमने गलती की है, मन्त्री महोदय ने गलती की है तो मन्त्री महोदय कहते हैं कि गलती नहीं की है। फिर रिट पिटीशन में क्या लिखूंगा। यही लिखूंगा।

"it has been passed wrongly. In such the circumstances the Govt. is not going to accept it."

तो यह शब्द है, इफ इट वाज पास्ड-हम क्यों कहें कि हम एग्रीव्ड है। इसमें ये शब्द हैं if it was इनको खत्म करना चाहिए।

इसके अलावा पांच रुपये कोर्ट फीस का प्रावीजन है। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कोई कानून बना हुआ है, आज एक व्यक्ति एक सरपंच, या प्रधान या प्रमुख अपील करने के लिए, रिवीजन करनेके लिए गवर्नमेंट

(श्री अब्दुलजब्बार)

में आता है तो उसको पिटीशन लगानी पड़ेगी एफीडेविट देना पड़ेगा। लेकिन किस हिसाब से एफीडेविट की फीस चार्ज करेंगे—यह बता दें। साथ ही साथ जो पिटीशन लगाई जायगी स्टे के लिए उसमें क्या फीस मांगी जायगी। कम से कम यह कह देना चाहिए कि इस तरह से जो कोर्ट फीस या स्टाम्प ड्यूटी एक्ट है उनके आधार पर फीस वसूल की जायगी, उसके अनुसार हलफनामा वगैरह लिया जायगा। वह न करके आपने पांच रुपया फीस लगाई है यह गैर वाजिब है। अगर यह करना ही है तो ज्यादा से ज्यादा एक रुपया कर दिया जाय या फिर यह रख दिया जाय court fees shall be charged. मैं कहता हूं कि यह न्याय युक्त है और न्याय संगत है। इसलिए मैंने यह संशोधन रखे हैं। अगर आपको इन पंचायतों को दुरुस्त करना है, जनता का राज्य जनताके हाथ में सौंपना है और आप चाहते हैं कि न्याय सस्ता और नजदीक मिले तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप संशोधन ठीक तरह से लायें और पंचायतों को ठीक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करें। आप लोगों को रिलीफ देने की कोशिश मत कीजिये। रिलीफ तो उनको मिलता है जो गलती करते हैं। सही आदमी कभी गलती नहीं करता है, वह कभी न्याय की भीख नहीं मांगता है। गलत आदमी गलती करता है, उसको रेस्टोर करके आप लाखों रुपये जनता की गाढ़ी कमाई के बरबाद कर रहे हैं। इसलिए मेरे जो संशोधन हैं उनको आप स्वीकार करेंगे यह आशा है।

श्री अध्यक्ष : श्री राधाकृष्ण गोयल।

(अनुपस्थित)

श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : संशोधन इस प्रकार हैं:—

Delete the following words occurring in the proposed section 70 B:—

(i) "ofIts own motion at any time or", and (ii) "ignorance of any material fact"

अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत छोटा सा संशोधन पर बोलने के लिए अधिक समय न लेते हुए कहना चाहता हूं कि मैंने पहले भी इस बात को कहा है और अब भी यही बात दोहराता हूं कि और जो कुछ हुआ सो हुआ, मैं पहले से ही यह मानता हूं कि मेरा संशोधन मन्जूर नहीं किया जायगा इसलिए उसके सम्बन्ध में बोलने के लिए ज्यादा समय न लगा कर जो एक सरकारी पक्ष की ओर से संशोधन मूव हुआ है. उसकी भूमि में थोड़ा सा बोल दूं और आप चाहें कि बाद में बोलने का मौका देंगे तो बाद में बोल दूंगा।

श्री अध्यक्ष : अभी बोल लीजिये, यह माना जायगा कि मूव हो चुका है।

श्री मानसिंह महार : मैं निवेदन कर रहा था। इसमें यह जोड़ा गया है।

"In clause 3, for the words 'shall be added' substitute the words 'shall

(श्री मानसिंह महार)

be, and be always deemed to have been added."

तो शायद सरकार के दिमाग में पहले नहीं आया था कि यह रेट्रोस्पेक्टिव देना है, लेकिन उस रोज, गलती हमारे विरोधी पक्ष की ओर से हो गई और एक मित्र ने कह दिया कि आपने इसके अन्दर यह नहीं रखा है इसलिए यह भी मीनिंगलेस हो जायगा। तो यह अब जोड़ा गया है। यह चाहते हैं कि जब से हुआ है तब से किसी को कर दिया गया हो तो उसको छूट दे दी जांय यह हमारी सरकार चाहती है। अब इसमें यह भी होता कि साल भर का फैसला, दो साल या तीन साल का फैसला तो मान लेते। लेकिन जब भी रेफर किया था यह किया है। है। आप इसमें इतना सा ऐड कर दें, आप जो कुछ करें, चुनाव के दो महीने, तीन महीने पहले करेंगे। यह भी मन्जूर नहीं, अध्यक्ष महोदय दुर्भाग्य की बात है कि अपने बहुतम के आधार पर सरकार इस प्रकार की कार्यवाही करना चाहती है और जनतन्त्र का गला घोटना चाहती हैं इसके लिये क्या करें। आप बताइये, हम क्या करें। यह बहुत सीधी सी बात है जिसको हम हमेशा से कहते आये हैं और विरोधी पक्ष के लोग सभी यह कहते आये हैं कि हर बात में आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात मत रखिये। जब यह बात आती है तो आप कानून का गला घोटते हैं और हम कहते हैं तो हमारी बात आप मानते नहीं। आप कहते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं और मैं यह कहूँगा कि आपके एक आदमी से यह प्रस्ताव आपने मूव कराया है। जहां तक प्रधान का प्रश्न है वहीं तक सीमित थे लेकिन अब आपने यह सरपंच और भी जोड़ दिया और इसको और भी व्यापक बना दिया और आप इसको प्रधान के अलावा सरपंच पर भी लागू करना चाहते हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है। आप इस पर पूर्णतया सोचिये। मैं कहूँगा कि सरकार का दिमाग पंचायतों के चुनाव ज्यों ज्यों नजदीक आते जा रहे हैं खराब होता जा रहा है। सरकार का दिमाग उल्टा हो रहा है। आप इस प्रकार की दलीलें देते हैं और कहते हैं कि अक्टूबर और नवम्बर में चुनाव करा दिये जावेंगे। मगर मुझे इसमें भी शक है। इस सरकार के बड़े आले अफसरों के दिमाग में कुछ और ही बात है और वे कुछ और ही सोचते होंगे। चुनावों के कुछ समय पहले आप देखना दो महीने बाद ऑर्डिनेन्स लाकर इस चुनावों को और आगे सरका दिया जावेगा। मगर यह बात है कि आज यह ऑर्डिनेन्स चुनावों के तीन महीने पहले लाया जा रहा है और कानून बनाया जा रहा है और उसकी तहत कानून बनाया जा रहा है। ऑर्डिनेन्स का महत्व यह है कि जो संविधान हमारे भारतवर्ष का बनाया गया तो यह सोचा था कि कोई बहुत जरूरी बात हो या अहम बात हो और उसका लाना बहुत जरूरी हो, जिसको बगैर लाये काम चलना मुश्किल हो जावे तो ऑर्डिनेन्स लाया जावे। लेकिन राजस्थान सरकार के सामने ऑर्डिनेन्स का कोई महत्व नहीं है। राजस्थान सरकार के दिमाग में कोई भी छोटी मोटी चीज आई तो सरकार फौरन ऑर्डिनेन्स निकाल देती है। मैं यह कहूँगा कि इसके लिये सरकार को कोई महत्व नहीं है और न कोई विचार करती

(श्री मानसिंह महार)

है कि ऑर्डिनेन्स को निकालना जरूरी है या नहीं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार ऑर्डिनेन्स नहीं निकालती तो क्या राजस्थान में ऐसा काम हो रहा है कि जिससे इसके बगैर कोई मिनिस्टरी में या राजस्थान में उथल-पुथल मच जाता। एक आध महिला या कांग्रेस पक्ष का कोई सरपंच या खाद्य मन्त्रीजी के पक्ष का कोई सरपंच पांच वर्षों के लिये चुनाव लड़ने से डिसक्वाली-फाइड हो गया होगा तो यह कोई राजस्थान के लिये ऑर्डिनेन्स लाने के लिये कोई जरूरी काम नहीं हो गया था और अगर वह कम हो जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन इस सरकार के सामने यह है कि कोई ऑर्डिनेन्स होना चाहिये और ऑर्डिनेन्स पास करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि ऑर्डिनेंस की यह कदर नहीं होनी चाहिये। आप बिल ला सकते हैं। अब भी तो आप बिल लाये हैं। आप ऑर्डि-नेन्स ला कर आपने कितने केसेज़ में रिव्यू किये हैं। मैं समझता हूँ कि माननीय मन्त्री जब इसका जवाब देंगे तो बतावेंगे और हमको तसल्ली हो सकेगी कि सरकार ने ऑर्डिनेन्स निकाला है वह किसी मतलब से निकाला है। लेकिन यह नहीं होकर ऑर्डिनेंस ले आये। इससे सरपंचों को धौंस दी जाती है कि आप सरकार के पक्ष में काम करो और सरकार का पक्ष लो अगर सरकार का पक्ष नहीं लोगे तो यह कर दिया जावेगा वह कर दिया जावेगा तुम्हारे खिलाफ। हमनें ये पॉवर्स अपने हाथ में ले लिये हैं कि सरपंच को जो डिसक्वालीफाइड हो चुका है उसको फिर से चुनाव लड़ने की इजाजत दे सकते हैं। लेकिन मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार को तानाशाही के आदेश सरकार जो एक बार करती है वह सरकार अनपोपुलर हो जाती है और यह बात सरकार को मालूम होनी चाहिये कि जितना डिक्टेटोरियल कानून आप बनावेंगे उतने ही आप अनपापूलर बनेंगे। आपकी पापूलेरिटी में फर्क आवेगा। आज आप देखते हैं कि दिनों दिन आप अनपापूलर होते जा रहे हैं आप सन् १९६७ के चुनावों को फेस नहीं कर सकते हैं। पंचायती चुनाव आप करावेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि किस प्रकार से मुंह पर चपत लगती है। मैं सरकार से नहीं कहूँगा लेकिन माननीय सदस्य जो जनता के चुने हुए हैं उनसे अवश्य कहूँगा कि आप इस प्रकार के डिक्टेटोरियल कानून ला कर जनता को धोखा देना चाहते हैं। जनता के चुने हुए सदस्य जब इस प्रकार का एमेंडमेन्ट लाते हैं तो हमारे लिये यह शर्म की बात है। २० वर्षों में जो कार्यवाही हुई है उसको आप अब ठीक करने चले हैं और वह १०० वर्ष रहेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : १०० वर्ष तो अभी पंचायतों को काम करते ही नहीं हुए।

श्री मानसिंह महार : १०० वर्ष पहले तो पंचायतें भी, शुरू नहीं हुई थी। आप घबराइये नहीं। आज यह आपका छोटा सा अमेन्डमेन्ट है उसको वापिस ले लीजिये। अभी आप लाल लेबल की मोटर में नहीं बैठे हैं। मन्त्री नहीं बने हैं। इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट लाते हैं जो हितकर नहीं है। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह

Page No. 80

(श्री मानसिंह महार)

जनतन्त्र का विरोधी है और आप कहते हैं कि हम तो जनता के नुमायन्दे हैं। मैं अपने अमेन्डमेन्ट पर बोलता मगर मुझे आशा है उसे तो वेमंजूर करेंगे ही। यह काला अमेन्डमेंट है। । इस काले अमेन्डमेंट को रख आपने कालस अपने मुंह पर पोती है। अच्छा होता कि इसको मन्त्रीजी खुद लाते और उस कालस को अपने मुंह पर पौतते तो वे इतने काले हैं कि उनको वह दिखती ही नहीं। अगर आपके मुंह पर कालस मलेगी तो वह दिखेगी। इसलिये इसको तो आप वापिस ले लें तो अच्छा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस तरह के पर्सनल रिमार्क हैं ये एक्सपंज किये जावें।

This is not the way. I request that these remarks should be expunged. I think, this is not the way, this is not the standard of this House to depict personally, individually about any person here.

(हीअर हीअर)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके सामने लाना चाहता हूं अभी हमने प्रोविजन पास किया है उसमें पंचायत समिति की समस्या को सामने रखा है। उसमें सरपंच होते हैं। इसलिये जिस प्रावधान को अभी थोड़ी देर पहले पास किया है यह कोन्सीक्वेन्शल है। हमने थोड़ी देर पहले जिस क्लाज को पास किया है उसी को भी नहीं ध्यान में रखते हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा बिल भी लिया जाने वाला है। इसलिये जल्दी समाप्त करें तो उचित होगा।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, मैंने चीफ व्हिप के भाषण को सुना। मैं जानता हूं कि हमने उसका विरोध किया और उन्होंने उसको सुना नहीं। उस पोइन्ट को लेकर हमने मतदान कराया और हम उसको अप टू लास्ट विरोध करेंगे। एक जगह पास हो गया तो हम दूसरी जगह उसका स्वागत नहीं करना चाहते हैं। आप यह चाहते हैं कि हम उसका स्वागत करें। यह विरोधी दल कभी नहीं कर सकता। यह हमारा अधिकार है कि आप जो गलत काम करते हैं उसका डट कर विरोध करें। हमारे विरोध के हजार तरीके हैं और हम उनको अपनायेंगे और विरोध करेंगे। इसलिये यह कहना कि हमने उसको हमारे बहुमत के आधार से पास कर दिया यह कोन्सीक्वेन्शल है और यह कह कर हमारी जबान आप बन्द करना चाहते हैं।

यही अगर करना चाहते हैं तो अपना आदेश जारी कर दीजिये, करिये, लाखों रुपया इस सदन पर क्यों खर्च कर रहे हैं।

चीफ विप साहब इंग्लैंड में भी पधारे थे पर पॉलियामेंटरी पद्धति को नहीं समझ सके। मैं निवेदन करूंगा कि उप मंत्री की कुर्सी पर बैठ कर सुपरमैन हो गये हों या इंग्लैंड जा कर पॉलियामेंटरी पद्धति के पूरे माहिर होगये हों ऐसी बात न समझ लें।....

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा :Again these personal remarks are coming. This is not the standard of the debate here. I will request the

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

chair not to allow him to speak in such a way.

श्री मानसिंह महार: अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य यह बात कहते हैं उनके मुंह से यह बात सुन कर मुझे हंसी भी आती है और दुख भी होता है । और कोई माननीय सदस्य इस प्रकार का सर्मन मेरे लिये प्रीच करते तो मैं मान लेता पर इस सदन के अन्दर जो अधिकांश अप्रिय घटनाएं होती हैं उनके सूत्रपात कर्ता यही माननीय सदस्य होते हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं हूं या आप । आप तो करके चले गये और आपके लीडर को सदन में नाक पकड़ कर माफी मांगनी पड़ी ।

श्री मानसिंह महार : मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता पर आपके काले कारनामों से उपाध्यक्ष महोदय को बीच में ही बाहर जाना पड़ा । वही माननीय सदस्य सर्मन प्रीच कर रहे हैं ....

श्री अध्यक्ष: और वह भी आपको !

(अनवरत हंसी)

श्री मानसिंह महार : मैं यह कहता हूं कि पंचायत मंत्री जी जो हैं वे अपने आपको एक बहुत ही डेमोक्रेट बताया करते हैं, वे डेमोक्रेसी में बहुत विश्वास करते हैं उनसे अपील करूंगा कि डिप्टी मिनिस्टर को नहीं, उनसे कहूंगा कि यह नया अमेंडमेंट आ रहा है इसे मत मंजूर कीजिये, सदन इसका विरोध करेगा । मैं उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह हिम्मत करके उठ कर वोटिंग के समय एक बार तो हमारे साथ आ जांय क्योंकि यह बड़ा अनडेमोक्रेटिक है ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : डेमोक्रेटिक प्रोसीजर क्या होता है ?

श्री मानसिंह महार : डेमोक्रेटिक प्रोसीजर यह होता है

श्री अध्यक्ष : आप रहने दीजिये, यह बड़ा लम्बा प्रोसीजर है । आप जल्दी समाप्त कीजिये ।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय ने कह दिया है तो मैं ज्यादा न कह कर यही कहता हूं कि इस प्रकार का कानून सरकार में तानाशाही लाने के लिये लाया जा रहा है । मैं इसका विरोध करता हूं और सदन के उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इसका विरोध करें और वोटिंग हो तो हमारी तरफ आकर वोट दें ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

[संशोधन इस प्रकार है:—

In clause 3, for the words 'shall be added", sub stitute the words "shall be, and be alwas deemed to have been added".]

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अमेंडमेंट राजस्थान पंचायत (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ की क्लाज ३ में है उसे मैं पेश करता हूं :

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

In clause 3, for the words 'shall be added' substitute the words 'shall be and be always deemed to have been added'.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आन ए पोइन्ट आफ आर्डर सर, यह जो अमेंडमेंट आया है वह इस बिल के जो एम्स हमें बताये गये है, उनसे कन्ट्रेरी है। पहले तो आर्डिनेन्स जारी किया गया। एम्स जो सदन की मेज पर रखे गये उनसे यह अमेंडमेंट कान्ट्रेरी है। एम्स में यह नहीं बताया गया है कि पिछले समय में इतनी गड़बड़ियां हो गई हैं उनको रेगुलेराइज करने के लिये यह लाया जा रहा है। उसमें तो यह बताया है इतना ही लिखा गया है कि कोई लेकुना रह गया है। इसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने से सारी स्पिरिट बदल जाती है। इस बिल को लाते गवर्नर महोदय से इसकी सेक्शन लेते वक्त सरकार को कभी कल्पना भी नहीं थी कि इसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे। यह तो ओपोजिशन की तरफ से बात उठी उसके बाद यह अमेंडमेंट लाया गया है। इसलिये इनके अमेंडमेंट को नहीं लिया जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्षजी, पंचायत समिति और जिला परिषद् अमेंडमेंट बिल पारित हो चुका है और सदन ने ही पारित किया है, मेरा यह जो अमेंडमेंट है उसका कान्सिक्वेन्शियल अमेंडमेंट है। उसमें यह अमेंडमेंट हो चुका है इसलिये पंचायत एक्ट में भी यह होना जरूरी है पंचायत कानून में यह नहीं होने से, रिव्यू पावर नही होने से जिन सरपंचों और पंचों को प्रोसीजरल मिस्टेक होने के कारण हटा दिया गया है तो उनको रिलीफ नहीं दिया जा सकेगा क्योंकि सरकार के पास रिव्यू पावर्स नहीं हैं। सरकार के पास रिव्यू पावर्स हों तो प्रोसीजरल मिस्टेक्स के कारण जिन सरपचों या पंचों को हटा दिया गया है उन आर्डर्स को सेट असाइड किया जा सकता है।

आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह अमेंडमेंट डेमोक्रेसी के खिलाफ है। मैं नहीं समझता कि यह डेमोक्रेसी के खिलाफ कैसे हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि इलेक्टेड सदस्यों को यदि रिमूव कर दिया गया है तो ला कोर्ट में जाने के लिये रेमिडी नहीं है तो यह तो उसी के लिये रेमिडी लाई जा रही है।

श्री मानसिंह महार : ला कोर्ट में रखें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने अभी सदन में पारित किया है, जिला परिषद पंचायत समिति कानून में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को मंजूर किया है। इसलिये यह डेमोक्रेसी के कतई खिलाफ नही है। कोई गलती apparent on the face of the record हो। या इरेगुलेरिटी कमिट की गई हो और बाद में सरकार के नोटिस में ऐसे केसेज आयें, सो मोटो आयें, या कैसे भी आयें तो उसकी रिव्यू के पावर्स नहीं हैं इसी लिये रिव्यू के पावर्स होने आवश्यक हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति कानून में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है उसके लिये अभी अमेंडमेंट बिल सदन द्वारा पारित किया जा चुका है, पंचायतों के मेम्बर, सरपंच पंचायत समित में भी सदस्य होते हैं उनके इस प्रकार के केसेज में रिव्यू का प्रावधान किया जा रहा है, किसी सरपंच को रिमूव कर दिया है तो इस प्रकार रिव्यू के द्वारा

Page No. 83

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

उसको रिलीफ दिया गया जा सकता है। क्योंकि जिला परिषद् पंचायत समिति कानून में यह पास कर चुके हैं इसलिये पंचायत कानून में भी यह कान्सिक्वेन्शियल अमेंडमेंट होना परमावश्यक है। वरना पहले कानून बना है उसकी मंशा के खिलाफ होगा। इसलिये इस मंशा की पूर्ति के लिय सरकार की भावना है कि कोई इरेगुलेरिटीज कमिट हो गई हों तो ऐसे जेन्युआईन केसेज में रिव्यू के पावर्स को इस्तेमाल में लिया जा सकता है और उस प्रकार के रिमूवल के आर्डरों को सेट असाइड कर के रिलीफ दिया जा सकता है। तो डेमोक्रेसी की स्वस्थ परम्परा को मद्देनजर रख कर जो जनता के इलेक्टेड मेम्बर्स हैं, जनता के इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव्स हैं उनके हित में यह संशोधन किया जा रहा है, इसमें डेमोक्रेसी के अहित का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, यह तो डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाने के लिये किया जा रहा है।

इस बारे में काफी बहस हो चुकी है वैसी कोई बात इसमें नहीं आती, कान्स्टीयूशनल ऐतराज उठाया गया वह भी इसमें नहीं आता है, जो अभी अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, उसी का कान्सिक्वेन्शियल अमेंडमेंट यह है. इसमें कोई इस प्रकार की अड़चन नहीं आती कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसमें तो रिलीफ देने की बात है। रिमूवल्स तो इस साल भर के पीरियड के अन्दर हुए होंगे, सरकार के जो आर्डर हुए हैं वे इस नजदीक समय में हुए हैं इस लिये इस प्रकार की शंका कि ५३ के केसेज में रिव्यू किया जायगा, यह वाजिब नहीं है। यह बिलकुल सीधी सी बात है, अगर ऐसे केसेज हैं तो सभी पार्टीज के कवर हो सकते हैं, रिमूवल तरीके से किया गया है तो उनको ठीक किया जायगा। यह डेमोक्रेसी की ही भावना है। इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि इसे स्वीकार करें।

श्री मानिकचंद सुराणा : मैं यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि किसी परिस्थिति में सरपंच को हटा दिया गया........

श्री रामप्रसाद लड्ढा : This has already been assured.

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिन पंचायतों में नये चुनाव हो चुके है, उनमें इस अधिकार को इस्तेमाल नही करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह सेपरेट की बात है वह ठीक नहीं, सबके लिये एक बात होनी चाहिये, कानून साफ होना चाहिये। अगले चुनाव गलत हो गये हैं तो बराबर हटाया जाना चाहिये, क्यों नही हटाया जाना चाहिये ? उनको वह आश्वासन दे दिया है यह आश्वासन दे दीजिये, फिर कानून पास करने से क्या होगा ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : आश्वासन दे दिया है। सदनको दिया हुआ आश्वासन राजस्थान कीदो करोड़ जनता को दिया हुआ आश्वासन है।

श्री भीखाभाई : अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम नादरशाही करना चाहते है। उन्होंने यह भी कहा कि हमने जो रिव्यू

(श्री भीखाभाई)

का आधार लिया है, वह केवल कुछ सरपंचों को राजनैतिक आधार पर विक्टीमाइजेशन के उद्देश्य से किया है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ज्यादातर हमारे सरपंच हैं। हमारा फैसला तो न्यायपूर्ण ही होगा। जहां भी हो सकता है वहां कानून के अनुसार ही होगा। उसके लिए हमने एक रास्ता दिया है।

अभी जैसे श्री विश्नोई ने कहा कि दरअसल यह कान्सीक्वेन्शल अमेंडमेंट हैं to give more powers.

श्री मानसिंह महार : आपने आज तक कितने आदमियों को रिइन्स्टेट किया है ?

श्री भीखाभाई : For clause 17 (5) The decision of the state Government on any matter arising under this section shall be final and shall not be liable to be questioned in any court of law.

इसके लिए अध्यक्ष महोदय मुझे यही कहना है कि दरअसल में कोई गल्ती हो जाय कोई दावा नहीं कर सकता कि अगर कोई अग्रीव्ड पार्टी है, अगर आदेश की सर्विस ठीक नहीं होती, नोटिस नहीं मिलता या मौका नहीं मिलता उसके लिए यहां कहा गया और थोड़ी देर पहले श्री बिशनोईजी द्वारा संशोधन पेश किया गया है उसको मैं स्वीकार करता हूं और दूसरे सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि वे अपने संशोधन वापस ले लेंगे और इस विधेयक को पास कर देंगे।

श्री मानसिंह महार : मेरा एक स्पेसिफिक निवेदन है मंत्रीजी से कि आरडिनेन्स पास करने की सरकार को जरूरत आई थी तो आरडिनेंस पास करने के बाद आज तक कितने सरपंचों को रिइन्स्टेट किया है और अगर नहीं किया तो आरडिनेन्स की जरूरत क्या थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले वाली बहस में आप नहीं हम सब कह चुके हैं।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। अब श्री मानकचंदजी ने एक क्लैरिफिकेशन सीक किया था और उस संबंध में सरकार ने आश्वासन दिया था कि जिन पंचायतों के चुनाव हो गए हैं वहां के पंच या सरपंच जो कहीं होंगे उनको रिमूव नहीं करेंगे। मैं एक एडीशनल क्लैरिफिकेशन आपसे चाहता हूं कि चुनाव होने के बाद अगर किसी को वहां से रिमूव कर दिया या हटा दिया और उसकी केजुअल वैकन्सी फिल अप हुई कानून के तहत और वहां पर कोई दूसरा सरपंच जैसे कि दो महीने पहले या एक महीना पहले या १५ दिन पहले केजुअल वैकन्सी फ़िल अप हो गई है और दूसरे पंच या सरपंच काम कर रहे हैं, उनको तो आप रिमूव नहीं करेंगे ? जैसा आपने पहले भी कहा था इस एक्ट में दुबारा आश्वासन हाऊस को दे देंगे ?

श्री भीखाभाई : जहां तक केजुअल वैकन्सी का सवाल है वह इसमें नहीं आता है। मानलो एक सरपंच हटा दिया गया और दूसरा आदमी उसकी जगह आ गया और जो केजुअल वैकन्सी हुई और जहां चुनाव हो गया वहां यह बात लागू नहीं करेंगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ग्राम चुनाव के बाद में जो बीच में वैकन्सी हुई है और बाद में वह लीगलप्रोसेस से फिल अप हो चुकी है, उनको तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : सवाल यह है कि मान लीजिए आपको मालूम नहीं आपने खून किया और उसका पश्चाताप आपकी सरकार को करना है तो जिन केसेज में आपसे पाप हो गया है और जब आपको यह पावर मिल रही है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि अन्याय हुआ है तो आप उसको दबे रहने देंगे ? आप उसको ठीक नहीं करेंगे ? क्योंकि वहां पर चुनाव हो गए, अगर आपने गल्ती नहीं की होती तो वह चुनाव नहीं हो सकता। आपने उस गल्ती को महसूस किया है, उस ज्यादती को महसूस करते हैं तो उस गल्ती को आप ठीक न करके उस आदमी को सड़ने देंगे ? इसलिए वह चुनाव रद्द किया जाय और सही आदमी को रखा जाय, वरना यह मखौल होगी कि आप पावर लेते हैं न्याय करने के लिए, न्याय करने का दावा करते हैं, लेकिन दरअसल में उसके साथ अन्याय करते हैं....

श्री रघुनाथ विश्नोई : कोई बोना-फाइडी मिस्टेक होती है तो क्या वह पाप में आएगा ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो क्या वह पुण्य होता है ? तो मैं उसको पुण्य कहकर ही चलता हूं।

श्री अब्दुल जब्बार : सरपंच को आपने बरखास्त कर दिया और वापस केस जीत जाता है तो आप उसे रेस्टोर करेंगे ? सरपंच करेंगे या मेम्बर ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह जहां से आया वहीं जायगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि धारा तीन में जो संशोधन श्री अब्दुल जब्बार ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि धारा ३ में जो संशोधन श्री भानसिंह महार ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि धारा तीन में जो संशोधन श्री रघुनाथ विश्नोई ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित धारा ३ स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

संशोधित धारा ३ स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि धारा २ स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

धारा २ स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि धारा ४ स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

धारा ४ स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि धारा १ प्रीएम्बल इत्यादि स्वीकार किए जायं।

(स्वीकृत)

धारा १ प्री एम्बल इत्यादि स्वीकार किये गये।

(विराम)

श्री भीखाभाई : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (अमेंडमेंट) बिल, १९६४, को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायत (अमेंडमेंट) बिल, १९६४, पारित हुआ।

राजस्थान पैसेन्जर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन (अमेंडमेंट एण्ड वैलिडेशन) बिल, १९६४।

श्री परसराम मदेरणा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान पैसेन्जर्स एण्ड गुडस टैक्सेशन (अमेंडमेंट एण्ड वैलिडेशन) बिल १९६४ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पैसेन्जर्स एन्ड गुड्स टेक्सेशन (अमेन्डमेन्ट एन्ड वैलिडेशन) बिल. १९६४ एज अमेन्डेड बाइ दी सिलेक्ट कमेटी विचारार्थ लिया जावे ऐसा एक प्रस्ताव माननीय उपमन्त्री ने सदन् के समक्ष प्रस्तुत किया है, मैं इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ वैधानिक आपत्ति आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हू।

अध्यक्ष महोदय, संविधान की धारा ३०४ की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें यह लिखा है।

"Provided that no Bill or amendement for the purposes of clause (b) shall be introduced or moved in the Legislature of a state withoute th previous sanction of the President."

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है जो ओरिजिनल बिल इस सदन में जिस समय प्रस्तुत किया गया था उस समय उस सम्बन्ध में भी इस तरह की आपत्ति की गयी थी। लेकिन प्रेसिडेन्ट की असेन्ट जिस बिल को मिली वह बिल इस सदन में तारीख ५ को प्रस्तुत किया गया था। ५ तारीख को जो विधेयक इस सदन में इन्ट्रोड्यूस किया गया था उस विधेयक को प्रेसिडेन्ट महोदय की धारा ३०४ बी के प्रोविजो के अन्तर्गत सैंक्शन थी इस बात से मैं इनकार नहीं करता और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जहां तक मेरी जानकारी है प्रेसिडेन्ट महोदय की असेन्ट थी। ३० जुलाई १९६४ को उन्होंने इस बिल को हाउस में इन्ट्रोड्यूस करने की सैंक्शन दी लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ६ अगस्त को इस हाउस ने इस बिल को एक सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया और सिलेक्ट कमेटी ने इस की कुछ धाराओं में संशोधन किया और संशोधन करने के बाद यह बिल एज अमेन्डेड, संशोधित रूप में, संशोधन के रूप में सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रेसिडेन्ट महोदय की सैंक्शन केवल बिल के लिए आवश्यक होती तो संविधान की धारा ३०४ में यह जो लिखा हुआ है:—

'provided that no Bill or amendment for the purpose of clause (b) shall be introduced or moved in the Legislature of State without the previous sanction of the President.

मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि केवल बिल के इन्ट्रोडक्शन के लिए ही प्रिवियस सेन्कशन की आवश्यकता नहीं है लेकिन कोई किसी प्रकार का अमेन्डमेन्ट भी हुआ हो तो वह अमेन्डमेन्ट बिना प्रेसिडेन्ट की प्रिवियस सेन्कशन के मूव नहीं हो सकता। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बिल ५ तारीख को इन्ट्रोड्यूस किया गया जिस बिल पर प्रेसिडेन्ट की सेन्कशन थी। जो उसमें अमेन्डमेन्ट किया गया है, जो अमेन्डेड बिल सदन के सामने आ रहा है उस पर जब तक प्रेसिडेन्ट की प्रिवियस सेन्कशन न ली जाय इस विधेयक को विचारार्थ न लिया जाए और उस पर डिस्कशन और कन्सीडरेशन पोस्ट पोन किया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य का कान्स्टिट्यूशनल ऐतराज है वह यह है कि सिलेक्ट कमेटी के अमेन्डमेन्ट के बाद जो सिलेक्ट कमेटी के द्वारा प्रतिपादित बिल जो सदन के सामने है वह बिल उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का बिल इन्ट्रोड्यूस करने के पूर्व प्रेसिडेन्ट की प्रिवियस सेन्कशन कान्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ३०४ के नीचे ली गई थी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आर्गूमेन्ट सदन के सामने प्रस्तुत किये हैं मैं उनसे एग्री नहीं करता और एग्री इसलिए नहीं करता कि कोन्टिट्यूशन के आर्टिकल ३०४ के बी में प्रेसिडेन्ट की प्रिवियस सेन्क्शन उस वक्त ही अपेक्षित है जब कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एन्ड कोमर्स के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन होता हो और वह रेस्ट्रिक्शन जो होता है इस बिल की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है वह रेस्ट्रिक्शन क्लाज ४ जिसको वेलिडेट करने जा रहे हैं उससे होता है और रेट फिक्स करने जा रहे हैं वहां पर टैक्स लेवी करते हैं और जहां टैक्स लेवी करते हैं वहीं पर ३०४ बी का प्रोविजो एडवाइस करता है। यहां पर जो हमने अमेन्डमेन्ट दी है चूं कि वह अमेन्डमेन्ट क्लाज ३ में की है, वह अमेन्डमेन्ट इन लम्प सम के सम्बन्ध में नोटिफिकेशन का प्रोविजन है और चार्जिंग सेक्शन है जिसके द्वारा टैक्स लेवी किया गया गया है, सेक्शन ३ और सेक्शन ३ बी में संशोधन करने जा रहे हैं क्लाज ४ के द्वारा इसलिए यह जो

Page No. 88

(श्री परसराम मदेरणा)

अमेन्डमेन्ट काम्प्रिहेन्सिव ड्राफ्ट बनाने के लिए क्लाज ३ में किया गया है वह फ्रीडम ओफ ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करता है और इम्पोज नहीं करता है तो जो चार्जिंग सेक्शन है जिसके ऊपर आर. पी. टी. के एक्ट्स बेस्ड हैं आधारित है मेरी मान्यता है कि अमेन्डमेन्ट केम्प्रिहेन्सिव विचारका है और उसके बाद में भी थोड़ी देर के लिए मान लिया जाय हालां कि मेरी तो यह मान्यता है कि माननीय सदस्य का आर्गूमेन्ट कानूनी मुद्दे पर नहीं ठहरता है और अगर मान भी लिया जाय तो सदन के द्वारा पारित करने के बाद प्रेसिडेएट के पास जायगा और आर्टिकिल २५५ के नीचे वे असेन्ट देते हैं और लेकूना रह जाय तो क्रोस किया जा सकता है।

इसलिए मैं ऐसा समझता हूं माननीय सदस्य का ऐतराज कि इस अमेन्डमेन्ट बिल पर प्रेसीडेन्ट महोदय की प्रिवियस सेन्क्शन ली जावे यह इस लिए ज्यादा वकत नहीं रखता है क्योंकि चार्जिंग सेक्शन ३ है और वेलिडेटिंग क्लॉज ४ है उसमें प्रेसीडेन्ट की सैंक्शन प्राप्त है और उसमें हेर फेर नहीं किया गया है तो यह क्लॉज है वह तो मेक्सिमम रेट टेक्स की फिक्स की जा रही है उसके बीच में रेट फिक्स करेगा उसमें होगा। रेट को इन्क्रीन्ज नहीं किया है तो ३०४ का आर्टिकल इन्वोक नहीं होता है और इन्वोक नहीं होता है तो सलेक्ट कमेटी ने जो अमेन्डमन्ट किया उस पर प्रेसीन्डेट की प्रिवियस सेन्क्शन नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में आपका ध्यान प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियमों के नियम ६६ की ओर दिलाना चाहता हूं। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो तर्क पेश किया है मैं भी, अध्यक्ष महोदय, उनसे सहमत नहीं हूं और मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी इन्ट्रोडक्शन की कोई स्टेज इस बिल की नहीं है। अभी तो सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर कन्सीडरेशन का प्रश्न है और आर्टिकल ३०४ की जो वैधानिक आपत्ति है वह इस स्टेज पर नहीं लायी जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन नहीं करना चाहता था लेकिन मुझे निवेदन करना पड़ा है क्योंकि हाउस के कुछ फन्डामेन्टल राइट्स का प्रश्न है। जहां प्रेसीडेन्ट महोदय द्वारा हाउस में इन्ट्रोड्यूस करने के बिल को स्वीकृति मिली हो तो उसको संशोधित करने का अधिकार है और माननीय सदस्य संशोधन पेश करेंगे तो प्रेसीडेन्ट महोदय की उस संशोधन के लिए अनुमति आवश्यक नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह सदन के माननीय सदस्यों के अमेन्डमेन्ट पेश किये जाने के हक से सम्बन्धित है इसलिए मुझे इस सम्बन्ध में कहना पड़ा है। इसलिए आज कन्सीडरेशन की स्टेज में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि प्रेसीडेन्ट महोदय की इस पर असेन्ट ली जाय।

माननीय मंत्री महोदय ने दलील दी है कि सलेक्ट कमेटी ने इसको संशोधित कर दिया है। यह बाद में प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति के लिए जायगा ही और उनकी असेन्ट प्राप्त होगी अभी इसकी आवश्यकता नहीं है यह एक मेलेशियस प्ली है। यह सिलेक्ट कमेटी

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

का फन्डामेंन्टल राइट है कि किसी बिल को किसी तरीके से अमेन्ड करें । और चूंकि इस की इन्ट्रोडक्शन की स्टेज़ नहीं है इसलिये प्रेसीडेन्ट की अनुमति लेने का प्रश्न नहीं उठता । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने एक आपत्ति उठायी है कि हमारे संविधान के आर्टिकल ३०४ के अन्तर्गत जो संशोधन या विधेयक प्रस्तुत है उस पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति होनी चाहिये चूंकि प्रवर समिति ने इस विधेयक में एक संशोधन किया है इसलिये इस संशोधन को भी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बगैर सदन के समक्ष विचारार्थ नहीं लिया जा सकता ।

माननीय श्री मानिकचन्द सुराणा का कहना है कि यह आपत्ति निराधार है क्योंकि प्रवर समिति को पूर्ण अधिकार था वह चाहे जिस प्रकार का संशोधन कर सकती है । उसके द्वारा संशोधित विधेयक सदन में आता है तो विचार किया जा सकता है ।

माननीय मंत्री महोदय ने इस संबन्ध में यह कहा कि यह विधेयक ३०४ की परिधि में आता ही नहीं है अगर इसमें संशोधन किया गया है तो भी यह ३०४ की परिधि में नहीं आता है । सरकार द्वारा इस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये फिर से भेजा जाय, यह जानते हुए कि ३०४ धारा इस पर लागू है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । अब इस समय यह तय करना है कि इस पर ३०४ लागू होता है या नहीं । मैं समझता हूं इस पर अब आवश्यक नहीं है--केवल इसी से इस आपत्ति का निराकरण नहीं हो सकता । सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं उनमें इस बात को बताने की आवश्यकता महसूस की है कि कौन से विधेयक इस प्रकार के हैं कि जिनमें ३०४ लागू होता है । ३०४ उन विधेयकों पर लागू होता है जिनका संबन्ध वाणिज्य व्यवस्था से हो, वह संविधान के अन्तर्गत है ।

सुराणाजी ने जो बात कही है अगर हम ३०४ को इसमें मानते हैं उसमें यह शब्द लिखे गये हैं "Bill or amendment" Amendment means amendment to a Bill. अगर इसमें ३०४ को लागू होना मानते हैं और २५५ के अन्तर्गत नहीं मानते हैं तो इसका निराकरण हो सकता है । जैसी स्थिति इस बिल की है उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति ली गई है, मूल रूप में उसमें संशोधन किया गया हो ऐसी बात नहीं है । जो विधेयक मुख्यतया राष्ट्रपति के सामने था और जिसके लिये उनसे स्वीकृति ली गई थी वही करीब करीब प्रवर समिति ने हमारे समक्ष भेजा है । जिस क्लॉज के अन्तर्गत मुख्यतया अधिकार दिये गये हैं वह क्लॉज ४ है उसमें प्रवर समिति द्वारा कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया गया है ।

क्लॉज़ ३ में प्रवर समिति द्वारा संशोधन प्रस्तावित किया गया है वह केवल प्रोसीजरल अमेन्डमेंट है यानि जो नोटिफिकेशन्स निकले हैं उन सब को दर्ज न करके यह

(श्री अध्यक्ष)

फ़ेज यूज किया गया है–समय समय पर संशोधन निकले हैं, राजाज्ञा निकली हैं उन सब को वैधानिक बनाना चाहते हैं। इसलिये मैं नहीं मानता कि इस प्रकार का जो संशोधन प्रस्तावित किया गया है उससे मूल रूप में विधेयक में परिवर्तन होता हो, या बिल के मूल स्वरूप को बदल देता हो। फिर भी २५५ हमारे सामने है। सदन द्वारा पास करने के पश्चात् यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये जायगा। वे उस समय इस पर विचार कर सकते हैं। अगर वे समझते हैं कि जो पूर्व स्वीकृति उन्होंने दी उससे यह बिल आगे चला गया है तो वे उसी समय अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं और सदन के पास वापिस भेज सकते हैं। उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए सदन उस पर विचार कर सकता है। अतः इस समय जो आपत्ति उठायी गई है उसको मैं स्वीकार नहीं करता। विधेयक के संबन्ध में जो प्रस्ताव रखा गया है उस पर विचार करके इस विधेयक को पारित किया जाय यह मेरी व्यवस्था है।

(विराम)

अब माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहें बोलें। कल माननीय मंत्री महोदय बहस का उत्तर देंगे उसके पश्चात् आगे विचार होगा।

श्री विजयसिंह झाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इस पर असहमति पत्र है जिसको मैं रखना चाहता हूं। इसका प्रिन्सिपल एक्ट १९५९ में पारित हुआ था जिसके अनुसार यात्री-कर लगाने का प्रावधान था। अध्यक्ष महोदय, इसको हमने आर्टिकल ३०४ के अन्तर्गत प्रेसीडेन्ट की प्रीवियस सेंक्शन मानकर के प्रीवियस सेक्शन ली थी। उसके बाद इसमें १९६१ में संशोधन हुआ, १९६२ में हुआ, १९६३ में संशोधन हुआ, १९६४ में संशोधन हुआ–इस तरह से यह चौथा संशोधन लाना पड़ा। तीन संशोधन लाये वे या तो मोटर मालिकों से मिल कर लाये जिसमें प्रीवियस सेंक्शन नहीं ली गई। उसका नतीजा यह हुआ मोटर मालिकों में ५० लाख रुपये की बकाया रह गई है। अब वह किस प्रकार से वसूल की जायगी इसका हमारी सरकार के सामने स्पष्ट चित्र नहीं है। मैं समझता हूं जब १९५९ में प्रिन्सिपल एक्ट के अनुसार यह मान लिया था, यात्री कर लगाने में संविधान के आर्टिकल ३०४ के अन्तर्गत राष्ट्रपति की प्रीवियस सेंक्शन लेना जरूरी है तो उसके लिये मन्जूरी ६१ में ही ले लेनी चाहिये थी। मेरा इस संबन्ध में एलीगेशन है कि इस प्रकार से कानून में जो लेकुना रखा जाता है जिससे मोटर मालिकों को फायदा हो यह जान बूझ कर उनसे मिल कर रखा जाता है। यही नहीं किसी मोटर मालिक को ज्यादा रुटे मिल जाता है, नेशनेलाइजेशन रुक जाता है--उदयपुर डिवीजन का उदाहरण सामने है उसमें जो लेकुना रहा अभी तक उसकी पूर्ति नहीं की गई। रिन्यू हो गये तान साल के लिये उस पर ओब्जेक्शन किया इससे यह साफ जाहिर होता है कि आपका लीगल डिपार्टमेंट मोटर मालिकों से मिल कर लेकुना रखते हैं। मेरा यह निवेदन है कि जब १९५९ में हमने मूल एक्ट पास किया था उस समय यह ध्यान में

(श्री विजयसिंह झाला)

आगया था कि इसके लिये प्रेसीडेन्ट की प्रीवियस सैंक्शन लेना जरूरी है तो ६२ में क्यों नहीं ली गई, ६३ में क्यों नहीं ली गई ? निरन्तर खामी रखकर ५० लाख की बकाया रखते हुए आ रहे हैं--यह क्यों ? आपने जो यह खामी निरन्तर रखी है उसके कारण जब सदन में ३०४ के अन्तर्गत स्वीकृति लेने की बात कहते हैं तो आप कहते हैं कि इसके लिये प्रीवियस मन्जूरी लेना जरूरी नहीं है। इससे यह पता चलता है कि या तो कानून का ड्राफ्ट करते हैं वे मोटर मालिकों से मिले हुए हैं या आपके पैरवी करने वाले उनसे मिले हुए हैं। यह इसलिये कि जब १६५६ में ही यह लेकुना मालूम हो गया था तो पैरवी करने वालों ने उसका पालन क्यों नहीं किया ? उसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों की।

श्री परसराम मदेरणा : I take exception to this remark. We are never in league or in intrigue with the motor owners.

यह जरूरी था या नहीं--सलेक्ट कमेटी में आप भी थे आप भी इस पोइन्ट पर कनविन्स हो गये थे। यह इन्टरप्रीटेशन का सवाल है इसलिये यह एनोमोली खड़ी हो गई है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने इस पर डिस्सेटिंग नोट नहीं दिया ?

श्री विजयसिंह झाला : आप अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इस पोइन्ट पर आपका नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : जो प्रोसीज़र है यात्री-कर वसूल करने का वह सही रूप से नहीं है उस पर मेरा डिस्सेन्टिग नोट है। आप नहीं हैं इसमें, तो आप पर पर्सनल आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि ६१ में आपको मालूम हो गया कि........

श्री रघुनाथ विश्नोई : ६१ में मालूम कैसे हुआ ?

श्री विजयसिंह झाला : आपका कहना है कि जिन मोटर मालिकों में बकाया है वह इसलिये है कि उन्होंने स्टे ले लिया था और इसका आधार यह था कि इसके पीछे प्रीवियस सैंक्शन नहीं थी। उस एक्ट पर प्रीवियस सैंक्शन लेनी चाहिये थी। यह ६१ में सरकार को मालूम हो गया तो ६२ में इसे ला सकते थे बजाय इसके कि आप ६४ में ला रहे हो। तो यह किसी न किसी एक आधार पर तो गलती स्वीकार करनी पड़ेगी। या तो पैरवी करने वालों की जिम्मेदारी है। या यह लेकुना इन्टेन्शनली रखा है। इसके बाद ये पचास लाख रुपया कैसे वसूल किया जावेगा ? मैं कहता हूं ५६ में जो प्रोसीजर टैक्स देने का लीगल था उसकी तो आज दिन तक वसूली कर लेनी चाहिये थी। तीन पैसे जो बढ़ाये गये, वह नहीं करते तो यह समझ में आ सकती थी, पर जिसे आप लीगली वसूल कर सकते थे उसको क्यों नहीं वसूल किया--यह प्रश्न है।

(श्री विजयसिंह झाला)

आप कह सकते हैं कि असेसमेन्ट पूरा नहीं हो सकता था। मैं पूछता हूं आपके पास रिकार्ड होना चाहिये, रिकार्ड था तो सब वसूल हो सकता था। रिकार्ड आपके पास अगर ठीक था तो ५६ के एक्ट के अनुसार भी उसकी वसूली लीगल थी। पर वह रिकार्ड भी आज आपके पास नहीं है। मूल बात तो यह है। आज यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जावे कि ३०४ मोटर मालिकों में कितना कितना किस किस समय का किस किस हिसाब से वसूल करना है तो यह आप नहीं बता सकते, इसका रिकार्ड आपके पास नहीं है। तो मैं पूछता हूं इस स्थिति के लिये कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं है वह रिकार्ड आपके पास। ५६ के एक्ट के अनुसार आप हर मोटर मालिक को बाध्य कर सकते थे कि उनसे कितना टैक्स वसूल करना है अब वह जानकारी लेकर आपने वसूल नहीं किया तो प्रश्न उठेगा कि ६३ के अनुसार एक्साइज विभाग को अधिकार मिला है वह यह मिला है कि मोटर मालिक की कुर्की करके यात्री कर वसूल कर सकता है। इसके अलावा और कोई अधिकार नहीं है। मान लो यात्री कर मोटर की कीमत से ज्यादा बढ़ गया तो यात्रा कर किससे वसूल करोगे? आप कहते हैं कि स्टे ऑर्डर दिया तो कोर्ट ने सिक्योरिटी जमा कराई? तो अब किस मोटर मालिक ने कितनी कितनी जमा कराई-इसका भी रिकार्ड आपके पास नहीं है। सिक्योरिटी कितनी जमा कराई गई और मोटर की कीमत और सिक्योरिटी की कीमत को दोनों को मिलाकर मोटर मालिक में शेष है तो उसको वसूल कर सकते हैं या नहीं, इसका प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा कि जो प्रोसीजर यात्री कर का वसूल करने का है वह डिफेक्टिव है और उसको आपको सुधारना चाहिये। मैं इसके लिये भी आपको सुझाव दूंगा।

मैं वित्तमन्त्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होने वरिष्ठ मन्त्री के सालों और जवाइयों से भी वसूली करने का साहस किया है और उनका इलाज उदयपुर में उनकी कुर्की करके किया। तो इस दिशा में जो साहसपूर्ण कदम उन्होंने उठाया है मैं उसकी तारीफ करता हूँ और तारीफ के साथ साथ उनको थोड़ा सावधान भी करता हूं कि हालांकि उनके साथ उन के इस साहसपूर्ण कार्य में अपोजीशन की पार्टियां हैं कि जिस बकाया के बारे में स्टे नहीं लाये वह भी लाखों बकाया है उसे वे इसी साहसपूर्ण रीति से वसूल करेंगे और जो प्रेशर और इवेडिंग टेकटिक्स का उनको सामना करना पड़ेगा उससे भी वे विचलित न हों।

अब इस वसूली के तरीकों में और भी सुधार हो इसके लिये मैं सुधार के बारे में सुझाव देना चाहता हूं। आपके यहां एक्साईज विभाग और आर. टी. ओ. अलग अलग हैं। नतीजा इसका यह होता है कि एक दूसरे की गलती एक दूसरे पर डालते हैं। एक्साइज वाले यह कहते है कि अगर हमने बकाया पैसेन्जर टैक्स का नहीं वसूल किया है तो आर. टी. ओ. ने टोकन क्यों दे दिया। वह टोकन नहीं देता। और आर. टी. ओ. यह कह देता है कि क्लीयरेन्स सर्टीफिकेट उनका नहीं आया, किसमें कितना बकाया है यह सूचना एक्साइज विभाग ने उनको नहीं दी तो वे क्या कर सकते है, उन्होंने टोकन रोकना उचित नहीं

(श्री विजयसिंह भाला)

समझा, दे दिया। नतीजा यह होता है कि टैक्स नहीं देते हुए भी मोटरें चलती हैं।

श्री परसराम मदेरणा : एक्साइज विभाग कौनसा ?

श्री विजयसिंह भाला : टैक्सेशन विभाग कह लें। तो इसलिये इस झगड़े को दूर करने के लिये आपको भी यू. पी. और पंजाब की तरह यह करना चाहिये कि टैक्स वसूल करने का और टोकन रिन्यू करने का पॉवर एक ही ऑथोरिटी को होना चाहिये। आज उदयपुर और भीलवाड़ा में बगैर टैक्स दिये टोकन रिन्यू हो रहे हैं। और इसमें दोनों विभाग दोषी है।

दूसरा सुझाव यह है कि वित्त मंत्री जी जरा जरा साहस करते हैं पर ऊपर के दबाव या डंडे की वजह से साहस अच्छे अच्छे साहसिक का टूट जाता है तो मैं यह उम्मीद करके चलूंगा कि कैसा भी दबाव या डंडा ऊपर से आवे वित्त मन्त्री जी को अडिग रहना होगा। इसके लिये क्रियात्मक सुझाव और दूंगा कि जिस तरह से इन्टरनल टैक्स होते हैं उस तरह से टिकट छपवा कर आप उन्हें मोटर मालिकों को दे दो। एक महीने का एडवांस टिकट आप मोटर मालिक को दे दें ताकि यह इवेजन का रोग, टैक्स इवेजन का रोग निरन्तर बढ़ता जा रहा है वह समाप्त हो जावे और इसके लिये आपको बार बार सदन में लताड़ भी नहीं मिलेगी। इधर किसी वरिष्ठ मन्त्री की आज आपको लताड़ मिलती है अगर आप ईमानदारी से टैक्स वसूली का साहस करते हैं तो और अगर नहीं करते हैं तो विरोधी पक्ष की लताड़ मिलती है। तो इस लताड़ लताड़ में आप गड़बड़ा जावेंगे। इससे बचने का यही उपाय है। तो ये सुझाव हुए।

फिर जब कि आपको इस एक्ट में यह पावर हैं यह प्रावधान इसमें है कि जिन लोगों ने अकारण, रिट के कारण को छोड़ दीजिये, यात्री कर नहीं जमा कराया वह मिस एप्रोप्रियेशन आफ प्रोपर्टी है। उनका फौजदारी कानून के अन्तर्गत चालान कराना चाहिये। यह फौजदारी जुर्म बनता है। तो मैं पूछता हूं इस प्रावधान के अन्तर्गत आपने कितने मोटर मालिकों का चालान किया ? साफ है आपने अब तक एक का भी नहीं किया।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, और सुझाव देना चाहता हूं और वह है विद्यार्थियों के बारे में, इसमें एग्जम्पशन का भी प्रोवीजन है। आप कुछ पर्टीकूलर क्लास को इस टैक्स से एग्जम्प्ट भी कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें भी आप वह प्रावधान कर सकते हैं। जो स्कूल में पढ़ते हैं ग्रामों से, नजदीक के ग्रामों से शहरों में पढ़ने जाते हैं और जो सड़क के किनारे हैं तो कम से कम उन विद्यार्थियों को जिनको मोटर मालिक फ्री ले जाते हैं जिनसे वे किसी प्रकार का टिकट नहीं लेते तो आप उनसे भी टैक्स न लें उन विद्यार्थियों का।

इन सुझावों के साथ में अपना असहमति पत्र पस्तुत करता हूं।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल को सलेक्ट कमेटी में इसलिये भेजा गया कि

(श्री मथुरेश बिहारी माथुर)

इसमें कुछ कान्स्टीट्यशनल और लीगल एत-राज थे। तो वहां विचार होकर दुबारा यह यहां आया है।

मैंने इस विषय में जो अमेन्डमेन्ट होकर आया है उसमें अपना नोट आफ डिसेन्ट दिया और उसकी ताईद में मैं ऐसा अनुभव करता हूँ और मेरी ऐसी मान्यता है कि जो कान्सटी-ट्यूशनल और लीगल ऐतराज़ात यहां सदन में रखे गये थे उनके विषय में अब भी सलेक्ट कमेटी द्वारा प्रस्तुत किया हुआ जो बिल है उसमें भी जो अमेन्डमेंट्स आये हैं उनका निराकरण नहीं हुआ है·······

श्री रघुनाथ विश्नोई : अभी भी कोई डाउट रह गये क्या आपको ?

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : हां है। मैं अभी उनको आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो इसके विषय में जो सलेक्ट कमेटी से पास होकर आया है उसमें क्लॉज़ ३ के तहत जो वर्डिंग्स थे उसको डिलीट करने के विषय एक अमेन्डमेन्ट सदन के सामने आया है। इस बिल को लाने के पीछे जो अभिप्राय था और जो इसके रीज़न्स एण्ड आब्जेक्ट्स में दिया हुआ है वह है पैसेंजर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन के मुताबिक जो हाई कोर्ट के अन्दर रिट की गई और उनके ऊपर जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिये उनके दो रूप थे–एक तो उनका कारण यह था कि इसको गलत बतलाने के लिए जो आर्डर निकाला गया लम्प-सम को लेने के लिए वह सेक्शन ३ ओरिजिनल एक्ट के तहत में नहीं निकाला गया और दूसरा यह था उसके अन्दर कि वह पब्लिक केरियर के लिए ही निकाला गया और दूसरी केरियरर्स के लिए या गवर्नमेंट केरियर के लिए निकाला गया। इसलिए उसको गलत बतलाया गया और आज उसको वेलीडेट करने के लिए यह बिल सदन के समक्ष आया है। मेरा अर्ज करना यह है कि अब जो सलेक्ट कमेटी ने डिलीट करने के लिए अपनी राय दी है उसके तहत में इसको बजाय साफ करने के काफी वेग और जनरल कर दिया गया है और वह इसलिए है कि जो लम्प-सम लेने का प्रावधान मेन एक्ट में सेक्शन ३ (ए) में नोटीफिकेशन में है उसमें सेक्शन ४ के अन्दर लम्प-सम लेने का प्रावधान रखा है।

"The tax shall be collected by the owner of the motor vehicle and paid to the State Government in the prescribed manner.

Provided that in case of public carriers the State Government may accept a lump sum in leiu of the tax chargeable on freight in the manner prescribed.

Provided further that in casr of contract carriages the State Government may accept a lump sum in lieu of the tax chargeable on fare in the manner prescribed."

तो जो लम्प-सम लेने का प्रावधान मेन एक्ट में दिया गया है वह सेक्शन ४ के तहत है। अब यह कहा जाये कि टैक्स लेवी करने की जनरल पावर्स ३ के (ए) में है। इसमें जो सलेक्ट कमेटी में दिया है वह ३ (१) के लिए दिया गया है लेकिन लम्प-सम के लिए

(श्री मथुरेश माथुर बिहारी)

सैक्शन ३ के भी (२) में है " (2) Where any fare or freight charged is a lump sum paid by a person on account of a season ticket or as subscription..." तो लम्प-सम की भी सेक्शन ३ में है तो वह क्लॉज़ (२) में है और उसका अमेन्डिंग क्लॉज़ ४ में है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है क्लॉज़ ३ के तहत ।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं इसलिए अर्ज करता हूँ कि सलेक्ट कमेटी ने इसको केवल कन्फाइन करके दे दिया । "or any want of notifications under sub-section (1) of section 3 of the principal Act." तो यह जो लम्प-सम लेने का है वह सेक्शन ३ में भी आयेगा तो क्लाज़ (२) में आयेगा या क्लॉज़ ४ में होगा । अब इसके अन्दर जो जनरेलाइज़ किया था कि: all payments in lieu of tax......इनको सबको ओमिट कर दिया गया । अब इसमें यह समस्या उत्पन्न फिर होती है ३ (ए) के लिए 'वान्ट आफ नोटीफिकेशन, को तो वेलीडेट करते है या उसका पेमेन्ट वेलीडेट मानते हैं । लेकिन जो लम्प-सम का पेमेन्ट है यह तो क्लॉज़ ३ के (बी) में माना जायेगा या क्लाज़ ४ में माना जायेगा । तो उसको लीगेलाइज़ करने के लिए अब भी इसमें क्लॉज़ ३ के अन्तर्गत नहीं रहा । इसलिए मैं माननीय सदस्यों की तवज्जह दिलाता हूं कि अब जो सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आई है उसको पहले वाले को बजाय साफ करने के उसको वेग कर दिया गया है और वही आपत्ति जो हाई कोर्ट के जजमेंट की थी वह अब भी कायम रह जाती है । उसमें सेक्शन के (ए) और (बी) का नहीं है क्लॉज़ ४ जो लम्प-सम किया गया है उसका नोटीफिकेशन लेवी आफ टैक्सेस का ३ में नहीं किया गया है । इसलिए उसको गलत माना गया । इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि यह जो सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आई है और जिस तरह से यह अमेन्डमेंट आया है वह अब भी वेग है और इसको क्लियर नहीं करता । बल्कि इसको डिलीट करने के तहत में और भी काम्प्लीकेशन्स हो गये हैं । वैसे तो जाहिरी तौर पर अच्छा लगता है । इसकी जरूरत नहीं कि नोटीफिकेशन किया जाये और उसको वेलीडेट किया जाये । लेकिन आपका तो यह गलत लीगल स्टेप होगया जिसको आप वेलीडेट कराने के लिए आये वह तो वही नोटीफिकेशन है जिसके तहत में आपने टैक्स लिया, लम्प-सम में लिया और उसको गलत माना गया । अब उस नोटीफिकेशन को ओमिट किया जाये तो वह और भी अपने आप में काम्प्लीकेशन्स पैदा करने वाला है और लीगली इसमें आपत्ति उठाने की आशंका है, मेरी ऐसी मान्यता है ।

इसके बाद में यह भी अर्ज करूंगा कि इन्ट्रोड्यस करने के मुतल्लिक जो उस रोज सदन के अन्दर ३०४ (बी) के तहत आपत्ति उठाई गई थी उसके लिए यह बात सही है कि आसन की तरफ से यह बतलाया गया था कि प्रेसीडेन्ट की सैंक्शन हो चुकी है । लेकिन मैं एक बात आपके सामने यह अर्ज करना चाहता हूं कि किसी बिल के लिए कान्स्टीट्यूशनल पाबन्दी है और वह इन्ट्रो-

(श्री मथुरेश माथुर बिहारी)

ड्यूज से पहले सदन को या सदस्यों को मालूम हो और वह आपत्ति उठाने पर ही आपत्ति बताई जाये यह कान्स्टीट्यूशन के आर्टिकल ३०४ (बी) की मन्शा नहीं है बल्कि जिस समय बिल आये और जैसा कि पार्लियामेंन्ट में होता है कि बिल के नीचे लिख दिया जाता है :

"Received the assent of the President or approval of the President,, etc.

वह जिस समय आप इन्ट्रोड्यूज करते हैं उसकी यहां पर परम्परा नहीं है। इन्ट्रोड्यूज करने की जो लीगल आपत्ति है वह उत्पन्न हो जाती है इसलिए मैं कहूंगा कि जिस समय यह इन्ट्रोड्यूज किया गया था उसके अन्दर जब आप रीजन्स एण्ड आब्जेक्ट्स देते हैं तो उसमें भी लिखा जा सकता है कि इस पर प्रेसीडेन्ट की सेंक्शन आ चुकी हैं और अगर वह उसके अन्दर नहीं आता है तो वह इन्ट्रोडक्शन अन-कान्स्टीट्यूशनल हो जाता है। यह मेरी और दूसरे माननीय सदस्यों की उस समय भी आपत्ति थी उसका भी कोई निराकरण इसमें दृष्टिगोचर नहीं हुआ। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि यह जो सलेक्ट कमेटी की ओर से अमेन्डेड होकर आया है उस आपत्ति को दूर नहीं करता यद्यपि आसन की ओर से ऐसा कहा जा चुका है लेकिन अगर आप ऐसे टैक्सेशन जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले हों औरयह एक कन्ट्रोवर्शल पाइन्ट हो गया है कि ३०४ (बी) के अन्दर किन किन में सेंक्शनली जाये और किन किन में नहीं ली जाये। इसमें तो खैर आपने लेना पसन्द कर लिया और जब आपने कर लिया तो आपको इसकी पूरी पाबन्दी करनी चाहिए अगर नहीं की तो वह कान्स्टीट्यूशनल आपत्ति कायम रह जाती है और उसका इससे निराकरण नहीं हुआ।........

श्री जोधासिंह (गिरवा) : सभापति महोदय, सदन में कोरम नहीं है। मालूम होता है यह हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं।

(कोरम बैल बजाई गई)

श्री सभापति : Yes carry on.

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : सभापति महोदय,........

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : हमारी बात सुनने के लिए बैठना चाहिए। कोरम के लिए भी घन्टी बजानी पड़ती है।

श्री सभापति : Ask your own party men.

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : सभापति महोदय, मेरी एक लीगल आपत्ति इसके विषय में और भी है कि आपने इस एमेंडमेंट के तहत schedule under rule 8 issued from time to time को डिलीट करने का रखा है in pursuance of rule 8 of the Rajasthan Passengers and Goods Taxation Rules, 1959 shall be and be deemed always, to have been validly paid. इसके तहत में जो रूल ८ के तहत में नोटिफिकेशन्स हैं उनकी

(श्री मथुरेश बिहारी माथुर)

तरफ भी मैं आपकी तवज्जह दिलाता हूं। जो ५६ सेक्शन २१ में मेन एक्ट में रूल बनाने के लिए पावर दिये हैं उनमें भी यह साफ तौर से लिखा है पहले ही से– may make rules, consistent with this Act.

मैं पढ़ देता हूं सेक्शन— "(1) The State Government may make rules, consistent with this Act, for securing the payment of tax and generally for the purposes of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the State Government may make rules—

(a) prescribing the manner in which and the intervals at which tax shall be paid under section 3 and section 4." तो सेक्शन ३ और ४ के तहत रूल्स बनाने के पावर्स दिये हैं, और उसके लिए सेक्शन ४ में लम्प-सम लेने के लिए प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवीजो के तौर पर पावर्स दिये हैं तो वह लम्प-सम जो है उसके मुतल्लिक सेक्शन ३ के अन्दर ही कोई प्रावधान ए में नहीं है और उसके लिए सेपरेट सेक्शन ४ में है। सेपरेट सेक्शन ४ के तहत में रूल्स बनेंगे और उसके तहत में जो रूल्स बनेंगे उनके तहत में जो नोटिफिकेशन जारी होंगे तो उसको वेलिडेट या इनवेलिडेट करने का प्रश्न आ सकता है। इसलिए यह जो सवाल है कि सेक्शन ४ जो है वह इनेब्लिंग क्लाज है और एम्पावरिंग क्लाज, मेन सेक्शन तो तीन ही है, इसलिए सेक्शन ४ की जरूरत नहीं और नोटिफिकेशन वगैरह वह तीन में ही माने जायेंगे। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि तीन में नही माने जायेंगे और ४ में ही वह माने जायेंगे क्योंकि वह इन्डिपेन्डेन्ट है। उसके लिए अलग मानकर रूल बनाने के लिए सेक्शन २४ के अन्दर अलग प्रावधान रखा है मेन एक्ट में। ४ उसकी जगह कायम है। यह जो नोटिफिकेशन जिनके तहत में आप पेमेन्ट वेलिडेट करना चाहते है वह है सेक्शन ४ लम्प-सम को वेलिडेट करने का। इसलिए इसके अन्दर जो एमेंडमेंट होकर आया है वहां पर आवश्यक था कि any want of notifications under sub-section (1) of section 3 of the principal Act यह जब तक नहीं हो तब तक यह जो नोटिफिकेशन जारी किया है वसूली का वह वेलिडेट नहीं होगा, और एक लीगल और कान्स्टीट्यूशनल आपति आपके समक्ष उपस्थित हो सकती है।

इसलिए मेरा अर्ज करना यह है कि मैंने इसको सलेक्ट कमेटी में डिसेन्ट किया है और इसको न इन्ट्रोड्यूज किया जाना चाहिए और न इस पर विचार किया जाकर इसको पास किया जाना चाहिए।

श्री सभापति : श्री जयकृष्ण शर्मा।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थाना गाजी) : चैयरमेन महोदय, आज यहां हमारे सामने सलेक्ट कमेटी से होकर राजस्थान पैसेन्जर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन (एमेंडमेंट एण्ड वेलीडेशन) बिल, १६६४ प्रस्तुत हो रहा है। मैं इस सम्बन्ध में यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो यह टैक्स राजस्थान सरकार के द्वारा सन् १६५६ के अन्दर लगाया गया और इस टैक्स को जो इकट्ठा किया गया है वह आम

(श्री जय कृष्ण शर्मा)

आदमी से आम व्यक्ति इकट्ठा किया गया है न कि मोटर मालिकों से जिन्होंने कि यह हिमाकत की है कि हाई कोर्ट में जाकर जनता से इकट्ठा किया हुआ टैक्स न दें। यह जो उन्होंने हिम्मत की है वह बहुत ही ताज्जुब की बात है। उन्होंने कानून की शरण ली है और कानून के अन्दर जो खामियां हैं उनको लेकर उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे आर्डर प्राप्त कर लिया है, और वह टैक्स जो कि उन्होंने जनता से इकट्ठा किया है, जो उनके पास अमानत के रूप में है, उसको नहीं दे रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि इस एक्ट के अन्दर ऐसा प्रोवीजन होना चाहिए था कि जिस प्रोविजन के द्वारा यह जो टैक्स वसूल कर रहे हैं, वह जनता से टैक्स इस तरह से लेकर अपने पास रखें जिसकी कि बहुत बड़ी तादाद है, ५० लाख के करीब जिन्होंने टैक्स का वसूल किया है अगर वह टैक्स हमारी सरकार के खजाने में आता तो वह कई काम में आता, डवलपमेंट के काम और दूसरे कामों के अन्दर आता, और उससे देश के अन्दर इस समय जो उत्पादन की समस्या नजर आ रही है उस उत्पादन की समस्या के हल में अपना योगदान देता। जब कि मुल्क आज एक बहुत बड़ी समस्या में खड़ा हुआ है उस समय इस तरह के लोग जो आम जनता से—गरीब और अमीर जनता से पैसा इकट्ठा करके नहीं देते हैं उनके प्रति उनके खिलाफ किसी प्रकार का कानून बनाकर उनके साथ में सख्ती की जाय। परन्तु आपत्ति यह है कि कैसे की जाय? इसके अन्दर जो अमेंडमेंट किया जा रहा है और जो तरीके इस विभाग के हैं उनसे मैं समझता हूं कि इस टैक्स में लूप-होल का एक जरिया दे दिया गया है। यदि आप यू० पी० में देखेंगे, यदि आप पंजाब में देखेंगे तो कोई भी मालिक को टैक्स वसूल करने से पहले सरकारी खजाने में जाकर टिकट प्राप्त करे और उस टिकट को पैसेन्जर टिकट के ऊपर लगाना पड़ता है। जनता से पैसा वसूल करने से पहले वह अपनी तरफ से टिकट खरीदता है। तो राज्य सरकार का जो एक एक मोटर मालिक की तरफ १०, २० २५ हजार रुपया बकाया है वह बकाया नहीं होता और कोई भी जो टैक्स नहीं लेता है उसका चालान होता, और इतने रुपये इकट्ठे नहीं होते और कोई भी जो टैक्स नहीं लगाता वह इस तरह से हाई कोर्ट में जाता। आज किसी व्यक्ति के पास २०,०००) रु० है तो हाई कोर्ट में जाकर २००)रु० खर्च कर सकता है तो २०,०००)रु० का कितना इन्ट्रेस्ट होता है। तो सोचना पड़ेगा आगे के लिये आपने गलती की पहले एक और दूसरी गलती और दोहरा रहे हैं तो इसी प्रकार से टैक्स होता रहेगा और आप उनका एसेसमेन्ट करते रहेंगे, और उनके मकान और मिल्कियत आप कुर्क करते रहेंगे, लेकिन जो टैक्स का पैसा उसने पहले से वसूल कर लिया है वह आपके खजाने में नहीं होगा। तो आपको यह बात सोचनी है कि यह टैक्स किस प्रकार से आपके पास आये इसका तरीका जो हैं वह आपको बदलना पड़ेगा और वह तरीका यह है कि आपके पास पैसेन्जर्स और गुड्स के टिकट्स हों और टिकट के लगाने से पहले पैसा ट्रेजरी में चला जायगा और कोई मोटर मालिक जो कि जनता से पैसा वसूल कर रहा है उसकी यह हिमाकत नहीं होगी कि वह पैसा आपको नहीं दे।

दूसरी बात यह है कि आपका जो डिपार्टमेन्ट है वह इतना इनएफिशियेन्ट डिपार्टमेन्ट

(श्री जय कृष्ण शर्मा)

हैं कि कोई भी डिपार्टमेन्ट इतना इनए-फिशियेन्ट नहीं हो सकता । इसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं । एक ही लाइन पर तीन टन की गाड़ी है, एक ही लाइन पर ५ टन की गाड़ी है और एक ही लाइन पर ७ टन की गाड़ी है इसका मतलब यह है कि एक ही लाइन पर एक रूट पर चलने वाली ३५ पैसेन्जर की गाड़ी, एक ही रूट पर चलने वाली ४५ पैसेन्जर की गाड़ी और एक ही रूट पर ५७ या ५५ पैसेन्जर की गाड़ी है । जब वह रिटर्न देता है तो ३ टन की गाड़ी वाला जिसकी ३५ पैसेन्जर की गाड़ी है वह २००--२५०) रु० का रिटर्न देता है । दूसरी तरफ ५५ पैसेन्जर की बस है वह १५०) रु० माहवार देता है । क्यों ? इसका कारण है जो टैक्स इश्यू करते हैं, वह बेईमान लोग हैं जिनके अन्दर राष्ट्रीयता नहीं है । वह टैक्स तो पूरा वसूल करते हैं लेकिन वे राजकीय खजाने में पूरा जमा नहीं करते हैं । वे डुप्लीकेट टिकट बनाते हैं । कुछ दिन पूर्व अलवर में इस प्रकार का केस पकड़ा गया था । बसों के अन्दर कुछ डुप्लीकेट टिकट पकड़े गये थे । मैं नहीं कह सकता कि उस केस का क्या हुआ और क्या नहीं हुआ । प्रायः इस तरह की रोज घटनाऐं होती हैं । मैं इस तरह के केसेज रोज देखता हूं । मैं जब इस बात को सुनता हूं कि मोटर मालिक जिनको कि टैक्स वसूल करने का अधिकार सरकारी खजाने के लिए वसूल करने के लिये दिया गया है वह जब इस तरह से उस टैक्स का मिस-यूज करते हैं, इस तरह से उसका अपहरण करते हैं, इस तरह से स पवित्र टैक्स के अन्दर, जो कि राज्य को बहुत है, गड़बड़ करते हैं, तो मैं समझ नहीं पाता कि जब दूसरी तरफ जो लोग ईमानदारी के साथ ७, ८ या १० तारीख को टैक्स जमा कराते हैं उनके साथ पैनल्टी, उनके साथ हैरेस्समेन्ट और उनको सब तरह से परेशान किया जाता है । जो लोग चोरी करेंगे या साल भर में ३ हजार की जगह डेढ हजार जमा करेंगे और इसके बाद भी अगर ५००) की पेनल्टी उन पर लगायेंगे तो भी उनके पास १०००) बच जायेंगे । दूसरी तरफ जो लोग ३० टन की गाड़ी के मालिक हैं या ५० या ६० टन की गाड़ी के मालिक हैं उनको परेशान करते हैं, राजस्थान में इस बात का रेकार्ड है तो आम आदमी के साथ आपके डिपार्टमेंट का सलूक बेईमान और ईमानदार के साथ एकसा है । आपके जो पैसेन्जर टैक्स के आफीसर्स हैं या इन्सपेक्टर्स हैं उनको आप ट्रेनिंग दें, उनको समझायें । जो प्रफोरमा है उसको तब्दील करें जिस तरह से पंजाब में है, जब भी वे गाड़ी चैक करते हैं तो उसके नम्बर उसी दिन नोट करके कि फलां टिकट नम्बर से फलां टिकट नम्बर तक चैक किया है और इतने पैसेन्जर हैं यह लिखकर हैड ओफिस में भेज देते हैं लेकिन आपके यहां चैक करने वाला खुद अपने पास रख लेता है और कोई एप्रोच करता है तो काट भी देते हैं ।

एक सुझाव आया था कि आर. टी. ए. और पैसेन्जर टैक्स का समन्वय होना चाहिये । लेकिन मैं कहूँगा कि कोई समन्वय की जरूरत नहीं है । एक आ. टी. ए. है और पैसेन्जर टैक्स है जिसमें बकाया, जब तक वह टैक्स नहीं दे दे तब तक उसको टोकन नहीं दे । यदि आ. टी. ए. इस प्रकार का व्यवहार करता है तो उसके अनुसार एक्शन लेना

(श्री जय कृष्ण शर्मा)

चाहिये। जो टैक्स लगाया जाता है यदि उसमें से लूप होल रख कर झरना झरने दिया तो जितना टैक्स पहले मुहैया हुआ उतना दूसरे साल में नहीं होगा और जितना दूसरे साल में मुहैया हुआ उतना तीसरे साल में नहीं मिलेगा। आपने रोडवेज चलाकर टैक्स इकट्ठा करते हैं उसमें और इसमें बड़ा अन्तर है। इसमें भी आपके कंडक्टर के होते हुए १५, २० सवारियां बिना टैक्स के और बिना टिकट के पकड़ी जाती हैं। इस तरह से भी बड़ी मात्रा में टैक्स चला जाता है। यह भी आम आमदनी से सम्बन्धित है। गरीब आदमी देता है उसकी जेब से जाता है और मालदार लोगों की जेब में चला जाता है जो वास्तव में राज्य के खजाने में जाना चाहिये। उसमें से ये लोग चोरी करते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि इसको रोकने के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये। वित्त मन्त्रीजी से जब भी मेरी बात इस बारे में हुई है उन्होंने आश्वासन दिया है कि यह टैक्स हर हालत में खजाने में आना चाहिये। इस कानून को पास करने के बाद इसको अमल में लाने के लिये जितनी सख्ती आप कर सकें उतनी करें और जो ५० लाख रुपयां की बकाया है उसको हर तरह से वसूल करें ताकि यह खजाने में आ सके। जनता का इसके साथ समर्थन है। मैं इसका समर्थन करता हुआ निवेदन करूंगा कि इसको शीघ्र ही पास किया जाय।

श्री सभापति : श्री जोधसिंह।

श्री जोधसिंह : सभापति महोदय, हमारे सामने यह बिल लाया गया है और प्रवर समिति ने जो रिपोर्ट दी है, कई माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि सरकार टैक्स वसूल करना चाहती तो है लेकिन इसमें कई प्रकार का लेकुना है उसकी वजह से जनता टैक्स नहीं दे रही है। अभी ५० लाख रुपयों के करीब रकम पैसेन्जर टैक्स की बाकी है। यही नहीं मोटर मालिक सरकार को टैक्स नहीं देते हैं। यह आज की बात नहीं है कितने ही दिनों से बाकी चला आ रहा है। अच्छी तो यह होता कि सरकार इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट पहले लाती। पहले न लाने का कारण मैं यह समझता हूं कि सरकार सोई हुई है और उसने जान बूझ कर देरी की है। वह अपने व्यक्तियों को बढ़ावा देती है और उनसे वसूल नहीं करती है इसका उदाहरण उदयपुर नगर का मैं आपके सामने पेश करता हूं। आज उदयपुर में एक गुलाम अब्बार है उनमें कई रुपये बाकी हैं, जाकिर हुसेन में कई रुपये बाकी हैं। उदयपुर की लिस्ट पहले भी सदन के सामने आई थी। करीब ५०-६० व्यक्ति वहां के हैं जिनमें टैक्स बाकी है। समझ में नहीं आता कि उनमें टैक्स किस प्रकार बाकी है। टैक्स बाकी रहना सरकार की नीयत पर निर्भर करता है क्योंकि सरकार चाहे तो उसको टोकन दे नहीं तो नहीं दे। जब एक व्यक्ति में टैक्स बाकी है और वह नही भरता है तो उसको टोकन नही देना चाहिये। यह कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा मसला है, इसको सरकार अपने आप सोल्व कर सकती है। सरकार जान-बूझ कर तय करती है कि फलां आदमी को टोकन दे दो हालांकि टैक्स जमा नहीं कराता है तो भी दे दिया जाता है, इसलिये दिया जाता है कि बड़े बड़े व्यक्तियों के फोन जाते है, वे कहते हैं कि इनको टोकन दे दो इसलिये

(श्री जोधसिंह)

उनको टोकन मिल जाता है। सारे लोगों की मिली भगत है। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सभी मिले हुए हैं इसलिये टैक्स वसूल नही होता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह अपनी नीयत ठीक रखे और ईमानदारी से काम करे तो राजस्थान सरकार बहुत बड़ा टैक्स वसूल कर सकती है और उसका घाटा पूरा हो सकता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह टैक्स वसूल करने में ईमानदारी बरते, सख्ती बरते और भाई भतीजावाद और रिश्तेदारी का ख्याल नहीं करे। यदि राष्ट्र का करेक्टर उनके सामने रहेगा, देश को उन्नति पर पहुंचाने की बात उनकेस मने रहेगी तो मैं समझता हूँ सारा टैक्स वसूल हो जायगा और बहुत बड़ा फायदा हो सकेगा।

श्री सभापति : श्री उमरावसिंह।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय सभापति महोदय, यह जो विधेयक हमारे सामने है मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहता हूं, और खास तौर से हमारे वित्त मंत्री महोदय को जो आंकड़ों का जाल रखने में माहिर है, सिर्फ एक ही बस ओनर ने कितना पैसा जमा करके क्या क्या काम किया है उसकी नजीर आपके सामने रखना चाहता हूं और इसलिये कि वित्त मंत्रीजी ने आज से एक साल पहले मेरे एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि ३ महीनों में पैसा वसूल करूंगा लेकिन वे आज तक वसूल नहीं कर पाये।

उदयपुर में हमारे एक मोटर मालिक हैं उनमें १ लाख ३ हजार रुपये १९५८ से आज तक पैसेन्जर टैक्स के, सभापति महोदय, बाकी हैं........

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अभी बाकी हैं या पहले थे?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अभी तक बाकी हैं। गुलामअब्बास जिनका नाम है, वही पानरवा केस के मालिक। १ लाख ३ हजार रुपयों में कितनी बसेज आती हैं? तीन बसेज आती है और वे तीन बसेज सन् ५८ से आज तक चलायें तो तीन हजार रुपये प्रति वर्ष प्रति माह के हिसाब से ९ हजार रुपये हर महिने उनको प्रोफिट मिलता है। तो आज दिन तक उन्होंने जो पैसा कमाया है उसका नमूना यह है कि उन्होंने अजन्ता होटल ५ लाख रुपयों में बना लिया और उन्होंने चेटक सिनेमा खरीदा है ७ लाख रुपयों में। इस तरह से उन्होंने आपके पैसे को नाजायज तरीके से रोक कर यह फायदा उठाया और पैसा जमा नहीं कराया, जब कि जनता से यह पैसा ले लिया। यह सब चीज क्यों नहीं हुई उसका एक कारण यह है कि सारे अमेन्डमेन्ट्स और ओर्डिनेंस जो कुछ लाते हैं उसके बावजूद भी मैं पूछना चाहता हूं वित्त मंत्रीजी से कि प्राइवेट बस ओनर्स की बसें जिस रूट पर चलती हैं उसी रूट पर आपकी नेशनेलाइज्ड बसें भी चलती हैं, मुझे आप एक महीने के फिगर बता दें कि आपकी बसेज से कितना पैसेन्जर टैक्स वसूल होता है और प्राइवेट बस वाले आपको कितना टैक्स देते हैं? इस माइलेज और रूट दोनों में फर्क है इसलिये चोरी करने की छूट दे रखी है। पैसेन्जर टैक्स वसूल करने के लिये जो एजेन्सीज बना रखी हैं

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

उनके बारे में अर्ज करना चाहता हूं मांडल स्टेशन के ऊपर एक महीने तक फ्लाइंग स्कवेड के इन्सपेक्टर चैकिंग करते हैं। वह एक महीने तक वहां बैठे रहे। मैंने अच्छी तरह से देखा और दो तीन बार बसेज में मैं चल रहा था तो एक दफा मोटर आपरेटर ने बताया कि हम इनको कैसे बेवकूफ बनाते हैं यह देखना। इन्होंने अपने पास लाल रंग की टिकट बुक रख रखी है। उसमें तीन दिन पहले के टिकिट थे। इंसपेक्टर तो शराब पीता है और मस्त रहता है और तम्बू में बिस्तर लगा कर सो जाता है और सिपाही को चैकिंग के लिए भेज देता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, जो यह देख नहीं सकता कि कौनसी तारीख का टिकट है। मैं आपको यह शपथ खाकर कह सकता हूं कि तीन दिन पहले के टिकट उस दिन उन्होंने बता दिये जिस दिन गाड़ी में मैं चल रहा था और सिपाही ने कहा ठीक है, आपके पास टिकट है। इस तरह फ्लाइंग स्क्वेड वाले गाड़ी दौड़ाते हैं, पेट्रोल फूंकते हैं और भत्ता उड़ाते हैं........

श्री सभापति : आप समय और लेंगे या भाषण समाप्त करना चाहते हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : दो मिनिट।

मैं यह कहना चाहता हूं, इस विधेयक को पास करा लें, इसमें हमें एतराज नहीं है, लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट कर दें कि जो पचास लाख इन मोटर ओनर्स में बाकी हैं, वह आप दो महीने में वसूल करके सरकारी खजाने में जमा करा देंगे। इतना अमेंडमेंट रख दें तो मैं आपकी बहादुरी मान लूंगा। और यह भी मान लूंगा की आप मुख्य मंत्री से नहीं डरते, जिनके रिश्तेदारों, भाई भतीजों और मित्रों में लाखों की तादाद में पैसेन्जर टैक्स बाकी है। अगर ऐसा करेंगे तो यह भी हम समझेंगे कि भ्रष्टाचार को मिटाने की ओर आपने कदम आगे बढ़ाया है। इसमें यह लिख दें कि जिनमें पैसा बाकी है उनसे दो महीने में पैसा वसूल कर लेंगे तब ही इस बिल को लाने का फायदा होगा वरना फायदा नहीं होगा क्योंकि दस महीने, एक साल तक उनमें पैसा बाकी रहेगा और वे उस पैसे से कमायेंगे और हमारी छाती पर मूंग दलेंगे।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ८ बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. १. ३ बजे मंगलवार दिनांक १८-८-६४ के प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

———

परिशिष्ट १

(समयाभाव के कारण जो प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

अजमेर से ए. आर. टी. ओ. आफिस की स्थानान्तरण

२७७. श्री पोहूमल ईसरदास (अजमेर सिटी) : Will the Transport Minister please state :

(1) Whether there was A. R. To.'s office at Ajmer?

(2) If yes, when, and where has it been shifted ?

(3) Who issues special permits to Bus operators for buses on contract for marriages for places in Jaipur region now ?

(4) Who is competent to issue special contract permits for marriages if Ajmer operators want to go out of Jaipur region ?

(5) Is it not inconveient and expensive for Bus operators of Ajmer to come at Jaipur for such permits ?

(6) Does the Government intend to authorise Collector any other officer at Ajmer to issue such permits ?

उत्तर

१. अजमेर में सहायक प्रादेशिक यातायात अधिकारी ए. आर. टी. ओ. का कार्यालय था।

२. सहायक प्रादेशिक यातायात अधिकारी (ए. आर. टी. ओ.) के कार्यालय का स्थानान्तरण कहीं नहीं किया गया वरन् दिनांक १.८.६२ से सहायक प्रादेशिक यातायात अधिकारी के कार्यालय को बन्द कर दिया गया।

३ व ४ जयपुर (क्षेत्र रीजन)के स्थानों के लिये विवाह में ठेके पर जाने हेतु बस मालिकों को

विशेष अनुमति पत्र जयपुर प्रादेशिक यातायात अधिकारी (आर. टी. ओ.) से प्राप्त करने पड़ते हैं, परन्तु गत आर. टी. ए. मीटिंग दिनांक २०, २१, २२, जुलाई १६६४ में ऐसे अनुमति पत्र देने के अधिकार रजिस्टरिंग आथोरिटी (कलेक्टर सा०) को दे दिये गये हैं। यदि ऐसे अनुमति पत्र सम्पूर्ण राष्ट्रीयकृत मार्गों पर न हों। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर ऐसे अनुमति पत्र जयपुर आर. टी. ओ. द्वारा ही दिये जाते हैं। लेकिन अनुमति पत्र देने से पूर्व राजस्थान स्टेट रोडवेज का नो ओब्जेक्शन सर्टीफिकेट होना आवश्यक है।

५. अब इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इस प्रकार के अनुमति पत्र देने की आज्ञा आर. टी. ए. द्वारा आर. ए. (रजिस्टरिंग आथोरिटी यानी कलेक्टर सा०) को दे दी गई है।

६. प्रश्न नहीं उठता।

'गोचर भूमि संरक्षण केन्द्र' पर घास का उत्पादन, कोटा

२७८. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the Forest Minister please reply —

(1) How much area has been enclosed by the Forest Department from south of the Water Works at Kota on Rawat Bhata Road as गोचर भूमि संरक्षण क्षेत्र and at what cost ?

(2) What is the total income per yearfrom the grass produced in this area together with the cost of maintenance per annum ?

(3) Is it a fact that a very poor quality-grass is produced on this land and there are very little prospects of development of better quality grass on account of the rocky soil ?

(4) If so, why has the Government selected this very site and who is the officer responsibie for this ?

उत्तर

(१) ३००० एकड़ भूमि की घेराबन्दी की है और २००० एकड़ भूमि की घेराबन्दी की जा रही है। उसकी लागत व अनुरक्षण का खर्च ५०) रु० प्रति-एकड़ आता है।

(२) घेरा बन्दी के पश्चात् इस क्षेत्र में ३०,००० मन घास पैदा हुई है, जिसका

अकाल विभाग से रायल्टी रेट पर १२,०००) प्राप्त हुए हैं । इसका देख भाल का खर्च घेराबन्दी के पश्चात् ४ वर्ष का औसतन ४) प्रति एकड़ आता है ।

(३) घेराबन्दी से पहले घास इस क्षेत्र में पैदा नहीं होती थी, परन्तु घेराबन्दी के बाद से अच्छी किस्म की घास पैदा की जा रही है ।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंचायत समिति रायसिंह नगर द्वारा कनक (गेहूँ) की रसीद

२७९. श्री योगेन्द्रसिंह हांडा (रायसिंह नगर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरजीतसिंह पुत्र सरदार लाभसिंह से पंचायत समिति रायसिंह-नगर ने एक हजार मन कनक १९६१–६२ में बीज के लिये खरीदी ?

(२) क्या यह सही है कि १९६१–६२ में एक हजार मन कनक उपरोक्त पंचायत समिति द्वारा १०५ जी० बी० पंचायत को वितरण हेतु दी गई ।

(३) क्या यह कनक (गेहूं) उपरोक्त पंचायत द्वारा वितरित की गई तथा उसका बाकायदा अकाउन्ट रखा गया ?

(४) क्या सुरजीतसिंह पुत्र सरदार लाभसिंह ९० जी० बी० पंचायत समिति के सरपंच के सगे भाई हैं ?

(५) क्या उपरोक्त कनक मय बाडी के पंचायत से पंचायत समिति द्वारा रिकवर कर ली गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जी हां । सरपंच पंचायत ९० जी० बी० को दिया गया था ।

(३) सम्बन्धित सरपंच द्वारा अभी तक कोई हिसाब प्रस्तुत नहीं किया है ।

(४) जी हां ।

(५) वसूली की कार्यवाही चालू है। वसूली इसलिए की जा रही है कि सम्बन्धित पंचायत ने गेहूं बीज वितरण करने का हिसाब नहीं दिया।

उदयपुर-ऋषभदेव की बसों के परमिट

२८०. श्री देवीलाल (सराड़ा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) उदयपुर से पलोदड़ा होकर सराड़ा, सेमारी, ऋषभदेव तक चलने वाली बसों का परमिट कितने व्यक्तियों को दिया गया है?

(२) क्या बसें ऋषभदेव तक चलाई जाती हैं? यदि हां, तो कितनी बसें ऋषभदेव तक चल रही हैं?

(३) क्या यह सही है कि उदयपुर पलादेड़ा-चावण्ड, सराड़ा ऋषभदेव तक चलने वाली बसों में काफी भीड़ रहती है?

(४) क्या बस मालिकों को ऋषभदेव तक का परमिट नहीं दिया गया है?

(५) क्या उदयपुर से पलोदड़ा-चावण्ड-सराड़ा-सेमारी होकर ऋषभदेव जाने वाले रूट पर नये परमिट लिये जाने के प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने प्रार्थना पत्र दिये हैं?

उत्तर

१. इस रूट पर निम्न चार व्यक्तियों को परमिट दिये गये है:—

१. श्री बसन्त कुमार, उदयपुर

२. श्री उदयलाल मोयी, उदयपुर

३. श्री गिरधारीलाल जेठी, उदयपुर

४. श्री कन्हैयालाल, उदयपुर।

२. यह बसे ऋषभदेव तक अभी नहीं चल रही हैं और सेमारी तक ही चल रही हैं इससे आगे सेमारी का बांध बन गया है जिससे आगे बसें नहीं जा सकतीं।

३. इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

४. सभी बस मालिकों को परमिट ऋषभदेव तक का दिया गया है।

५. जी हां, एक प्रार्थना-पत्र श्री दलपतसिंह उदयपुर का प्राप्त हुआ है।

भूमि के आबादी पट्टे, ग्राम भींडा

श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार को विदित है कि खसरा नं० २७४ व २७६ सरहद ग्राम भींडा में वर्षों से आबादी बसी हुई है जिनमें अधिकतर दलित वर्ग के लोग हैं?

(२) क्या यह सही है कि सन् १९५६, ५७ व ५८ में स्थानीय पंचायत के सरपंच ने इसी भूमि के आबादी पट्टे बनाये? यदि हां, तो कितने पट्टे?

(३) क्या यह सही है कि उस सरपंच के खिलाफ कोई कार्यवाही न कर तत्पश्चात् १९५८,५९व६० में सरपंच के विरुद्ध इस तरह के इसी भूमि में पट्टे तकसीम करने पर सरकार ने उसे अयोग्य घोषित करने की कार्यवाही चालू कर रखी है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(४) क्या यह सही है कि स्थानीय पंचायत के प्रस्ताव होनें पर भी उक्त भूमि की आज चार वर्ष से आबादी में परिवर्तित करने की कार्यवाही पर सरकार कोई तजवीज नही कर पाई है? यदि हाँ, तो क्यों?

अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र

२८१. **श्री नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह की बताने कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान में कितने अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र हैं?

(२) इनमें कितने महिलाओं के प्रशिक्षण केन्द्र हैं?

(३) इनमें कितनी महिलायें सन् १९६१-६२ में राजस्थान के बाहर से प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आई थी?

(४) इन बाहर से आने वाली महिलाओं पर सन् ६१-६२ में राजस्थान सरकार की कितनी धनराशि व्यय हुई?

(५) राजस्थान सरकार को बाहर की महिलाओं को प्रशिक्षण देने से और उन पर इतनी धनराशि खर्च करने से क्या लाभ हुआ?

(६) क्या वह महिलायें राजस्थान में सर्विस करने के लिये बाउण्ड हो जाती है ? अगर नहीं, तो राजस्थान सरकार इस खर्च को क्यों वहन करती है ?

उत्तर

१. राजस्थान में ८ बी० एड० के तथा ७० बेसिक एस० टी० सी० केन्द्र हैं।

२. महिलाओं के लिये बी० एड० प्रशिक्षण के लिये वनस्थली विद्यापीठ तथा १७ एस० टी० सी० के लिए प्रशिक्षण केन्द्र हैं। बाकी प्रशिक्षण केन्द्र दोनों के लिये शामिल हैं।

३. इन केन्द्रों पर राजस्थान से बाहर की २०४ महिलायें प्रशिक्षण प्राप्त करने आईं।

४ राजस्थान में बाहर से आने वाली महिलाओं को सरकार ट्यूशन फी की छूट अथवा स्टाईपेण्ड तभी देती है जब कि वे राजस्थान में अध्यापिका के पद पर कार्य करने के लिये ३ वर्ष का बाण्ड भर देती हैं। अन्यथा उनसे ट्यूशन फीस ली जाती है स्टाईपेण्ड भी नहीं दिया जाता है।

५. यह प्रश्न ही नहीं उठता।

६. जिनको ट्यूशन फीस से मुक्त किया जाता है और स्टाईपेण्ड दिया जाता है उनसे राजस्थान में ३ वर्ष नौकरी करने का बाण्ड लिखाया जाता है। प्रत्येक बालिका जो राजस्थान में नौकरी करना चाहती है उसको २५ रुपये छात्रवृत्ति प्रति माह दी जाती है। तथा ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है लेकिन जो जगह रिक्त रह जाती है उनको उन बालिकाओं से भरा जाता है जो राजस्थान में नौकरी करने की बाण्ड नहीं भरती हैं। अत: न उनको ट्यूशन फीस दी जाती है व न स्टाईपेण्ड दिया जाता है। इस प्रकार बाहर वाली छात्राओं के लिये कोई खर्चा नहीं किया जाता है। वे खाली स्थानों पर हमारी छात्राओं के साथ पढ़ लेती है।

कूओं के अधूरे कार्य

२८३. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) :** क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों द्वारा जो कुए खुदाये जाते है उनकी खुदाई की दर २०० रु० प्रति हजार घनफुट निर्धारित है ?

(२) क्या यह भी सही है कि कुए यदि अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की मशीन द्वारा खुदाये जाते हैं तो उसी प्रकार के काम के प्रति हजार घन फुट पर ६६६ रु० चार्ज होते हैं ?

(३) यदि हां, तो एक ही प्रकार के काम के दरों में इतना फर्क क्यों ?

(४) क्या सरकार की जानकारी में है कि सभी कुओं को खुदाने के लिये मशीन मंगाना सम्भव नहीं है और कुए मजदूरी और श्रमदान के द्वारा खुदाये जाते हैं जिसकी दर २००) प्रति हजार घन फुट निर्धारित है और इस कारण कुआ आवश्यकतानुसार गहरा नहीं खोदा जा सकता है ? तथा जिसका नतीजा यह होता है कि अनेकों कुए अधूरे पड़े हैं ?

(५) यदि हां, तो सरकार इस नियम में परिवर्तन करेगी ?

उत्तर

१. जी नहीं। कुए की खुदाई के लिए अलग अलग कामों के लिए अलग अलग दरें निर्धारित हैं।

२. जी नहीं। अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड दस फुट गोलाई के कुए की एक फुट गहरी खुदाई के ५२ रु० चार्ज करते हैं।

३. कोई विशेष फर्क नहीं है।

४. सभी कुए मशीन से खुदाना सम्भव नहीं है वर्तमान निर्धारित दरों से आवश्यकतानुसार कुआ गहरा खोदा जा सकता है। कुए अधूरे पड़े रहने का कारण निर्धारित दरों की की कमी नहीं है।

५. प्रश्न ही नही उठता।

आयुर्वेदिक औषधालय चित्तौड़गढ़

२८४. **श्री चतुर्भुज उपाध्याय** (चित्तौड़गढ़) : क्या आयुर्वेदिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ किले पर "ए" क्लास का आयुर्वेद औषधालय है ? अगर हां, तो कब से ?

(२) क्या यह भी सही है कि चित्तौड़गढ़ तलहटी की जनता इससे पूरा लाभ नहीं

उटा सकती और किले पर भी रोगियों की संख्या कम रहती है ?

(३) क्या सरकार किले पर "बी" या "सी" क्लॉस का आयुर्वेदिक औषधालय रख कर "ए" क्लॉस को तलहटी में रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी नहीं। केवल शाखा औषधालय है।

चित्तौड़गढ़ तलहटी की जनता के लिए भी औषधालय है।

जी नहीं।

पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा

२८५. श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति निम्बाहेड़ा ने किसानों पर पांच रुपये सैंकड़ा लगान-कर लगा रखा है जिससे उस क्षेत्र के किसानों में रोष है ?

(२) क्या यह भी सही है कि यह कर १९५९ से लिया जाता है तथा इस प्रकार का कर राजस्थान में अन्यत्र नहीं लिया जाता है ?

(३) क्या सरकार इस प्रकार के बेजा कर को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) ५ पैसा प्रति रुपया सेस लगाया है।

(२) सन् १९६० से लागू है। इस प्रकार का कर अन्य १६१ पंचायत समितियों में भी लिया जाता है।

(३) जी नहीं।

दुर्घटनाओं से मृत्यु–मकराना

२८६. श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

मकराना नगर में फैक्ट्रियां व खानों में काम करते समय पिछले ५ सालों में कितने व्यक्तियों की दुर्घटनाओं द्वारा मृत्यु हुई और मृतकों के परिवारों को कितना कितना मुआवजा मिला ?

उत्तर

मकराना नगर में गत पांच वर्षों में फैक्ट्रियों में काम करते समय दुर्घटनाओं से किसी श्रमिक की मृत्यु की सूचना इस विभाग में प्राप्त नहीं हुई अतः मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता। खानों में हुई दुर्घटनाओं के बारे में इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

———

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २७३ का उत्तर देखिये ।)

चार बार इस बोर्ड का पुनर्गठन हुआ है नवीन बैठक तारीख ८-८-६४ को ही हुई ।

आज तक की बैठकों में सरकार ने निम्न प्रस्तावों को क्रियान्वित किया है यह क्रियान्वित कहीं पूरे रूप में और कही आंशिक रूप में हुई है ।

(१) वैद्य व हकीमों के वेतन स्तरों में वृद्धि ।

(२) शिक्षण संस्थाओं का उच्चस्तरीय करण करना ।

(३) अनुसंधान योजनाओं का चालू करना ।

(४) अनभवी व पुराने सरकारी वैद्यों के प्रशिक्षण हेतु एक वर्ष का रिफ्रेसर कोर्स चालू करना ।

(५) धात्री कल्पदों का प्रशिक्षण चालू करना ।

(६) प्राइवेट धात्रियों को वजीफा देना ।

(७) रसायनशालाओं का एकीकरण करके एक केन्द्रीय रसायनशाला का निर्माण करना ।

(८) अच्छे द्रव्य खरीदने हेतु स्टोर पर्चेज कमेटी का निर्माण करना । उत्तम नमूने व्यापारियों को दिखाकर उन पर टेण्डर लेना ।

(९) बोर्ड के स्थानीय सदस्यों को रसायनशालाओं के निरीक्षण की सुविधा देने और उनके सुझावों पर विचार करना ।

(१०) राजस्थान विश्व विद्यालय में आयुर्वेदिक फैकल्टी का निर्माण करना ।

(११) जिला हैड क्वार्टर पर १० बैड्स वाले 'ए' क्लास औषधालय खोलना ।

(१२) 'सी' श्रेणी औषधालय में एक वैद्य, एक उपवैद्य धात्री तथा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद सृजित करना जहां यह पद सृजित नहीं वहाँ सृजित कराया जाकर इसकी व्यवस्था करना ।

(१३) रजिस्टर्ड वैद्यों द्वारा दिये गये रोगातुर प्रमाण पत्रों को मान्य करना ।

(१४) 'सी' श्रेणी औषधालय को ६००) रु० की औषध देना ।

————

❋ शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक १७ अगस्त, १९६४)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१	शीर्ष	अङ्क]	अङ्क ६]
,,	२	सोमवार	सोमवार,
,,	१३	मंत्री बताने	मंत्री यह बताने
५	अन्तिम से ५	श्री निर ंजनाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
६	१७	(पिंडवाड़)	(पिंडवाड़ा)
११	शीर्ष	—	(श्री भीखाभाई)
१३	,,	—	(श्री निरंजननाथ आचार्य)
१५	,,	(श्री अब्बदुल जब्बार)	(श्री अब्दुल जब्बार)
१६	७ से ११	श्री चतुर्भुज शर्मा (चित्तौड़गढ़) : (श्री दलपतसिंह (आबूरोड़) के द्वारा पूछा गया) जंगलों का डिमार्केशन जिला चित्तौड़गढ़ २९८. क्या वन मंत्री	जंगलों का डिमार्केशन जिला चित्तौड़गढ़ २९८. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) [श्री दलपतसिंह (आबूरोड) द्वारा पूछा गया] : क्या वन मंत्री
१७	शीर्ष	(श्री वनमन्त्री)	(श्री भीखाभाई)
२३	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	२०	श्री निरंन्जननाथ	श्री निरंजननाथ
२४	३	श्री माणिकचन्द	श्री मानिकचन्द
२६	१६ व २३	मदेरना	मदेरणा
२९	अन्तिम से २-३ व ४	२७२. श्री जुझारसिंह (चेचट): (श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) द्वारा पूछा गया)	२७२. श्री जुझारसिंह (चेचट) [श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) द्वारा पूछा गया] :
३१	शीर्ष	(श्री झुझारसिंह)	(श्री जुझारसिंह)
३४	अन्तिम से ७	आचांर्य	आचार्य

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
३५	१	श्री निरंनाथ आचर्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
,,	१७	कई माननीय सदस्य	अनेक माननीय सदस्य :
४०	१	श्री भैरोसिंह	श्री भैरोंसिंह
३६-४२	क्रमशः १६,१२, १५ व २६	श्री जयनारायण :	श्री जयनारायण सालोदिया :
४३	१४	श्री जयनारायण (सालोदिया) :	श्री जयनारायण सालोदिया :
४४	६	श्री जयनारायण : सालोदिया इसका	श्री जयनारायण सालोदिया : इसका
५१	७	श्री मानिचन्द	श्री मानिकचन्द
५२	२२	तारांकित	तारांकित
,,	२३	परिशिष्ट	परिशिष्ट
५७-५८	शीर्षक	प्रश्नोतर	प्रश्नोत्तर
५७	२३-२४ के बीच	—	उत्तर
५६ व ६५	शीर्ष	—	(श्री श्रवणलाल)
६७	शीर्ष	(श्री गोविन्दसिंह)	(श्री यातायात मंत्री)
६६	,,	—	(श्री वन मंत्री)
७०	१५	दारा	द्वारा
,,	१६	त्रवरियों	त्रावरियों
७३	६	श्री अद्यत्त	श्री अध्यक्ष
८०	शीर्षक	वलव्य	वक्तव्य
,,	१७	श्री अद्यत्त	श्री अध्यक्ष
,,	२५	श्री मथुपादास	श्री मथुरादास
८१ से ८४	शीर्षक	सनवाड़ ग्राम डकैती	सनवाड़ ग्राम में डकैती
८५	अन्तिम से ४	श्री मथुरेश विहारी !	श्री मथुरेशबिहारी ।
८६	,, ,, ५	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
६६	१६	श्री ज्लालाप्रसाद	श्री ज्वालाप्रसाद

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१२६	अन्तिम से २	श्री व्रजसुन्दर	श्री बृजसुन्दर
१४०	३	संशोधिन	संशोधित
,,	अन्तिम से ५	hava it	have it,
१४१	२३	M. L. A. ds.	M. L. As.
१४२	अन्तिम से २	Secretarat	Secretariat
१४३	३	श्री अघ्यक्त	श्री अध्यक्ष
,,	१४	मम	मत
,,	१८	की सूची)	की सूची :–
,,	२२	श्री भवानीसिंह नन्दवाना	श्री भवानीशंकर नन्दवाना
,,	२४	श्री भीमसैन	श्री भीमसेन
१४४	अन्तिम से २	(खारणी)	(खारची)
१४६	३	करोड़िया	कराडिया
१४७	६	ढावरिया	ढाबरिया
,,	७	झाला	झाला]
१४८	१२	संशोधन	[संशोधन
,,	१८	"one"	"One"]
१५४	४	संशोधन	[संशोधन
,,	१०	fact".	fact".]
१७५	शीर्ष	मदेरण ।)	मदेरणा)
१८६ व १९१	,,	(श्री मथुरेश माथुर बिहारी)	(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)
१८६	शीर्षक	रा० वै०	रा० पै०
१९२	८	श्री जोधासह	श्री जोधसिंह
२०५	२	कारण जो प्रश्न	कारण प्रश्न
२०७	७	श्री योगेन्द्रसिह	श्री योगेन्द्रनाथ
२०९	४	श्री हनुमानसिंह चौधरी	२८१. श्री हनुमानसिंह चौधरी

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२०६	१५ व १६ के बीच	—	(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)
,,	१७	२८१	२८२
२३०	शीर्षक	परिशिष्ठ	परिशिष्ट

नोटः—विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा ।